खण्ड-456, अंक-8
सोमवार, 2 पौष, शक संवत् 1927
(2 जनवरी, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2006)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य.....	ङ-ज
नव वर्ष की बधाई-----	1
नियम 311 में सूचनाएं न दिये जाने का मा0 सदस्यों से आग्रह-----	1–2
प्रश्नोत्तर-----	3–93
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें-----	94
विभिन्न जनपदों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारियों की तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	95
ज्योतिबा फूले नगर के कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढ़ी सलेमपुर या सिकन्दराबाद में गढ़ी फीडर पर विद्युत उपकेन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना--	95
गोरखपुर विश्वविद्यालय में शासनादेशें की अवहेलना करके स्ववित्त पोषित शिक्षकों का आर्थिक शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	96–97
कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत नेबुआ कप्तानगंज मार्ग पर छोटी गण्डक राम जानकी घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	97
शाहजहांपुर के शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	97
बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत मेरठ-बदायूं राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम चित्तौन पुर रोडवेज बस स्टाप बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	98
वाराणसी नगर में अधिकृत एवं अनाधिकृत रूप से आबाद कालोनियों में सफाई, सीवर सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	98

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों को रिबोर तथा मरम्मत करवाकर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	98–99
विधायकों को वर्तमान वाहन मूल्य के अनुसार कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-----	99
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें-----	99
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों में पूर्व विधायकों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न-----	99–100
वर्ष 2006 के प्रारम्भ में विधान सभा का नया सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न-----	100–108
तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न-----	108–109
औराई विधान सभा क्षेत्र, जनपद संत रविदासनगर (भदोही) से उप चुनाव में निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मांग-----	109–110
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)-----	111
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)-----	111
उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)-----	111
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)-----	111
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)-----	112

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)-----	112–113
प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दि0 24 नवम्बर, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन-----	113–114
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)-----	114–118
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)-----	118
नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	118–120
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं-----	120–121
जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के ग्राम ईसापुर खुरगान की दो हजार बीघा सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य----	121–123
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत घनरौल बाँध की सिल्ट सफाई कराने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र विन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य-----	123–124
प्रदेश के गन्ना मिलों द्वारा घटतौली किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य-----	124–125
जनपद शाहजहांपुर स्थित सहकारी चीनी मिल पुवायां में 9 गन्ना क्रय केन्द्रों को मिल से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य-----	125–126
जनपद गोरखपुर स्थित गोरखपुर से चिल्लूपार क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सदल प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य-----	126

जनपद उन्नाव स्थित मेसर्स साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 मस्तराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य----- 126–127

जनपद मथुरा के गोवर्धन नगर पंचायत कार्यालय के सामने सड़कों पर गन्दा पानी जमा होने एवं सफाई न होने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य----- 127–128

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कोविद कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन----- 128

नत्थियां----- 129–139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य- 216

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	कल्याण सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
अजय कुमार, डा0	बागपत	कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	काशीराम, श्री	रामपुर
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	कुलदीप सिह सेंगर, श्री	उन्नाव
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	कृष्ण कुमार उर्फ	
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	कैलाश, श्री	गाजीपुर
अनिल कुमार वर्मा	हरदोई	कौशल किशोर, श्री	खीरी
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा	घूरा राम, श्री	बलिया
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	चन्द्र किशोर, श्री	महाराजगंज
अरूण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात	चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर	छेदी राम, श्री	गाजीपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई	जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी	जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
आलम बदी, श्री	आजमगढ़	जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली	जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
आशीष यादव, श्री	बदायूं	जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर	जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर	पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर	दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
कपिल देव यादव, श्री	मऊ	दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात	दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया

दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्यातिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खाँ, श्री	रामपुर
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी

राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव

सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नववर्ष की बधाई

श्री अध्यक्ष-

नववर्ष आप सब के लिए मंगलमय हो।

(मा0 मुख्य मंत्री सहित सदन के सभी सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष को नववर्ष की बधाई दी गई)

नियम 311 में सूचनाएं न दिये जाने का मा0 सदस्यों से आग्रह

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, 311 में आज मैंने एक नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष-

अब 311 नए साल में मत दीजिए, मैंने उसको दूसरे नियमों में परिवर्तित कर दिया है। अब आप प्रश्न में प्रहर चलने दीजिए। आप लोगों से मैंने अनुरोध किया था कि 311 में नहीं करिए। अब नत्थी (क), प्रश्न संख्या-1,

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

जीरो आवर आने दीजिए, तब आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, सारे समाचार पत्रों में यह खबर है।

श्री अध्यक्ष-

जीरो आवर आने दीजिए, अब आप बैठ जायें। मेरा अनुरोध है, आप प्रश्न प्रहर चलने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सारे समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या-क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में एक ज्वलंत प्रश्न यही है?

श्री अध्यक्ष-

जीरो आवर आने दीजिए, आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसे 56 में सुन लेंगे?

श्री अध्यक्ष-

हाँ, हाँ बैठ जायें। आप बैठ जायें जब जीरो आवर आएगा तब अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

56 में सुन लेंगे? 311 में इसीलिए मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, जीरो आवर जब आएगा तो आप कह लीजिएगा। आप अपनी बात जीरो आवर में भी कह सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सैकड़ों समितियों की बैठकें हुई, रोज सुझाव मांगे जा रहे हैं लेकिन

श्री अध्यक्ष-

आप अनुमति के बगैर बोल रहे हैं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, आप बैठ जायें। यह प्रश्न प्रहर है, बढ़िया सवाल लगा है। माननीय नेता हुकुम सिंह जी, इनको कहिए। मैं खड़ा हूँ, इसका तो ध्यान रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के सदस्यों की जिस तरह से खींचतान और खरीद-फरोख्त हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

क्या परिपाटी डाल रहे हैं? आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो बड़ी मान्यताओं की दुहाई देते हैं, माननीय अध्यक्ष इतनी देर से खड़े हैं और बराबर गुजारिश कर रहे हैं और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, खेद है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी अब नहीं लिखा जाएगा चाहे आप जितना कहें। नियमों में व्यवस्था की बात तब है जब मैं सारे नियमों को निलम्बित करके आपको सुनूँ। मैं इसमें इसे नहीं मानता। अब आप बैठें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि (जब शून्यकाल आए तब कहिएगा।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, ऐसे में प्रश्नकाल स्थगित कर दें। मैं प्रस्ताव कर देता हूँ कि चूंकि आप सदन में व्यवधान डाल रहे हैं इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, व्यवधान नहीं डाल रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

तो क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, जब शून्यकाल आएगा तब जाप बोलिएगा।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के अपने स्थान पर बैठने पर।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराने की मांग

****1-कुंवर भारतेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव को स्थगित करने के क्या कारण हैं तथा स्थानीय निकाय चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिये जायेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

नागर स्थानीय निकाय चुनाव माह नवम्बर, 2005 में कराये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 28-10-2005 को निर्गत की जानी थी, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-59093/2005 कमलेश सिंह वह अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-10-2005 के अनुपालन में नागर स्थानीय निकायों के कक्षों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर नये सिरे से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कक्ष परिसीमन हेतु नये दिशा निर्देश दिनांक 30-11-2005 को जारी कर परिसीमन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। कक्षों का परिसीमन एवं पदों के आरक्षण की अनन्तिम तत्पश्चात् अन्तिम की कार्यवाही सम्पन्न कराने के उपरान्त शीघ्र ही निर्वाचन सम्पन्न होंगे।

श्री अध्यक्ष-

कुंवर भारतेन्द्र सिंह जी उपस्थित नहीं है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यदि अनुमति दें तो मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं, यदि समय बचेगा तो बोल लीजिएगा।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 ले लें। इसमें मैंने रूचि प्रकट की थी।

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण चल रहा था। चूँकि पूरे देश के अंदर जो इस तरह के चुनाव की बात थी उसमें 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ था उसमें बात थी। तो सरकार का यह दायित्व था कि इसी के आधार पर कराते, लेकिन 1991 के आधार पर कर दिया। मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं- एक तो यह कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या स्पष्ट निर्देश दिये हैं और दूसरा यह कि माननीय उच्च न्यायालय ने कब तक यह चुनाव कराने को कहा है, कोई स्पष्ट तिथि तो निर्देशित होगी? आपने शपथ-पत्र में क्या कहा है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, परिसीमन आयोग ने यह पाबन्दी लगा रखी थी कि हम किस साल का मानक मानकर चुनाव करायेंगे। इसमें पाँच रिटें हुई और बहस हुई। आपके संज्ञान में भी होगा कि हमने पूरी तैयार कर ली थी, तारीख भी घोषित कर दी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं थी और सरकार की वजह से चुनाव स्थगित नहीं हुए हैं। मान्यवर, जो भी संशोधन लाये गये थे यह नियम तय किये गये थे उन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने माना है सिर्फ एक बात को छोड़कर। जो निर्धारित व्यवस्था की गयी थी उसमें पंचायतों और नगरपालिकाओं में जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसे माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं माना। उन्होंने जो निर्देश दिया था जिसे हमने उसी वक्त लागू कर दिया जैसे ही हमें टेलीफोन से सूचना मिली कि ऐसा निर्णय हुआ है। हमने उसी वक्त पत्र जारी कर दिया और महापौर साहेबान को चार्ज दे दिया। तो केवल यह डिस्प्यूट था। हमारा यह मानना था कि महापौर ने जिस दिन शपथ लिया है उसे पहली सीटिंग माना जाय लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेशित किया था कि उसे नहीं जिस दिन महापौर जी ने पहली मीटिंग बुलाई थी, उसे माना जाय और हमने उसे माना।

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, हमने प्रश्न क्या किया और उत्तर क्या आ रहा है?

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न प्रहर समाप्त हो गया है। आप लोग शान्त रहें, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट मेरी बात सुन लें, मैं प्रश्न के समय उपस्थित नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह तो और भी बड़े खेद की बात है कि आप प्रश्न करके सदन में उपस्थित नहीं होते हैं। अब इसमें समय देने का कोई औचित्य नहीं है, 12:20 तक ही प्रश्नों का समय निर्धारित रहता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पालीथीन के प्रयोग से फैल रहे प्रदूषण के रोकथाम की योजना

***1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-**

क्या सरकार को जानकारी है कि पालीथीन के प्रयोग से फैल रहे प्रदूषण के निराकरण के लिये क्या सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

तारांकित सं0 प्रश्न 18 के उपरान्त अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की रूचि पर लिया गया तदुपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों एवं नियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार पालीथीन की सामग्री के निर्माण एवं उपयोग को नियंत्रित किया जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम, 1999 प्रख्यापित किये गये हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी विक्रेता पुन: चक्रित प्लास्टिक के बने कैरी बैग या पात्रों का खाद्य पदार्थों के भण्डारण, लाने-ले जाने, प्रदाय करने या पैकेजिंग के लिए उपयोग नहीं करेगा तथा प्लास्टिक से बने कैरी बैग एवं पात्रों का विनिर्माण तभी कर सकेगा जब वह सुनिश्चित करे कि अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग और पात्र प्राकृतिक रंगत वाले या सफेद हो तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारण और पैकेजिंग से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले रंजक और रंगक भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित सूची के अनुरूप हो। यह व्यवस्था की गई है कि अनुप्रयुक्त प्लास्टिक या पुन: चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होगी तथा वह नियमों के अनुरूप पुन: चक्रण एवं चिन्हांकन/कुटांकन के प्राविधानों को पूर्ण करता हो। इन नियमों का संशोधन वर्ष 2003 में करते हुए इन नियमों का नाम प्लास्टिक विनिर्माण विक्रय और उपयोग नियम 1999 कर दिया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करने की प्रणाली भी निर्धारित की गयी है। पुन: चक्रण एवं विनिर्माण के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में ऐसी इकाईयों का चिन्हिकरण किया गया है, जो प्लास्टिक के कैरी बैग एवं कन्टेनर्स का निर्माण करते हैं। अब तक तैयार की गई सूचना के आधार पर कुल 287 उद्योग चिन्हित हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश स्तर पर कुल 75 इकाईयों को पंजीकृत किया गया है। शेष के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण के संबंध में उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण विनियमन) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित प्राविधान किया गया है। इस प्राविधान के अन्तर्गत नगर निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रवर्तन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने कहा है कि कोई भी विक्रेता पुन: चक्रित प्लास्टिक के बने कैरी बैग या पात्रों का खाद्य पदार्थों के भण्डारण लाने, ले जाने, प्रदाय करने या पैकेजिंग के लिए उपयोग नहीं करेगा। साथ ही सरकार ने कहा है कि पात्र प्राकृतिक रंगत वाले या सफेद हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका अनुपालन न करने वालों को रोकने के लिए कार्रवाई के लिए क्या-क्या प्राविधान हैं और इसमें किन-किन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई हैं? मान्यवर, सरकार ने कहा है कि हम इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत लाए हैं। इस प्रकार इकाइयों को चिन्हित करने का काम किया है। अब तक तैयार की गई सूचना के आधार पर कुल 287 उद्योग चिन्हित हुए हैं। इसमें आपने अभी तक कुल 75 इकाइयों को पंजीकृत किया है, 212 अभी भी शेष है, जिनका पंजीकरण नहीं हो पाया है। और यह इस प्रकार से पॉलीथीन के प्रयोग करके प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जनस्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता

हूँ कि जो 287 उद्योग चिन्हित हुए थे यह कब हुए थे और इनको चिन्हित करने की कोई समय सीमा थी, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पंजीकरण के लिए पूछा तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको रोकने का निर्णय लिया था। सबसे पहली बैठक में फैसला उनका यही था। सरकार चाहती है कि गलत तरीके से निर्मित होने वाली पॉलीथीन का प्रयोग रूके। जहाँ तक सजा का प्रश्न है, दो तरह की सजा हैं। एक में एक साल की सजा और जुर्माना है प्रथम चरण में, और उस पर भी अगर वह अपना यह कारोबार बंद नहीं करता है तो और ज्यादा सजा है। मैं बात कह रहा था कि यह सब करने के बावजूद भी हम इसे रोक नहीं सके और इसे हमने वहाँ भी रखा। पहली मीटिंग में यह तय हुआ था कि हम इसका दुरूपयोग रोकेंगे और इसे मानक के अनुरूप बनायेंगे। यह व्यवस्था की गयी कि इसकी न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होगी। हमने यह किया कि खास तौर से काले रंग की पॉलीथीन न हो और प्राकृतिक तथा सफेद रंगों वाली पॉलीथीन का इस्तेमाल हो। इसमें खाने पीने का सामान न हो। कहा यह जाता है कि काले रंग की पॉलीथीन में कीटाणु ज्यादा होते हैं और यह गन्दे तरीके से बनती है। इसमें यदि हम खाने का सामान या फलों का रस ले जायेंगे तो यह बीमारी को फैलायेगी। हम बीमारी के लिए फल इसमें ले जाते हैं जो कि स्वयं बीमारी की थैली है। दूसरा यह कहा गया कि 287 उद्योग इंगित किये गये थे और मात्र 75 इकाईयों का पंजीकरण किया गया। तो हमने एक काम तो यह किया कि इनको इंगित किया है और उसी का परिणाम यह है कि 75 इकाईयाँ पंजीकृत हुई हैं, बाकी का जितना जल्दी हो सके पंजीकरण करायेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि 287 इकाईयाँ चिन्हित हो गयी और 75 इकाइयों का सिर्फ पंजीकरण हुआ। तो इन 287 इकाइयों के पंजीकरण करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी थी, यदि नहीं की गयी तो अब सरकार शेष बची इकाइयों को पंजीकरण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे और जो इसका पंजीकरण नहीं करेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी। मान्यवर, उत्तर के अंतिम भाग में यह लिखा है कि प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण के संबंध में उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण विनियमन) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और व्यसन से संबंधित प्राविधान किया गया है, तो वह प्राविधान क्या है और उस प्राविधान को लागू करने की शक्ति स्थानीय निकायों में कैसे होगी? जो इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई प्राविधान किया गया है?

श्री मोहम्द आजम खाँ-

मान्यवर, बाजपेयी जी को तो सब मालूम है लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। मान्यवर, इसके लिए केन्द्रीय बोर्ड के सख्त कानून है अगर इसका पालन किया जाय। कुछ जगहों पर हैं जहाँ राज्य सरकार के अधिकार सीमित हो जाते हैं और उनकी जिज्ञासा भी सही है। तो मैंने यह कहा है कि मैं जहाँ से बातचीत करके आ रहा हूँ हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय निकायों और

नगर निगमों को इसका पालन करना चाहिए लेकिन हम सख्ती से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमें केन्द्रीय बोर्ड से सहायता नहीं मिल पा रही है। इसके नियमों में कमजोरी है, हम इसका परीक्षण करेंगें और उसको क्रियान्वित करने में जो कुछ हमसे हो सकेगा उसको हम करेंगें और इसको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

मान्यवर, एक तो इसमें कुछ ही कारखाने पंजीकृत किये गये हैं, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन 72 इकाइयों को पंजीकृत किया गया क्या उनमें जो विधि व्यवस्था है, जो नियम बनाये गये प्रदूषण को रोकने के लिए, उनका पालन हो रहा है? दूसरे जो उनका उत्पादन हो रहा है क्या इसके चेकिंग की कोई व्यवस्था है? मेरी जानकारी है कि नियम कानून बनने के बाद भी वह अभी तक लागू नहीं हो पाये हैं, इन 72 इकाइयों की भी स्थिति वही है, यहाँ अभी भी वैसे ही निर्माण हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। क्या इसकी पूरी तरह से जाँच कराके जहां नियम विरूद्ध उत्पादन हो रहा है उन इकाइयों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगें? दूसरा, जिन इकाइयों का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनके पंजीकरण का काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूँ, 72 इकाइयां नहीं, 75 इकाइयां हैं और भी ज्यादा हो सकती है, यह सतत् प्रक्रिया है, इसकी जांच पड़ताल होती रहती है, रही बात पंजीकरण का काम पूरा करने का तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी पंजीकरण का काम पूरा कराने की कोशिश करेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में इस बात की घोषणा करने पर विचार करेंगे कि 31 मार्च, 2006 तक शेष इकाइयों को पंजीकृत कराने की समय सीमा निर्धारित करेंगें? अगर आप 31 मार्च, 2006 तक की समय सीमा पर विचार कर लें तो जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय सदस्य का अच्छा सुझाव है, हम पूरा प्रयास करेंगें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, पॉलीथीन का प्रयोग लगातार हो रहा है और उससे प्रदूषण भी फैल रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सरकार पॉलीथीन के प्रयोग को नहीं रोक पा रही है तो क्या सरकार पॉलीथीन के उत्पादन पर रोक लगाने पर विचार करेगी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, संविधान में यह अधिकार प्राप्त नहीं है किसी भी राज्य सरकार को।

***2-श्री श्याम देव राय चौधरी-**

[भारत सरकार द्वारा जनपदों का निर्धारण न किये जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण निरस्त।]

तारांकित प्रश्न

निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्सिंग प्रणाली को समाप्त करने पर विचार

***1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की नीति में परिवर्तन करके लाइसेन्सिंग प्रणाली को समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

शस्त्र लाइसेन्स आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं जो केन्द्रीय विधान हैं। अतः लाइसेन्सिंग प्रणाली को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार ही सक्षम है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह सेण्ट्रल ऐक्ट है, इसमें यह व्यवस्था नहीं की जा सकती है। मान्यवर, इसमें ऐक्ट में डेलीगेटिंग पावर्स भी है ओर स्टेट गवर्नमेण्ट को उसको एमेडमेण्ट करने का पावर है, एक बात का उत्तर आ गया लेकिन जिस बात से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई वह यह है कि वर्षों से लाइसेन्स की एप्लीकेशन जेल कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थानों में पेण्डिंग हैं और समयबद्ध सीमा के तहत उनका निस्तारण नहीं होता है।

मान्यवर, शासन के द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं, पहले 1985 में शासनादेश जारी किया गया था। उसके अन्तर्गत जो जघन्य अपराधों से ग्रसित हैं या जिनके घर पर कोई घटना हो गयी है उनको लाइसेंस दिये जाने की बात है। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो काफी बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी करने के प्रार्थना-पत्र जिलों में लम्बित है, उसके संबंध में क्या एक समयबद्ध सीम[illegible] सुनिश्चित करेंगे?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो विरासत के या ट्रान्सफर के आवेदन-पत्र है, जो ओल्ड ऐज के लो[illegible] जो अक्षम लोग हैं उनके संबंध में प्रक्रिया को सरल बनायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जो पेंडिग प्रार्थना-पत्र है, उसमें सहूलियत बरतेंगे। मान्यवर, यह केन्द्रीय सरकार का ऐक्ट है उसमें जो मानक तय है, उसको पूरी तरह से राज्य फॉलो करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया कि यह आर्म्स एक्ट इनएक्टेड बाइ पार्लियामेन्ट है। जो उसमें व्यवस्था है उसी के तहत काम होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, राज्य सरकार को शासनादेश जारी करने का उसमें प्राविधान है, उसमें राज्य सरकार को डेलीगेटेड पावर्स दी गयी है उसमें राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार है। यह सही है कि यह केन्द्रीय सरकार का ऐक्ट है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपका कहना है कि जिलों-जिलों में बहुत से आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े रह जाते हैं और लम्बित रह जाते हैं। क्या ऐसी प्रक्रिया अपनायेंगे जो पात्र लोग हैं, उनको शीघ्रता से लाइसेंस मिल सकें?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसके लिए भी पहले से नियम है कि छः महीने के अन्दर उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे, कहीं पर कोई खास शिकायत होगी तो उसको अलग से दिखवा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शिकायत खास और आम दोनों तरह की हैं। यह सही है कि यह अधिनियम केन्द्र सरकार का है। लेकिन, उस अधिनियम के अन्तर्गत मार्गदर्शन के रूप में प्रदेश सरकार के द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी होते रहे हैं। पूर्वगामी सरकारों ने भी किये हैं, इस सरकार ने भी किये हैं। मान्यवर, इस प्रश्न को करने का आशय यही है कि सरकार नीति घोषित करती है कि अधिकारियों द्वारा यहाँ प्राथमिकता देने की बात है और यहाँ नहीं है। तो जो नीति वाली बात है उसमें सरकार पीछे नहीं हट सकती है। मान्यवर, आप देखें आज ही मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या-13 लगा हुआ है और उसका उत्तर जो आया है उसकी दो पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ। 'शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्रों का निस्तारण, जाँच आख्यायें प्राप्त होने के उपरान्त यथा संभव तीन माह में किये जाने की अपेक्षा निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से की गयी है।' यह लिखित उत्तर मेरे पास आया है और मेरा कहना है कि इस तीन माह की समयावधि का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी नीति के बावजूद कोई अधिकारी समय के अन्दर लाइसेन्स के आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं कर रहे हैं तो नीति का यह उल्लंघन है या नहीं? तो ऐसे मामलों में आप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे? और, क्या यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तीन माह में ऐसे मामलों का डिस्पोजल हो जाना चाहिए?

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने अपनी नीति बना ली है, समानान्तर नीति बना ली है कि तीन माह तक वह पड़ा रहेगा। तीन माह के बाद फिर पुलिस वेरीफिकेशन के लिए वह जायेगा। मान्यवर, यहाँ सब मेरी बात से सहमत होंगे कि एक रिपोर्ट मंगाने में क्या स्थिति होती है। उसमें एक रेट निर्धारित हो जाता है। लगभग 2000 प्रार्थना-पत्र पेंडिंग है मेरे जिले में एक माह के अगर उसमें रिपोर्ट समय से नहीं लगी तो 2000 प्रार्थना-पत्रों पर 5000 रूपये के रेट से एक करोड़ रूपया हो जाता है। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस वेरीफिकेशन की रिपोर्ट तत्काल लग जाए और अगर कोई रिपोर्ट पूर्व में लग गयी है तो उसको दुबारा पुलिस की तस्दीक के लिए न भेजा जाय?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, पूर्व में मानक के अनुरूप होता रहा है मैंने कहा कहीं विशेष शिकायत हो, अब सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा। अगर कोई विशेष शिकायत हो कि फलां मामले में पक्षपात बरता गया है, तो उसको देख लेगें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या-13 देख लें। मैं जमाने के दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दर्द विशेष की बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी उस दर्द को देखें। मान्यवर, आपका दर्द भी आ गया, उस दर्द को अपना दर्द मानते हुए, यह सुनिश्चित करेंगे कि उसका निस्तारण हो जाय? आप निर्देशित करेंगे अधिकारियों को कि तीन माह के अन्दर जहाँ रिपोर्ट पक्ष में आई है, उसका तीन माह में लाइसेंस स्वीकृत कर दे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है, नियमों का पालन होता है और फिर मैं कहूँगा कि अगर कहीं कोई विशेष शिकायत है तो उसको अलग से दिखवा लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शासन के निर्देश हैं, प्रदेश के जिलाधिकारियों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट आदेश निर्गत हुआ है और उसमें स्पष्ट है कि 3 माह में अगर औपचारिकताएँ पूर्ण होकर आ गयी हैं तो तीन माह में उसका निस्तारण करना है। अब यह आप जानते हैं कि अगर 6 माह तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया जिलाधिकारी द्वारा तो वह नल एण्ड वायेड हो जाता है और उस पर पुन: नये सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाती है। फिर उसी बात के लिए पैरवी करनी पड़ती हे। समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण हैं इसके बावजूद भी उसका लाइसेंस निर्गत नहीं होता है। विरासत का, सक्सेशन का नहीं होता है, बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, उसके बाद मालखाने में असलहा रखा रह जाता है, तो इस तरह की जो जटेल प्रक्रिया है, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने समय-समय पर निर्देश दिये हैं, लेकिन उस निर्देश का पालन जिलाधिकारी नहीं कर रहे हैं। उनको कार्रवाई करने में क्या कठिनाई आ रही है शासन अपने निर्देशों का पालन नहीं सुनिश्चित करा पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 3 माह में देना चाहिए, वह नहीं देते हैं और 6 माह में वापस कर देते हैं, यही आपका प्रश्न है। यह प्रश्न हुकुम सिंह जी कर चुके हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अगर 3 माह में नहीं देते हैं तो शासन कार्रवाई नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष-

अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट निरस्त करता है तो उसकी अपील कमिश्नर के यहाँ होती है और फिर वह शासन तक आता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, डी0एम0 निरस्त भी नहीं करता है और वह वहीं पड़ा रहता है, इसका उत्तर मांगा है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार के अनुसार जो नियम हैं उसका पालन होता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपके जनपद में नहीं पालन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ब्योरेवार हुकुम सिंह जी ने सारी बातें रख दी और उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने यह दिया कि मानक का पूरा ख्याल रखा जाता है और नियमों का पालन होता है। उन्होंने कह दिया कि अगर कहीं कोई विशेष परेशानी है तो हमें बता दीजिए तो हम उसको दिखवा लेंगे। वैसे मानक का पालन किया जाता है, अगर आपको कहीं परेशानी है तो उसको लिखकर दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कहीं मानक का पालन नहीं हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कहीं मानक का पालन नहीं हो रहा है। आपको भी मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न, प्रश्न एवं संदर्भ समिति को रिफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको कई माननीय सदस्यों ने गम्भीरता से उठाया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह प्रश्न लगभग हर सत्र में आता है, एक आध लफ्ज आगे-पीछे होकर, हर सरकार में आता है, हम भी अपोजीशन में होते हैं तो हमारा भी यही दबाव होता है, यही जिज्ञासा होती है। मान्यवर, इसमें राज्य सरकार तनिक भी दोषी नहीं है और मैं सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार का इन्वाल्वमेंट इसमें बहुत कम है, जो भी कुछ है, वह केन्द्र सरकार का है, भारत सरकार का है। जो मानक निर्धारित किये गये हैं, उन्हीं के अनुरूप कार्यवाही होती है। यदि व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्तिगत मामला है तो उसे अलग से दिखवाया जा सकता है। हुकुम सिंह जी के लिये भी अलग से दिखवाया जा सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं पुनः बल देता हूँ कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को रिफर कर दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि यह भारत सरकार से मुताल्लिक मामला है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मुझसे ज्यादा तो आप ही समझ रहे हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रश्न हर सत्र में आता है, हर सरकार के समक्ष आता है, स्वयं अपना भी उदाहरण दिया कि जब मैं अपोजीशन में था तो इस तरह का प्रश्न करता था। जब आप समस्या से वाकिफ हैं, इसके कारण जनपदों में होने वाली कठिनाइयों से वाकिफ हैं तो किसी सरकार ने इस पर अपना अभिमत दिया हो या न दिया हो, कार्यवाही की हो या न की हो, मेरा कहना यह है कि इस सरकार को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देने में क्या कष्ट है? जो मृतकों के कारण, वारिसान के कारण मामले ट्रांसफर हो रहे हैं, जिनकी जाँच सही होकर आ गयी हैं, उन प्रकरणों में भी विलम्ब होता है, जबकि यह भी है कि 3 माह के बाद दुबारा जाँच के लिये नहीं भेजा जायेगा। माननीय हुकुम सिंह जी ने यह भी बताया कि इसमें कितना धन सन्निहित है? इसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी स्पष्ट कहने में क्यों असमर्थ हो रहे हैं, इसमें मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिये?

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सन्दर्भ में माननीय नेताओं की बैठक बुला लूँगा, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जी भी रहेगें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जैसा कहा गया कि इसमें धन का मामला है तो उसकी जितनी रोक हो सकती थी, वह की गयी है। माननीय सदस्य की सूचना सही है, उस पर तो बात आ गयी।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठक में पूरी बात आ जायेगी। माननीय तिवारी जी बात आ गयी है। इस पर बैठकर बात कर लेगें, सभी नेता लोग बैठ लेगें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है। आपने बैठक बुलाने की बात तो कर दी है, लेकिन तिथि कुछ नहीं है। इसी जनवरी में ही यह बैठक बुला ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

अच्छी बात है।

इलाहाबाद संगम में गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त रखने की कार्य योजना

***2-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में आगामी माघ मेला को दृष्टिगत रखते हुए संगम में गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

इलाहाबाद नगर में आगामी माघ मेला को दृष्टिगत रखते हुए संगम में गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त रखने की कार्य योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है :-

1 गंगा नदी में मेला अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सिंचाई विभाग द्वारा नरौरा बाँध से अतिरिक्त पानी अवमुक्त करने की व्यवस्था,

2 पर्यावरण विभाग द्वारा डिस्टिलरीज, पेपर मिल तथा अन्य उद्योगों से काली नदी तथा रामगंगा से होते हुए फर्रूखाबाद से नीचे गंगा नदी तक पहुंचने वाले औद्योगिक उत्प्रवाह एवम् कानपुर स्थित टेनरी इकाइयों के उत्प्रवाह की गुणता का समुचित अनुश्रवण एवं नियंत्रण करते हुए नदी के पानी की शुद्धता सुनिश्चित किया जाना,

3 उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों एवं कुम्भ मेला 2001 के दौरान निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों का सुचारू एवम् प्रभावी रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए नदी के पानी में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना। लागू नहीं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आगामी माघ मेला जनवरी में प्रारम्भ हो रहा है और यह एक डेढ़ महीने इलाहाबाद में रहेगा। लाखों की संख्या में प्रदेश और देश से लोग गंगा स्नान, संगम स्नान करने आते हैं। गंगाजल पवित्र रहे और संगम जल पवित्र रहे, इसीलिये यह प्रश्न किया गया है। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ जैसा मंत्री जी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। पहले उन्होंने कहा कि गंगा नदी में मेला अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सिंचाई विभाग द्वार नरौरा बाँध से अतिरिक्त पानी अवमुक्त करने की व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कितना जल वहाँ अवमुक्त कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है। दूसरा उत्तर आपने दिया है कि पर्यावरण विभाग द्वारा डिस्टिलरीज, पेपर मिल तथा अन्य उद्योगों से काली नदी तथा रामगंगा से होते हुए फर्रूखाबाद से नीचे गंगा नदी तक पहुँचने वाले औद्योगिक उत्प्रवाह एवं कानपुर स्थित टेनरी इकाइयों के उत्प्रवाह की गुणवत्ता का समुचित अनुश्रवण एवं नियन्त्रण करते हुए नदी के पानी की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे उत्तर में आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों एवं कुम्भ मेला 2001 के दौरान निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों का सुचारू एवं प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित करते हुए नदी के पानी में प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित किया जाना। मैं जानना चाहता हूँ कि इन तीनों निर्देशों के बाद अभी तक क्या प्रगति हुई है, जिससे गंगा नदी का जल शुद्ध रह सके?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, पहले ही यह बात कही गई है कि आवश्यकतानुसार जितने पानी की वहाँ पर जरूरत होगी, उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। माघ मेला में व्यवस्थाएं तो हमेशा सुनिश्चित की जाती है और इस बार तो समय से पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि जितने एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता होगी, वह पानी नरौरा बाँध से अवमुक्त किया जाएगा और इस सम्बन्ध में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, ताकि जो प्रदूषण होता है, जो गन्दा पानी आता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। माननीय गौर साहब को एहसास भी होगा कि गत्वर्ष जितना इन्तजाम था, जितना स्वच्छ पानी था, ठण्डे पानी से नहाकर बाहर आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अलाव का इन्तजाम था ताकि नहाने के बाद किसी को परेशानी न हो, नगर-निगम द्वारा चाय-काफी के स्टाल लगाये गये थे ताकि लोग चाय-काफी का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, न तो पानी के सिलसिले में और न ही दूसरी व्यवस्थाओं के सिलसिले में और न ही आवभगत करने में किसी प्रकार की कोई कमी होगी।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात की भी कोई समीक्षा कर ली गई है कि नरौरा बाँध से कितना जल छोड़ा जाएगा, जिससे कि गंगा जल में किसी प्रकार का प्रदूषण न रहे और स्वच्छ तथा निर्मल जल स्नानार्थियों को प्राप्त हो सके?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने पानी की व्यवस्था होगी उससे ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह की कोई गन्दगी, कोई मिलावट नहीं होगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहूँगा।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, गंगा जल पवित्र रहे, इसे सरकार सुनिश्चित करेगी लेकिन फिर भी मै बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद के अन्दर साधु-सन्त आन्दोलित हैं। प्रतिवर्ष 20-25 हजार लोग संगम में स्नान करते हैं। इलाहाबाद में दो स्थान हैं, एक मौरी नाला और और दूसरा बख्शी बाँध। मौरी नाले का गन्दा पानी सीधे संगम पर आता है। मैं इलाहाबाद गया था और साधु-सन्तों ने मुझसे इस बात की शिकायत की थी, इसलिए मैं चाहूँगा कि माघ मेले की चिन्ता के साथ-साथ जो लोग हमेशा वहाँ स्नान करने जाते हैं क्या उनके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी? और माघ मेला की व्यवस्था के लिए जो बड़े स्तर की बैठक आप बुलाने जा रहे हैं, क्या उसमें मुझे भी बुलाया जाएगा? इसके अतिरिक्त मुझे जानकारी है कि इसके लिए तीन करोड़ छियालीस लाख रूपया शासन से स्वीकृत हुआ है, जबकि पिछले वर्ष बजट इससे ज्यादा का था, यह बजट क्यों कम कर दिया गया है, क्या सरकार पिछली बार के बराबर बजट देगी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, बजट की कोई कमी नहीं होगी और बैठक में जहाँ तक बुलाने की बात है, मैं अभी से आपको आमन्त्रित करता हूँ। आपने थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है लेकिन वहाँ साधु-सन्त

आन्दोलित हैं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। हाँ,गौर साहब को देखकर थोड़े आन्दोलित हो जाते होंगें लेकिन शांत कर लेते होंगे, क्योंकि वह इतने सक्षम हैं। जब आप जाते होंगें तो खबर बन ही जाती होगी।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमने बजट की बात कही थी, उसका उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

पूरा उत्तर आ गया, मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि पानी प्रदूषित नहीं होने देगें। माघ मेला के बारे में प्रश्न था, उस संबंध में पूरी बात आ गयी है।

अलीगढ़ महानगर में हो रही मार्ग दुर्घटनाओं के रोकथाम की जानकारी

***3-चौ0 महेन्द्र सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ महानगर में 1-1-04 से 31-08-05 तक कितनी मार्ग दुर्घटनायें हुई हैं तथा उनमें कुल कितने लोगों की मौत हुई? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सर्वाधिक दुर्घटनायें किस थाना क्षेत्र में हुई? क्या सरकार उक्त दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अलीगढ़ शहर में दिनांक 1-1-04 से 31-8-05 तक कुल 890 दुर्घटनायें हुई तथा उनमें कुल 501 लोगों की मृत्यु हुई।

सर्वाधिक मार्ग दुर्घटनायें क्वार्सी थाना क्षेत्र में हुई, जिनकी संख्या-95 है।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अलीगढ़ शहर के लिए गति मापक यंत्र प्रदान किया गया है जिसके द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाती है। अलीगढ़ शहर के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दो ब्रीथएनालाइजर उपकरण प्रदान किये गये हैं जिससे यातायात पुलिस जगह-जगह पर यह उपकरण लगाकर चेकिंग करते हैं तथा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस की मोबाइले बनाकर अधिक सवारी भरने वाले तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ चेकिंग लगातार जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जबाव दिया है कि 890 दुर्घटनायें हुई, उनमें कुल 501 लोगों की मृत्यु हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि 501 लोगों की जो मृत्यु हुई है उनमें से कितने लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी है? दूसरा अलीगढ़ शहर के लिए गति मापक यंत्र प्रदान किये गये हैं, मैं मा0 मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि गति मापक यंत्र के आधार पर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है?

श्री अध्यक्ष-

पहले इन दो प्रश्नों का उत्तर आ जाने दीजिए। संसदीय कार्यमंत्री जी, मा0 सदस्य का प्रश्न है कि 501 लोगों की मृत्यु हुई, क्या उन्हें कोई सरकारी अनुदान वगैरह दिया गया? दूसरा प्रश्न यह है कि जो वाहन तेज चलाते हैं, उनमें कितने लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

उत्तर में इंगित है कि कितनों के खिलाफ मुकदमें कायम हुये।

चौधरी महेन्द्र सिंह-

मेरा पूछने का मतलब यह है कि सरकारी व गैर सरकारी वाहनों से कितने-कितने लोगों की मृत्यु हुई है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, लगभग सारे एक्सीडेंट प्राईवेट ही होते हैं। यदा-कदा कहीं सरकारी वाहन से एक्सीडेंट होगी तो उसकी जानकारी अलग से भिजवा देंगें। ट्रक से मोटर कार टकरा गयी या मोटर साईकिल से मोटर साईकिल टकरा गयी तो ऐसे एक्सीडेंट जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हादसे में मारे जाए तो सरकार को इसलिए अनुदान नहीं देना चाहिए कि इससे वह और शराब पीकर तेज वाहन चलायेंगें।

चौधरी महेन्द्र सिंह-

जो ब्रीथएनालाइजर उपकरण लगाये गये हैं उससे चेकिंग के समय पर कितने लोग ऐसे पाये गये जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। अब आप बैठिये।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, यह बड़ा विस्तृत प्रश्न मा0 सदस्य पूँछ रहे हैं। तमाम ड्राइव चलते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, ड्राइव चलाते हैं। तमाम ऐसे वाहनों की जो वगैर नम्बर या लाइसेंस के चला रहे हैं उसको चेक करते हैं यह निरन्तर प्रक्रिया है। जो भी गलत या अवैध रूप से गाड़ी चलाते हैं या मोटर व्हीकिल एक्ट का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसमें यह जरूर आपकी जिज्ञासा सही है कि जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उसकी कई वजूहात हैं। पहली तो यह है कि बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है। अब एक्सीलेटर दबायें तो स्पीड 60 से शुरू होती है और जाती है 150 तक। इसी तरह से जो कारें हैं उनके एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं तो 60-70 से रफ्तार शुरू होती है। असल में जिज्ञासा इसलिये है, क्योंकि उस सरकार में सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से रफ्तार बहुत कम हो गयी थी अब सड़कें अच्छी हो गयी हैं इसलिये रफ्तार ज्यादा हो गयी है।

प्रदेश में पशु तस्करी के कारोबार पर रोक लगाये जाने की मांग

***4-श्री श्याम देव राय चौधरी-**

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में पशु तस्करी का कारोबार चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारोबार पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ, प्रदेश में वर्ष 2005 के मध्य अब तक पशु तस्करी से सम्बन्धित कुल 438 अपराध पंजीकृत हुए हैं।

अपराधियों पर नियंत्रण हेतु थानों पर पिकेट की व्यवस्था कर चेकिंग करायी जाती है। उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1955 व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्राविधानों को कड़ाई से लागू कर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। अन्य कार्य योजना बनाने पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह पशु तस्करी का मामला बहुत गंभीर है। दो तरह से तस्करी की जाती है एक तो रेल गाड़ियों द्वारा और दूसरे ट्रकों के द्वारा। इसमें 438 प्रकरणों का हवाला दिया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमें पंजीकृत हुये हैं। इसमें यह कहीं इंगित नहीं है कि इन 438 अपराधों में पशुओं की संख्या कितनी है जो जब्त किये गये हैं। रेल गाड़ियों के द्वारा जो तस्करी के अपराध पंजीकृत हुये उनकी संख्या क्या थी और जो बाईरोड पकड़े गये उनकी संख्या क्या थी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जो रिपोर्ट है उसमें जनपद वाराणसी में 14 मामलों में 556 पशु बचाये गये। 12 मामलों में आरोप-पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किये गये और 2 मामले विवेचनाधीन हैं। गाजीपुर में 55 मामलों में 632 पशु बचाये गये। 54 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये।

श्री अध्यक्ष-

बेहतर होगा कि आप यह सूचना माननीय सदस्य को लिखकर भिजवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जौनपुर में 10 मामलों में 1746 पशु बचाये गये और 10 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये। चंदौली में 112 मामलों में 1462 पशु बचाये गये और 108 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये और 1 मामले में अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी तथा 3 मामले विवेचनाधीन हैं। जनपद आजमगढ़ में 10 मामले पाये गये जिसमें से 225 पशुओं को बचाया गया। 8 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये और 2 मामले विवेचनाधीन हैं। बलिया में 6 मामले दर्ज किये गये तथा 55 पशु बचाये गये तथा

आरोप-पत्र प्रेषित किये गये। मऊ में 6 मामले दर्ज किये गये जिसमें 60 पशु बचाये गये और 5 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये तथा 1 मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। मिर्जापुर में 15 मामले दर्ज हुये जिसमें 265 पशु बचाये गये और 13 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये तथा 2 मामलों में विवेचना हो रही है। सोनभद्र में 16 मामले दर्ज हुये जिनमें 420 पशु बचाये गये। सभी मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। जनपद संतरविदास नगर भदोही की सूचना "निल" है। मान्यवर, पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन, मेरठ की आख्या के अनुसार मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत में पशुओं की तस्करी एवं कटान एवं गोधन से संबंधित पंजीकृत अभियोजनों की संख्या "शून्य" है। जनपद गाजियाबाद में 5 मामले पंजीकृत हुये जिनमें 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 4 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय को भेजे गये। एक मामला विवेचनाधीन है। सहारनपुर में 35 मुकदमें पंजीकृत हुए 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया 27 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गए 6 मामलों में एफ0आर0 लगाई गई दो मामले विवेचनाधीन हैं। यह इन्साइक्लोपीडिया आपके समय में कहाँ मिलती। मुजफ्फर नगर में 84 मुकदमें पंजीकृत किए गए 175 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एक मामला खारिज किया गया 75 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया चार में एफ0आर0 लगाई गई चार मामले विवेचनाधीन हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ लेकिन अब इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इससे मेरे साथ न्याय नहीं होगा। जब मैंने इतना पढ़ा है तो मैं आगे भी पढ़ूँगा। यह बात उस वक्त कही जाती अब बिना पढ़े मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई-

अगला प्रश्न खतरनाक है इसलिए मंत्री जी समय निकाल रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन की आख्या के अनुसार जनपद देवरिया, बस्ती तथा सन्त कबीर नगर में पशु तस्करी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। गोरखपुर में वर्ष 2005 में अभी तक 11 प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसमें 40 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा इनके कब्जे से 102 गोबंशी पशुओं को बरामद किया गया। महाराजगंज में वर्ष 2005 में 9 मामलों में 33 अभियुक्त प्रकाश मे आए जिनमें 28 को गिरफ्तार किया जा चुका है शेष की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष में कुल 128 गो बंशीय पशुओं को बरामद किया गया। कुशीनगर में इस वर्ष 41 प्रकरण प्रकाश में आए जिसमें कुल 57 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया 8 हाजिर अदालत हुए इन सबके विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई-

मंत्री जी बी0बी0सी0 न्यूज बुलेटिन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैंने पहले ही कहा था लेकिन आपने ही कहा कि पढ़ें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इन अभियुक्तों के कब्जे से 152 गाय, 113 बैल, 49 बछड़ा, 3 बछियाँ, 6 पिकप वाहन, पाँच ट्रक, एक मिनी ट्रक बरामद हुए। सिद्धार्थ नगर में वर्ष 2005 में एक मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 3 गो बंशीय पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन से प्राप्त आख्या के अनुसार उन्नाव में वर्ष 2005 में कुल 4 अभियोग पंजीकृत किए गए जिनमें 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया कुल 77 पशु बरामद किए गए।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विवरण और दे सकते हैं लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, यह जो अनधिकृत पशु बध शालाएं हैं क्या वहाँ भी छापे मारे जाते हैं और वहाँ जो बध के लिए पशु पाए जाते हैं उनको भी जब्त किया जाता है यदि ऐसा है तो कृपया यह भी बताने की कृपा करें?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नियम ऐसा तो है। ऐसे मामलों में कार्यवाही भी होती है। आगे इस पर और कड़ाई करेंगे ऐसा विचार है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने बहुत लम्बा चौड़ा विवरण दिया लेकि न एक समस्या है कि जहाँ पर छापे मारे जाते हैं तो छापे के बाद मिले हुए पशुओं का क्या किया जाय इस बात की व्यवस्था नहीं है? आम तौर पर यह पशु उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों की कस्टडी में दे दिए जाते हैं। आम तौर से ऐसा होता है, मैं यह कह रहा हूँ। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो पशु जब्त किए जाते हैं उनको सरकारी फार्म पर भेजा जाय। काँजी हाउस आपके पास रहे नहीं। जब्त करने के बाद में उनके लिये आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि ऐसी व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अभी पूर्व की व्यवस्था ठीक-ठाक चल रही है अगर कोई कमी नजर आयेगी तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

पूर्व की व्यवस्था क्या है? यही बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आपने खुद ही व्यवस्था बताई की उनकी सुपुर्दगी में दे दिया जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

इससे कोई फायदा नहीं है जब उन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर कभी ऐसा हुआ हो तो हुकुम सिंह जी के दबाव में दिया गया होगा। एक आद मामले ऐसे हो सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो प्रश्न आपने किया है, इस पर बहस से कोई फायदा नहीं। पशु पकड़े जाते हैं तो लोग न्यायालय में चले जाते हैं और न्यायालय से पुन: प्राप्त कर लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जो शख्स खुद मुजिरम है उसकी सुपुर्दगी में देने का सवाल नहीं उठता है। जाहिर है कि पुलिस थाना जिसे बेहतर समझता है कि वहाँ उसकी हिफाजत हो सकती है, वहाँ दे देता है।

श्री हुकुम सिंह-

गोवंश बचाने के उद्देश्य से ही यह प्रश्न किया गया है। मान्यवर, हम यह जानना चाह रहे थे कि जब्त करने के बाद यह पशुओं को कहाँ रखते हैं? क्योंकि इनके पास कोई सही व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप सुझाव दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मैं सुझाव दे रहा हूँ, आप लेने को तैयार नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इनके पास गौचर के लिये स्थान है, पशु पालन के लिये फार्म भी हैं, गौशालाएं यहाँ और विकसित की जा सकती हैं। यह सारी व्यवस्थाएं हैं, इनको विकसित करके जब्त पशुओं को वहाँ पर रखा जा सकता है। आप एक जगह पकड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सुपुर्दगी में दे देते हैं तो इससे फायदा क्या हुआ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, गौशालाएं जो हैं और जिनकी देख-रेख में यह चल रही हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ सदन पर देने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको मालूम है कि किस तरह से इन गौशालाओं का काम चलता है, कैसे इनमें देखभाल हो रही है। इस पर बहस नहीं हो सकती है। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने शस्त्र वाले में कहा कि बैठक बुला ली जायेगी। उसी तरह से इस प्रश्न के बारे में भी आप एक बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगला प्रश्न संजीव दरियाबादी जी का है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बासठ वर्ष करने की मांग

***5-श्री संजीव दरियाबादी (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति क्या सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बासठ साल करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिसूचना संख्या-1098/का-1/2001 दिनांक 28-11-2001 द्वारा राज्य कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष निर्धारित हैं।

नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में गृहकर तथा व्यावसायिक गृहकर लगाने पर विचार

***6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में गृहकर तथा व्यावसायिक गृहकर लगाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं, पूर्व से लागू है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में गृहकर तथा व्यावसायिक गृहकर लगाने पर विचार कर रही है? उत्तर आया है जी नहीं, पूर्व से लागू है। मेरा प्रश्न है कि नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में गृहकर और व्यावसायिक गृहकर जो लागू हैं उसके एसेसमेंट का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का कहना है कि गृहकर और व्यावसायिक गृहकर के एसेसमेंट का आधार क्या है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

धरती पर गृह है इसलिये गृहकर है यही आधार है मान्यवर। और यह बात निराधार नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

साफ जाहिर है कि इनके ग्रह खराब हैं। जब इनके ग्रह खराब हैं तो यह उत्तर भी गलत दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैंने परिभाषा नहीं पूछी है।

श्री अध्यक्ष-

जो पूछना है पूछ लीजिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं जानना चाहता हूँ गाँव का असिसमेंट हाउस का होता है उसकी क्या प्रक्रिया है। उसका हाउस टैक्स कैसे तय करते हैं व्यावसायिक हाउस टैक्स कैसे तय करते हैं?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बड़े शहरों में नगर निगम हाउस टैक्स लगाता है। नगरपालिका परिषद् अलग लगाती है व्यावसायिक का टैक्स अलग है मकान में रहने वालों का अलग है, अगर कहीं ज्यादा लगा हो तो बता दें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

असिसमेंट का आधार क्या है? कैसे गृहकर लगाते हैं?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसका भी एक आधार है। आज साल का पहला दिन है क्यों माहौल संजीदा कर रहे हैं। नगर निगमों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसको घटा बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के आधार पर लगाते हैं कच्चे पक्के के आधार पर लगाते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वह सूची उपलब्ध करा देंगे। कितने बड़े कमरे हैं मकान में, कितना क्षेत्रफल है उसके आधार पर कितना होता है। मुंशी जी वाला हिसाब है नहीं, उसको भिजवा देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी से उनसे जुड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न से संबंधित।

श्री प्रमोद कुमार-

विभाग उन्हीं का है विभाग से संबंधित है। मंत्री जी से संबंधित है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है अगर निगमों का ज्यादा बढ़ा होगा तो वह काट दिया जाएगा। बढ़ा हुआ कम कर दिया जाएगा हुकुम सिंह जी ने भी सुझाव दिया था कार्यमंत्रणा समिति में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जितना असिसमेंट लगाया जाता है उतनी सुविधा नहीं दी जाती है। चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत की सुविधा नहीं दी जाती है। तो जब कोई सुविधा नहीं दी जाती है तो जैसा हुकुम सिंह जी ने सुझाव दिया है कि नगर निगमों का पूरा का पूरा काट दिया जाए।

प्रदेश में मैला ढोने की प्रथा को रोकने हेतु योजना

***7-श्री राम इकबाल सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मैला ढोने की प्रथा को रोकने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त, 2001 में अंगीकृत केन्द्रीय अधिनियम "सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993" के प्राविधानों के उल्लंघन पर शुष्क शौचालय धारकों पर उनके विरूद्ध प्राभियोजन दायर करके दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही आई0एल0सी0एस0 योजना के अन्तगर्त भारत सरकार से प्राप्त ई0डब्ल्यू0एस0 के शौचालय धारकों को अनुदान देकर जल प्रवाहित शौचालय बनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

जनपदों की समस्त निकायों को सम्मिलित करते हुए 61 जनपदों हेतु आई0एल0सी0एस0 को संशोधित परियोजनाएं हुडको के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है। अब तक प्रदेश के 62 जनपदों में 12047 मुकदमें कायम किये जा चुके हैं और 236620 शुष्क शौचालय जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नौकरियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का बैकलाग पूरा करने की माँग

***8-श्री रणवीर राणा (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार नौकरियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का बैकलाग पूरा करने के लिये विशेष भर्ती अभियान चलायेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

रिक्त पदों पर भर्तियों की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसमें नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण के प्राविधान को पूर्णत: लागू किया जा रहा है। भर्ती पर प्रतिबंध नहीं है। अत: बैकलाग को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-8 में भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मेरी रूचि है।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग

***9-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्तमान में कितने न्यायाधीश नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार बड़ी संख्या में लम्बित मुकदमों की संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 81 न्यायाधीश नियुक्त हैं तथा 14 पद रिक्त हैं।

मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, जनता को शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिले लेकिन अदालतों में लम्बित मुकदमों का ढेर लगा है वहां केसों की संख्या कम हो इसकी चिन्ता हम सबको है, होनी भी चाहिए। केसों के निपटने में देरी होती है इससे न्यायपालिका की छवि पर विपरीत असर पड़ता है अदालतों में बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने के लिए सीमित समय में मामलों को निपटाना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कितने मामले हाईकोर्ट में लम्बित हैं?

श्री अध्यक्ष-

यह इससे कहां संबंधित है। आपने प्रश्न किया है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कितने न्यायाधीश नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार बड़ी संख्या में लम्बित मुकदमों की संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी?

डॉ0 अजय कुमार-

क्या सरकार बड़ी संख्या में लम्बित मुकदमों को निपटाने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त

करेगी? कितने मुकदमें लम्बित है? कितने आपराधिक हैं?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

प्रश्न किया गया है कि क्या न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्तमान में कितने न्यायाधीश नियुक्त है तथा कितने पद रिक्त हैं? प्रश्न है कि क्या सरकार बड़ी संख्या में लम्बित मुकदमों की संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी? इसका जो मूल प्रश्न है जो रूह है प्रश्न की, वह यही है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या है और उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी? मान्यवर, यह एक कान्टीनुअस प्रोसेस है, जो जगहें खाली होती रहती हैं, वह भरी जाती रहती है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय में सम्मानित न्यायाधीशों के 14 पद रिक्त हैं। उनके पास इसकी संख्या नहीं है कि कितने लम्बित मुकदमें हैं। जब स्वीकार किया है, आज वादों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और न्यायाधीशों के 14 पद रिक्त हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन संस्तुतियों को जल्दी से प्राप्त करके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जल्दी अनुशंसा भेजेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

सरकार की तरफ से बराबर यह प्रयास किया जाता रहता है कि नियुक्तियाँ जल्दी हों। मैं उसे और देख लूँगा यदि कहीं कोई कमी होगी तो।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अनुरोध किया जाएगा। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए किस तारीख तक यह अनुरोध कर लेगी?

श्री अध्यक्ष-

अनुरोध शीघ्रातिशीघ्र कर लेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अनुरोध की प्रक्रिया तो हमेशा जारी रहती है और हमेशा जारी रहेगी।

जेलरों व जेल अधीक्षकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की मांग

***10-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (अनुपस्थित)-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जेलरों व जेल अधीक्षकों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)-

प्रदेश की संवेदनशील कारागारों पर तैनात जेल अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु स्थायी गनर दिए जाने के संबंध में गृह विभाग से अनुरोध किया गया है।

गृह विभाग से आदेश जारी होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

***11-श्री राम करन आर्य-**

[उसरे मंगल के तारां0 प्र0 सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने की मांग

***12-श्री जियाउद्दीन रिजवी (अनुपस्थित)-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जनपदों में विगत वर्षों की निर्धारित इन्दिरा आवास की संख्या में वर्ष 2005-2006 में बढ़ोत्तरी किये जाने पर सरकार विचार करेगी? क्या इन्दिरा आवास हेतु दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर तीस हजार रूपये करने पर भी सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। योजनान्तर्गत प्रदेश एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। वर्ष 2005-2006 हेतु भारत सरकार द्वारा परिव्यय रू0 431.31 करोड़ तथा भौतिक लक्ष्य 172527 निर्धारित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य में संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत दी जाने वाली धनराशि को रू0 25 हजार से रू0 30 हजार तक किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद आगरा के प्रदूषित जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाये जाने की योजना

***14-डॉ0 राम बाबू हरित (अनुपस्थित)-**

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा को कितना गंगा जल प्रतिदिन दिया जा रहा है? जनपद आगरा में प्रदूषित यमुना जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचनानुसार लगभग 150 क्यूसिक गंगा जल मथुरा स्थित मान्ट ब्रांच

के हरनौल एस्कैप के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित किया जा रहा है।

जी हाँ।

वर्तमान में जीवनी मण्डी प्रथम जलकल एवं सिकन्दरा स्थित द्वितीय जलकल के माध्यम से यमुना नदी का जल शोधन कर आगरा नगर को जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर कम करने की मांग

***15-श्रीमती विद्या चौधरी (अनुपस्थित)-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सहकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर 11% से कम करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)-

जी नहीं।

किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी साख संस्थाओं की ब्याज दरों में संसाधनों की लागत दर, प्रबन्धकीय व्यय एवं रिस्क कास्ट एवं उनकी वित्तीय स्थिति को संज्ञान में रखते हुए परिवर्तन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002-03 में किसानों से चार्ज की जाने वाली ब्याज दरें 14 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी जिन्हें दिनांक 01-10-2003 से घटाकर 11.50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार सहकारी साख संस्थाओं द्वारा ब्याज दरों में 2.50 प्रतिशत की कमी की गयी है।

उ0प्र0 सचिवालय में प्राप्ति व प्रेषण अनुभाग में विधायकों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार किए जाने की व्यवस्था

***16-श्री परमजीत (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय के प्राप्ति व प्रेषण (पत्र प्राप्ति अनुभाग) में विधायकों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग में विधायकों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार किए जाने की व्यवस्था करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 सचिवालय के प्राप्ति व प्रेषण (पत्र प्राप्ति अनुभाग) में माननीय विधायकों के सभी पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर देने से बाल्मीकी समाज को रोजी-रोटी देने की कार्य योजना की जानकारी

***17-डॉ0 अरूण कुमार मेहरोत्रा (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर दिये जाने के कारण बाल्मीकि समाज के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें रोजी-रोटी देने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

जी हाँ।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा शुष्क शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकारों को पुनर्वासन हेतु स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना संचालित की जाती है जिसके अन्तर्गत विमुक्त हुये स्वच्छकारों को बैंक तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार की विभिन्न योजनायें वित्त पोषित की जाती है।

2. विमुक्त स्वच्छकारों को सूडा द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 71 लोगों को ऋण तथा 311 लोगों को प्रशिक्षण कराया गया है।

3. स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजनान्तर्गत बैंकों के सहयोग से रू0 50000.00 तक के लागत की तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से संचालित योजनान्तर्गत रू0 5.00 लाख के ऋण/अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत योजना की लागत का 50% अधिकतम रू0 10000.00 का अनुदान, 15% मार्जिन मनी ऋण, 4% वार्षिक ब्याज दर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को जाती है। कुल 33256 स्वच्छकारों को दिसम्बर, 2007 तक भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वैकल्पिक व्यवसाय में लगाने हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा निम्नवत् कार्य योजना तैयार की गई है।

धनराशि करोड़ में

क्र0 सं0	वर्ष	पुनर्वासन हेतु निर्धारित लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			अनुदान	मा0 मनी ऋण	बैंक ऋण/ स,स,क,ऋण
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	12471	12.471	9.353	40.53
2	2006-07	12471	12.471	9.353	40.53
3	2007-08 (दिसम्बर 2007)	8314	8.314	6.235	27.02
	योग	33256	33.256	24.941	108.08

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-17, डॉ0 अरूण कुमार मेहरोत्रा नहीं है।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-17 पर मेरी रूचि है।

मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव

***18-डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-**

क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

इलेक्ट्रानिक्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इण्डिया, भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना अन्य उपयुक्त स्थानों की अपेक्षा में भारत सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-18, डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी।

श्री प्रमोद कुमार-

आपरेशन मंजनू में गए हैं।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस सदन में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर और उसकी पत्रावली का निरीक्षण करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर तैयार हुआ है? इसी सदन में सरकार द्वारा मेरठ में साफ्ट वेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का वचन दिया जा चुका है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करने के बाद उसका उत्तर भी आ चुका है यह बात भी आ चुकी है कि वेदव्यास पुरी में इसकी स्थापना भी की जा सकती है। यह भी बात आ चुकी है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विचार होगा। मेरा प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? उत्तर आया- जी नहीं। आगे प्रश्न था, यदि हाँ, तो उसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर है-प्रश्न नहीं उठता। साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इण्डिया, भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना अन्य उपयुक्त स्थानों की अपेक्षा में भारत सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो जानकारी चाही है क्या उसकी जानकारी करने के बाद यह उत्तर दिया गया है या सरसरी तौर पर दे दिया गया है। सदन में इसका आश्वासन हुआ है और भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हुई है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्मित कर दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मा0 सदस्य ने कहा है इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से अपने पूर्व के उत्तर को देखते हुए यह उत्तर आया है वह पूरी तरह से उसको देखते हुए आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएँ अनुमन्य हैं जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार स्थान व कुछ चीजें उपलब्ध कराती है। जहाँ तक मेरठ का सवाल है वह दूसरे फेज में भारत सरकार की प्राथमिकताओ में नहीं है। फेज-1 में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और मुरादाबाद है। फेज-2 में कानपुर, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर और गाजियाबाद में इसको स्थापित करने की बात है। उसके लिए तक उत्तर प्रदेश का सवाल है प्रदेश सरकार 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराती है और एक करोड़ रूपये का अनुदान देती है तथा वहाँ पर कुछ वर्ग फुट भवन बनाकर उसकी स्थापना के लिए कुछ अनुदान देती है।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था और उसका जो उत्तर आया है और अनुपूरक के माध्यम से जब मैंने प्रश्न रखे तब मंत्री जी कहते हैं कि मेरठ के बारे में भारत सरकार द्वारा द्वितीय फेज में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जानी है तो जो उत्तर सदन में दिया गया है क्या वह संगत उत्तर है? उत्तर यह होना चाहिए था कि भारत सरकार द्वारा मेरठ में द्वितीय फेज में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का विचार किया गया है। मेरा कहना है कि भारत सरकार सहमत है और मेरठ विकास प्राधिकरण को स्थान चिन्हित करने के लिए कहा गया है। मेरा कहना है कि यह उत्तर गलत है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्मित करने का कष्ट करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है और उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सुविधाएँ उपलब्ध करातो है इसलिए मेरा उत्तर था-जी नहीं। आपने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रश्न पूछा था। लेकिन बाद में हमने आपको स्पष्ट किया कि भारत सरकार के द्वितीय फेज में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरठ में स्थापेत किये जाने की प्राथमिकताओं में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी आपका प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में साफ्टवेयर

टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? इसमें आपका कहना था कि जी नहीं। आपने बताया कि साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना राज्य सरकार से नहीं होती है, इसलिए उनका उत्तर आया कि जी नहीं। चूंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित नहीं है। आपका कहना है कि सदन में उत्तर दिया गया है कि हम भारत सरकार को लिख रहे हैं।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था सरकार से। इस सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। उसके बाद भारत सरकार को पत्र लिखा, उस पर भारत सरकार की सहमति आ गयी, उसके बाद मेरठ में स्थान की खोज की जाने लगी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया, उस सबकी कार्यवाही हो रही है। पहला प्रश्न यह कि प्रदेश सरकार एक करोड़ रूपये और 3 एकड़ जमीन वहाँ के लिए देगी? मान्यवर, मेरा स्पष्ट मत है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्मित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें हम दिखवा लेगें यदि आवश्यकता होगी तो हम इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्मित कर देगें।

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी में प्रह्लाद घाट तिराहे पर निर्मित नलकूप को चालू कराने की मांग

1-श्री श्याम देव राय चौधरी

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कपा करेंगे कि शासन के अर्ध शा0 सं0 पत्र सं0 2978/नो-5-05-65नी/2005, नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 25 अगस्त, 05 द्वारा वाराणसी में प्रह्लाद घाट तिराहे पर वर्ष 2002 में निर्मित नलकूप के जीर्णोद्धार एवं अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धनावंटन करके नलकूप को कब तक चालू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

पूर्वान्चल विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत भैरोनाथ मोहल्ले में नलकूप निर्माण योजना रू0 19.80 लाख नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित की गयी थी जिसके सापेक्ष नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 24-5-99 द्वारा रू0 12.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। नलकूप के प्रस्तावित स्थल पर विवाद होने के कारण श्री श्याम देव राय चौधरी, मा0 विधायक के सुझाव/नये स्थल चयन पर प्रह्लाद घाट तिराहे के निकट प्राइमरी पाठशाला के पास नलकूप का निर्माण वर्ष 2001 में प्रारम्भ कराया गया। स्थल परिवर्तन एवं सामग्री व श्रमिकों की दरों में वृद्धि के कारण यह योजना पुनरीक्षित होकर रू0 28.04 लाख की हो गयी। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 16.04 लाख प्राप्त होने पर योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

(अल्पसूचित प्रश्न सं0-1 सदस्य की रूचि के कारण लिए जाने के पश्चात् जिसे क्रम से लगा दिया गया है, प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।)

वाराणसी नगर की पेयजल पाइप लाइनों को बदलने हेतु शासन से धन की मांग

2-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में तथा शहर के अन्य स्थानों पर प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने हेतु नई पाईप लाइन डालने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है? यदि हाँ, तो उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? क्या सरकार कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखेगी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2003-04 में वाराणसी नगर की पेयजल पाइप लाइनों को बदलने हेतु शासनादेश संख्या-134/नौ-9-2004-165ज/03-टीसी-1, दिनांक-28 फरवरी, 2004 द्वारा रू0 25.00 लाख की धनराशि रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी थी।

उक्त स्वीकृत धनराशि से कोतवाली वार्ड, आदमपुर वार्ड, चौक वार्ड तथा जैतपुरा वार्ड में कुल 2451.70 मीटर जीर्ण-शीर्ण पाइपों को बदल कर नयी पाइप लाइन डाली गयी है।

कराये गये कार्यों की सूची* संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 129 पर।)

लखनऊ स्थित चौक से दुबग्गा के फुटपाथ व सड़क के अतिक्रमण को हटाने की मांग

3-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-108 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित चौक से दुबग्गा तक फुटपाथ तथा सड़क पर अतिक्रमण हटाया गया है? यदि हां, तो कब? क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर पुन: अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

मई, 2005 में।

चौक से दुबग्गा तक की सड़क पी0डब्लू0डी0 की है। इस पर अतिक्रमण पी0डब्लू0डी0, लखनऊ विकास प्राधिकरण व नगर निगम के संयुक्त अभियान व नगर निगम के संयुक्त अभियान के अंतर्गत हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हरदोई, ग्राम गौरा के श्री विजयपाल की भूमि को गाँव के दबंग व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने सम्बन्धी पत्र

4-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई परगना पाली तहसील सवायजपुर के ग्राम गौरा

उदयपुर के निवासी श्री विजयपाल, परशराम पुत्रगण श्री रामलाल, अनुसूचित जाति की खाता खतौनी क्रम संख्या-00206 में अंकित भूमि को उक्त गांव के दबंग व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक श्री राम शरण दास प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का पत्रांक 3080/05 दिनांक 18-3-2005 पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, अपितु प्रकरण में श्री विजयपाल का भूमि विवाद सम्बन्धी एक प्रार्थना-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ के पत्र दिनांक 12-3-05 एवं अन्य माध्यमों से पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी, शाहाबाद से कराई गई। जाँच से पाया गया कि आवेदक व विपक्षी के मध्य जमीन सम्बन्धी विवाद था। इस सम्बन्ध में जमीन की माप कराई गई। भूमि की पैमाइश से विवादित जमीन में आवेदक की कुछ जमीन निकली, जिस पर निशान भी लगवा दिये गये थे, परन्तु आवेदक द्वारा उसमें संतुष्ट न होने के कारण मेड़ को तोड़कर फेंक दिया था व वह लड़ाई-झगड़े पर आमादा हो गया था। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार करते हुए दोनों पक्षों को 107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही कर 116 (3) सीआरपीसी के अन्तर्गत पाबन्द कराया गया था।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम किठाकर की निवासी श्रीमती चन्द्रकला के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन किये जाने की मांग

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम किठाकर पोस्ट पश्चिम गाँव की निवासी श्रीमती चन्द्रकला देवी के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/110373/04 दिनांक 1-10-04 प्रमुख सचिव सहकारिता को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

पत्र में की गयी प्रार्थना का वर्तमान मे प्रभावी नियमों के आधार पर परीक्षण करने पर श्रीमती चन्द्रकला देवी के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

जनपद प्रतापगढ़ के निवासी श्री राम किशोर यादव द्वारा करायी गयी एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही की मांग

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के निवासी श्री राम किशोर यादव ग्राम सदहा की एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनके आदेश संख्या-

सी0एम0/वि0को0/एम0/110275/04 दिनांक 30-9-04 पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ एवं पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/110004/04 दिनांक 24-9-04 प्रमुख सचिव गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में थाना पट्टी में मु0अ0सं0-निल/2004 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ अग्रिम कार्यवाही एवं विवेचना हेतु प्रेषित किया गया था। थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-490/04 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी। विवेचना से अभियोग सही न पाये जाने के कारण विवेचक द्वारा विवेचना अन्तिम रिपोर्ट संख्या-167 दिनांक 17-11-2004 मय जुर्म खारिजा के समाप्त की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम पडरी जबर के श्री घनश्याम के विरूद्ध जाँच कराने की मांग

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के थाना कन्हाई निवासी श्रीमती जमहीरूल निशा ग्राम पडरी जबर के संलग्न शिकायती प्रार्थना पत्र सहित प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री कबा पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/93604/04, दिनांक 14-1-2004 जो श्री घनश्याम के विरूद्ध जाँच कराने के सम्बन्ध में था प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्राप्त शिकायती पत्र की जाँच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराई गयी। प्राप्त आख्या के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को लिखा गया है।

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की मांग

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च न्यायालय में 30 जून, 2005 तक कितने वाद/अपीले/दीवानी/फौजदारी के लम्बित हैं? इन लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिये क्या सरकार न्यायालयों की संख्या बढ़ाने अथवा अतिरिक्त जजों की नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में उच्च न्यायालय में 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार सिविल वादों की कुल संख्या-551630, आपराधिक वादों की कुल संख्या-187151, सिविल अपीलों की कुल लम्बित संख्या-68954 तथा आपराधिक अपीलों की कुल लम्बित संख्या-67191 है।

मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत व्यय की गई धनराशि

10-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत व्यय होने वाली सम्पूर्ण धनराशि का 25% भाग वाटर "रीचार्जिंग" के लिए खर्च किये जाने की नीति बनायी गयी है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2004-05 में जनपद-जौनपुर में इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी? उक्त धनराशि से क्या कोई कार्य योजना बनाई गयी? यदि हाँ, तो कुल कितनी परियोजनायें पूर्ण करायी गयीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2005-06 से क्वालिटी टेस्टिंग एवं वाटर रिचार्जिंग हेतु 20 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु जनपद-जौनपुर में इस कार्य के लिए रू0 16954 लाख की धनराशि मात्राकृत की गई थी।

उक्त धनराशि के सापेक्ष कुल 57 परियोजनाओं की कार्ययोजना जनपद स्तर पर तैयार की गई है। कार्ययोजना का प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने के पश्चात् स्वीकृत कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

11-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अयोध्या जन्मभूमि परिसर का सौंदर्यीकरण कराने की मांग

12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या (फैजाबाद) स्थित राम जन्मभूमि परिसर का सौंदर्यीकरण कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो सौन्दर्यीकरण पर सरकार कितना धन खर्च करेगी तथा प्रस्तावित सौन्दर्यीकरण का प्रारूप क्या होगा?

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में प्राप्त शस्त्र लाइसेंसों के आवेदन पत्रों का निस्तारण

13-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि मुजफ्फरनगर जनपद में 1 जनवरी, 2005 से सितम्बर, 2005 तक शस्त्र लाइसेन्स हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन पत्रों को एक

से अधिक बार पुलिस एवं तहसील द्वारा पुनः जाँच के लिए भेजा गया? पुनः जाँच होने के पश्चात् भी आवेदन पत्रों के निस्तारित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है तथा समय से आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 01 जनवरी, 2005 से सितम्बर, 2005 तक 1890 शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

जिनमें से 897 पुलिस जाँच हेतु पुनः प्रेषित किये गये। तहसील में पुनः जाँच के लिये कोई आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया गया।

शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्रों का निस्तारण, जाँच आख्यायें प्राप्त होने के उपरान्त यथा सम्भव तीन माह में किये जाने की अपेक्षा निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से की गई है। परन्तु पुलिस विभाग से पुनः जाँच उपरान्त प्राप्त प्रश्नगत शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्रों में से 711 का निस्तारण हो चुका है अतः इसके दृष्टिगत किसी के उत्तरदायित्व निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज के प्रवक्ता का अन्यत्र समायोजन करने सम्बन्धी जानकारी

14-श्री हुकुम सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रवक्ता श्री सुन्दर दास द्वारा एक अथवा दो छात्रों को संस्कृत विषय का शिक्षण दिया जा रहा है? क्या शिक्षा मंत्री को यह भी जानकारी है कि पांच से कम छात्र संख्या पर प्रवक्ता रखना शासकीय धन का दुरूपयोग है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रवक्ता का अन्यत्र समायोजन करेगी? यदि हाँ, हो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ। नियमों के अंतर्गत अन्यत्र समायोजन हेतु प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को दिनांक-09-05-2005 को प्रेषित किया गया है।

दिनांक 09-05-05 को प्रस्ताव भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में हुसैनगंज चौराहे से ऐशबाग ओवर ब्रिज के दोनों ओर सड़क पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग

15-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में हुसैनगंज चौराहे से ऐशबाग ओवर ब्रिज के दोनों ओर सड़क पर अवैध रूप से मोटर गाड़ियां, दुकानों का सामान व बिल्डिंग मैटेरियल एवं अन्य अतिक्रमण के कारण यातायात एवं आवागमन में कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ बांसमण्डी चौराहा पर नियमित ट्रैफिक सिपाही की व्यवस्था

16-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बांसमण्डी चौराहा (निकट नाका गुरूद्वारा) लखनऊ पर ट्रैफिक सिपाही के न होने के कारण आये दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आम जनता को घण्टों जाम में फंसे रहने के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चौराहे पर नियमित ट्रैफिक सिपाही की व्यवस्था करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बांसमण्डी चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगायी जाती है, जनशक्ति की कमी के कारण कभी-कभी केवल एक पाली में ड्यूटी लगायी जाती है जिसकी ड्यूटी की अवधि प्रात: 8.00 बजे से 12.00 बजे एवं अपराह्न 16.00 बजे से 20.00 बजे तक होती है। कभी-कभी जुलूस, कानून व्यवस्था की समस्या, सड़कों के निर्माण या अन्य किसी कारणों से विधान सभा मार्ग से जाने वाले यातायात को गुरूगोविन्द सिंह मार्ग पर मोड़ना पड़ता है जिससे वहां भीड़ हो जाती है।

अब इस चौराहे पर दो पाली में ड्यूटी लगायी जाती है।

जिला-बदायूं सहकारी बैंक लि0 के कर्मचारियों की प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण

17-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं के कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका सं0-1149 दिनांक 4-7 94 में दिये गये निर्णय के अनुरूप कर्मचारियों को प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण का लाभ प्रदान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हाँ।

सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं द्वारा दिनांक 8-1-1997 व दिनांक 5-1-1995 द्वारा पदोन्नति के आदेश पारित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

18-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों के 01

अप्रैल, 2004 से संशोधित वेतन भत्ते क्या प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में एक समान दर से लागू किए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी नहीं।

निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 के कार्यालय परिपत्रांक सी-18अधि0 दि0 15-6-2004 द्वारा जिला सहकारी बैंक के कर्मियों के समान दर से पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते दिये जाने विषयक निर्देश निम्न प्रतिबन्धों के अधीन दिये गये थे जिसके अनुरूप 19 बैंकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमोदन किया गया-

(1) जो बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 11(1) का पालन कर रहे हैं।

(2) बैंक का प्रबन्धकीय व्यय कार्यशील पूँजी का 2% अथवा सकल आय का 30% से अधिक न हो।

महिला डिग्री कालेज के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

19-श्री दिलीप कुमार वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत महिला डिग्री कालेज के निर्माण हेतु उसके डिजाइन आगणन एवं निविदा सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है? यदि नहीं, तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण है? छात्राओं की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

प्रश्नगत भूमि पर मा0 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, लखनऊ द्वारा यथा स्थित बनाये रखने के स्थगन आदेश पारित किये गये हैं।

स्थल पर विवाद समाप्त होने के उपरान्त।

जनपद-हरदोई के ग्राम बकवा के विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि

20-श्री अवधेश कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के क्षेत्र पंचायत भरावन के अन्तर्गत ग्राम बकवा को वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा 2004-05 में जवाहर रोजगार तथा दशम वित्त से विकास कार्यों हेतु कितनी धनराशि दी गयी तथा उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये? क्या यह सही है कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य न कराकर फर्जी कार्य दिखाकर धनराशि हड़प ली गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वित्तीय वर्षों में दी गयी धनराशि से कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी जनों एवं ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जनपद हरदोई की क्षेत्र पंचायत भरावन की ग्राम पंचायत बकवा को वित्तीय वर्ष 2003-04 में

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत रूपये 66,560.00 तथा दशम वित्त योजना में रूपये 1,02,093.00 एवं वित्तीय वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत रूपये 1,10,521.00 तथा दशम वित्त योजना में रूपये 1,07,564.00 की धनराशि दी गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त वित्तीय वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के स्थान पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित है। उक्त धनराशि से खड़न्जा निर्माण, पड़न्जा निर्माण, नाली निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं मिट्टी कार्य कराये गये।

जी नहीं।

ग्राम पंचायत बकवा को उक्त वित्तीय वर्षों में दी गयी धनराशि से विकास कार्य कराये गये हैं, जिसका भौतिक सत्यापन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड भरावन द्वारा किया गया है। कराये गये विकास कार्य संतोषजनक पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, लखनऊ की कई एकड़ भूमि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् को हस्तान्तरित करने के निर्णय की जानकारी

21-श्री दिलीप कुमार वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-19 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, लखनऊ की प्रशासकीय बैठक दिनांक 17-5-05 में 656.49 एकड़ भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया था जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या स्वीकृति की कार्यवाही को पूर्ण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में निहित विधिक बिन्दुओं पर विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया गया है, प्राप्त परामर्श के क्रम में परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर के प्रसाद इंस्टीट्यूट पचहटिया के भवनों के मानचित्र पास कराने सम्बन्धी प्रकरण

22-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में प्रसाद इंस्टीट्यूट पचहटिया के सभी भवन नगरीय सीमा में आते हैं? यदि हाँ, तो उन भवनों के निर्माण से पूर्व नियमानुसार क्या मानचित्र पास कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, जौनपुर में प्रसाद इंस्टीट्यूट पचहटिया के निर्माण नगरीय सीमा में नहीं आते हैं, किन्तु विनियमित क्षेत्र, जौनपुर की सीमा में आते हैं।

जी नहीं, भवनों के निर्माण से पूर्व नियमानुसार उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-

1958 की धारा-6 के अन्तर्गत निर्माण की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। अत: उक्त अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के जानकीपुरम् सेक्टर-जे के निवासी श्री जय प्रकाश शुक्ला को कब्जा दिये जाने की मांग

23-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न सं0-18 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जानकीपुरम् (लखनऊ) योजनान्तर्गत सेक्टर-जे में आश्रयहीन भवन सं0-1/790 के आवंटी श्री जय प्रकाश शुक्ला को अन्य आवंटियों की भांति भवन का अनुबन्ध कराने के उपरान्त कब्जा प्रमाण-पत्र दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

श्री जय प्रकाश शुक्ला द्वारा, आवंटित भवन संख्या-1/790 का कब्जा प्राप्त करने के संदर्भ में अभी तक अनुबन्ध आदि की औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गयी हैं। अनुबन्ध आदि की औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त श्री शुक्ला को भवन का कब्जा दे दिया जायेगा।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम-सभा सदकरपुर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत त्रुटिपूर्ण आवंटन में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

24-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत विषय में पूर्व में त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजपाल त्यागी-

सूचना पत्र की जा रही है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना में आवंटित भवन के व्यावसायिक उपयोग करने सम्बन्धी जाँच की मांग

25-श्री बीजू पटनायक-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-146 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना के अन्तर्गत आवास दिये जाने के क्या मापदण्ड निर्धारित है? क्या सरकार को जानकारी है कि

प्रश्नगत आवासधारी न तो पूर्व में भवनहीन थे और न ही इस समय भूमिहीन है तथा उक्त आवास को आवंटी, द्वारा कामर्शियल (व्यवसायिक) उपयोग में लाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करके आवास संबंधी आदेश निरस्त करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड कार्यालय बस्ती के श्री अनिल कुमार दूबे के वेतन भुगतान की मांग

26-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड कार्यालय, बस्ती के कार्यालय आदेश 1354/ग्रा0 अ0 से0/कोर्ट केस/नियुक्ति/2000 दिनांक 20-1-2000 द्वारा श्री अनिल कुमार दूबे की सेवायें समाप्त की गयी थी? यदि हाँ, तो अब तक सदर्भित अवधि का वेतन श्री दूबे को न दिये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार उक्त देय वेतन का भुगतान श्री दूबे को शीघ्र कराने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण अभियन्त्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गंगा प्रसाद पुष्कर)-

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक-19-2-1999 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-बस्ती के कार्यालय आदेश संख्या-1354/ग्रा0अ0से0/ कोर्ट केस/नियुक्ति/ 99-2000, दिनांक-20-01-2000 द्वारा श्री अनिल कुमार दूबे की योगदान आख्या निरस्त की गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक-19-2-1999 के अनुपालन में श्री दूबे द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या दिनांक-08-07-1999 से, योगदान आख्या निरस्त करने की तिथि 20-01-2000 की अवधि में श्री दूबे द्वारा कोई कार्य न किये जाने के कारण वेतन भुगतान का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन परगनाधिकारी मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के श्री अभयराज द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें की जानकारी

27-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन परगनाधिकारी मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी श्री अभयराज के द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा संख्या-85/02 एवं 90/02 थाना पश्चिम शरीरा, जनपद-कौशाम्बी की जाँच कराये जाने हेतु मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा शासन को पत्र संख्या-स-प-सं01468 दिनांक 7-12-2002 प्रेषित किया गया है? क्या यह सत्य है कि इसी संदर्भ में पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-119926 दिनांक 2-03-2005 द्वारा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 07-12-2002 में उल्लिखित प्रतिकूल तथ्यों पर श्री अभयराज तत्कालीन उपजिलाधिकारी, मंझनपुर, इलाहाबाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। चूँकि इस मामले में प्रतिकूल तथ्य मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा शासन के संज्ञान में लाये गये थे। अत: श्री अभयराज द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से अभिमत/संस्तुति उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन के पत्र संख्या-3227/दो-3-22(3)/97, दिनांक 10-10-2005 द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, इन्दिरा नगर लखनऊ की भूमि का कब्जा व किसानों को तत्काल मुआवजे की मांग

28-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना (द्वितीय) लखनऊ हेतु 19 मई, 1984 को भूमि अर्जन की सूचना प्रकाशित की गयी थी परन्तु 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी 1760 एकड़ में से मात्र 172.93 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है? यदि हॉ, तो इस योजना की शेष भूमि का कब्जा लिये जाने एवं किसानों को तत्काल मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ, भूस्वामियों आदि के विरोध के कारण अभी तक मात्र 87.51 एकड़ भूमि का कब्जा परिषद् द्वारा प्राप्त किया गया है।

योजना की शेष भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है एवं किसानों के प्रतिकर हेतु रू0 8.60 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। संबंधित भू-स्वामी जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम में हुए करोड़ों रूपये के घोटाले विषयक-पत्र पर कार्यवाही की मांग

29-श्री नरेन्द्र शिशौदिय

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री श्री नन्द लाल जायसवाल, श्रीमती सुनीता सिंघल, सभासद, लखनऊ नगर निगम एवं अन्य पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 05-09-2005 जो कि थाना प्रभारी, हजरतगंज, लखनऊ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ एवं प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित है जिसमें उ0प्र0 जल विद्युत निगम में हुए करोड़ों रूपये के घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही विषयक है, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जाँच थाना-हजरतगंज, लखनऊ द्वारा की गई है। उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, क्योंकि नियमानुसार विभागीय आरोपों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना दर्ज करने से पूर्व विभागीय कार्यवाही आवश्यक है और प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में कोई विभागीय जाँच हुई नहीं बतायी गयी है तथा पुलिस जाँच से किसी अनियमितता का होना प्रथम दृष्टया नहीं पाया गया है, अत: प्रकरण में पुलिस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण में की गई अवैध नियुक्ति पर कार्यवाही की मांग

30-श्री सदल प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-08-05 जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा अवैध रूप से की गई नियुक्ति की जाँच कराने तथा श्री अनिरूद्ध सिंह, लिपिक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सं0-3408/1994 में पारित आदेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्यानुसार की विनोद कुमार श्रीवास्तव के विनियमितीकरण एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में की गयी शिकायतें निराधार हैं। श्री श्रीवास्तव का विनियमितीकरण/प्रोन्नति नियमानुसार की गई है।

श्री अनिरूद्ध सिंह की नियुक्ति लिपिक के पद पर नियत वेतन पर संविदा के आधार पर की गई है। इनकी संविदा की अवधि दिनाँक 11-12-2005 तक है। श्री सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या 3408/94 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि याची की सेवायें नियमानुसार लिपिक वर्ग में की जाय।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण में लिपिक के पद की कोई मौलिक रिक्ति नहीं है। अत: श्री सिंह को लिपिक के पद पर नियुक्त/विनियमित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष अपील सं0-निल/2004 योजित की गई है, जो लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के श्री अशोक कुमार जगदीशपुरा की पुत्री के साथ हुए बलात्कार में दोषियों को दण्डित करने की जानकारी

31-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैना सिंह पुत्री श्री अशोक कुमार जगदीशपुरा जनपद-

आगरा के साथ 11-8-04 को सचिन वर्मा, योगेन्द्र अली, बिन्टी, साकिर, अरूण लवानिया द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घटना की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कु0 नैन्न सिंह द्वारा दि0 14-8-04 को थाना-न्यू आगरा पर सूचना अंकित करायी गयी कि दि0 11-8-04 को अरूण कुमार, बन्टी उर्फ योगेन्दर, साकिर उर्फ साकिल व सचिन वर्मा द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त सूचना पर उपरोक्त चारों अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 284/04 धारा-376/506/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य अभियुक्त सचिन वर्मा को दिनांक 15-8-04 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, साकिर उर्फ साकिल दिनांक 21-8-04 व अभियुक्त अरूण कुमार दिनांक 14-9-04 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अभियुक्त बन्टी उर्फ योगेन्दर की नामजदगी विवेचना में गलत पायी गयी। अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र सं0-217/04 दि0 14-9-04 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के अध्यासी श्री मुन्नी लाल वर्मा द्वारा रोड पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की मांग

32-श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-78 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के गुरूनानक वार्ड के विशेश्वर नगर के मकान नं0-554ख/8, के अध्यासी (राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुन्नी लाल वर्मा) द्वारा रोड पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं, यह एक निजी कालोनी है। नगर निगम लखनऊ द्वारा जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध स्थान पर सी0सी0 की गली का निर्माण कार्य पूर्व में कराया गया है। निर्मित सी0सी0 गली पर अतिक्रमण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित कानपुर रोड की नालियां व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

33-श्री मनुनाथ नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पावरी पुत्र आशियाना चौराहा के मध्य मार्ग, सेक्टर एच, एस0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ की सड़क एवं नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है? यदि हाँ, तो उक्त सड़क व नालियों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ, पूर्व में इस क्षेत्र के अध्यासियों हेतु सामुदायिक शौचालय बनाये गये थे एवं जलापूर्ति हेतु हैण्ड पम्प लगाये गये थे। क्षेत्रीय मॉग पर इस क्षेत्र में जलापूर्ति की लाइनें डाली गयी हैं एवं सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है। सड़कों पर सीवर एवं पानी की लाइनें डालने तथा आबादियों द्वारा इन सुविधाओं से कनेक्शन लेने के कारण सड़कें एवं नालियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।

आबादियों द्वारा जल एवं मल के कनेक्शन पूर्ण करा लिये जाने के पश्चात् ही सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना उचित होगा। कंक्रीट की सड़कों के निर्माण हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी हैं। सड़क व नालियों की मरम्मत शीघ्र करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अलीगढ़ के ग्राम मुकुन्दपुर में अनधिकृत रूप से निर्मित व्यक्तियों के मकानों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही

34-धी0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम मुकुन्दपुर, थाना-गंगीरी, जनपद-अलीगढ़ में 17-03-05 को दलित समाज के 50 घरों को एस0डी0एम0 कोल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की देखरेख में तोड़ दिया गया था? क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेट जाँच की रिपोर्ट में एस0डी0एम0 व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री उदय शंकर जायसवाल को पूर्णतया दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, [illegible] से आख्या प्राप्त की गई, जिसके अनुसार दिनांक 17-03-2005 को ग्राम मुकन्दपुर [illegible] तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ में अनधिकृत रूप से निर्मित 20 व्यक्तियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है।

जी, नहीं। उक्त जाँच आख्या में एस0डी0एम0 व पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण को दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में कांस्टेबिल के पदों पर चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितता

35-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ माह पूर्व इलाहाबाद जनपद में कांस्टेबिल (सिविल) के पदों पर चयन किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी?- क्या चयन में कुछ अनियमितता प्रकाश में आयी है? यदि हाँ, तो क्या? क्या सरकार भविष्य में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित मानक के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित अंकों को जोड़कर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची बनायी गयी। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के आधार पर सम्पादित चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम इलाहाबाद में इंडिया मार्का हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन सम्बन्धी मा0 मुख्य मंत्री के पत्र की जानकारी

36-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-8-2005 जो विधान सभा क्षेत्रों में इंडिया मार्का हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के बारे में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में की गयी घोषणा के सम्बन्ध में हैं उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता द्वितीय शाखा, उ0प्र0 जल निगम के पत्र सं0 1251/ डब्लू-13/193 दिनांक 17-6-2005 के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय शाखा उ0प्र0, जल निगम, इलाहाबाद ने प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत हैण्डपम्पों की सूची के अनुसार अधिष्ठापित किये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा असहमति व्यक्त की है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को लगाने हेतु कोई निर्देश जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद को जारी कर दिये गये हैं।

जी हाँ।

नगर निगम, इलाहाबाद की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण।

उपरोक्तानुसार निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन थानाध्यक्ष घूरपुर, जनपद-इलाहाबाद श्री मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज न किये जाने का प्रकरण

37-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन थानाध्यक्ष घूरपुर, जनपद-इलाहाबाद मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध दुर्घटना से हुई मृत्यु का मुकदमा न लिखने के संदर्भ में पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम0/112782 दिनांक 11-11-2004 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या पत्र पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत मामले में मा0 न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के तहत धारा-156(3) द0प्र0सं0 दिनांक 03-9-04 के अनुसार अभियोग अ0सं0-371/04 अन्तर्गत धारा-279/337/338/304ए भ0द0वि0 बनाम गोपाल दास केसरवानी के विरूद्ध दिनांक 04-9-04 को पंजीकृत किया गया था। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट संख्या-17/04 दिनांक 20-10-04 को मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

रामानन्द गोयल फूड प्रोजेक्ट मिल, लखनऊ से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम की जानकारी

38-श्री कौशल किशोर-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब परगना महोना के ग्राम नबीकोट में गाटा संख्या-56 में रामानन्द गोयल फूड प्रोजेक्ट नामक मिल स्थापित है? यदि हाँ, तो क्या उक्त चावल मिल मालिकों द्वारा पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मिल से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)-

हाँ।

हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग से वायु प्रदूषण का एक मात्र स्रोत धान की भूसी (हस्क) है, जो सँह-उत्पाद के रूप में जनित होता है। धान की भूसी को बंद चहारदीवारी के अंदर निस्तारित एवं भण्डारित करने की व्यवस्था उद्योग द्वारा की गयी है। दिनांक-10-11-2005 को उद्योग परिसर के अंदर बोर्ड द्वारा किये गये वायु अनुश्रवण के अन्तर्गत परिवेशीय वायु गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत ग्राम बरावन कलां में नालियों की सफाई व अतिक्रमण हटाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

39-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत ग्राम बरावन कलां में नालियों की सफाई व अतिक्रमण हटाये जाने विषयक श्री बीजू पटनायक, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर शासन के नगर विकास-7 के पत्र संख्या -174 सी0एम0/9-7-04 35 एल/2004 दिनांक 10-8-2004 द्वारा नगर निगम, लखनऊ को निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

बरावन कलां गाँव बालागंज वार्ड के अंतर्गत आता है। त्रिलोकी सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल से लेकर शीतला देवी मन्दिर तक अभियान लगाकर सफाई करा दी गयी है। उपरोक्त स्थल पर वर्तमान में कोई जल भराव नहीं है। बरावन कलां ग्राम अविकसित क्षेत्र है। प्रश्नगत क्षेत्र में फुटपाथ पर कोई अस्थायी अतिक्रमण नहीं है। स्थायी अतिक्रमण को चिन्हित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गाँव इस्माइल गंज में खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक कराने की माँग

40-श्री रामचन्द्र यादव तथा श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, लखनऊ की सीमा में पड़ने वाले गाँव इस्माइल गंज में पिछले एक वर्ष से खराब हैण्डपम्प संख्या 510 को जल निगम के अधिकारियों से सम्पर्क करने के बावजूद आज तक ठीक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो हैण्डपम्प को कब तक ठीक करा दिया जायेगा? क्या सरकार इस सम्बन्ध में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत हैण्डपम्प चालू हालत में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम हरीपुर वरदेता के निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की खराब गुणवत्ता एवं निर्धारित समय से कार्य न किये जाने की जाँच

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के ग्राम हरीपुर वरदेता में जल निगम सी0 एण्ड डी0 एस0 अमेठी, सुल्तानपुर शाखा द्वारा निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की खराब गुणवत्ता एवं निर्धारित समय से कार्य नहीं किये जाने की जाँच हेतु प्रश्नकर्ता का

पत्र ख-3/069055 दिनांक 1-7-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

जाँच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कौल अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना में विकलांगों, निराश्रितों आदि को लाभ दिये जाने की जानकारी

42-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कौल अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 व 2004-05 में इन्दिरा आवास योजना में विकलांगों, विधवाओं, निराश्रित तथा अग्निकांड पीड़ित व्यक्तियों का चयन किया गया है? यदि हाँ, तो अब तक कितने लाभार्थियों को इन्दिरा आवास दे दिया गया तथा कितने शेष रह गये? शेष पात्र व्यक्तियों को उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हाँ। जनपद अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कौल के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना में विकलांगों, विधवाओं, निराश्रित तथा अग्निकाण्ड पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2003-04 में 15 एवं 2004-05 में 24 कुल 39 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत सम्बन्धित विकास खण्डों में कोई भी लाभार्थी लाभान्वित किये जाने हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर व लोधा में ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

43-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में विकास खण्ड खण्ड धनीपुर एवं विकास खण्ड-लोधा, जनपद-अलीगढ़ में किन-किन कार्यों को कराये जाने की योजना बनायी गयी है? तथा उक्त योजना में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर में वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत खड़न्जा निर्माण, मिट्टी कार्य, सिल्ट सफाई, बायोगैस की स्थापना का कार्य, कार्य योजना में चयनित किये गये, जिसमें 12 खड़न्जा/मिट्टी कार्य, सिल्ट सफाई कार्य एवं 21 बायोगैस का निर्माण

कराया गया। इसी प्रकार विकास खण्ड लोधा में वित्तीय वर्ष 2004-05 में खड़न्जा/मिट्टी कार्य, आवास निर्माण, हैण्डपम्प स्थापना के कार्य, कार्य योजना में चयनित किये गये, जिसमें 17 खड़न्जा/मिट्टी कार्य, 30 आवास निर्माण, 30 हैण्डपम्प का निर्माण कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कौल क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित हैण्डपम्प स्थापित कराने की मांग

44-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-2005 व 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र 358 कौल, जनपद-अलीगढ़ में विधायक कोटे के अन्तर्गत प्रस्तावित हैण्डपम्प स्थापित करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण तथा इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है? उक्त हैण्डपम्प कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

वर्ष 2004-05 व 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र 358 कौल, जनपद-अलीगढ़ में विधायक कोटे के अन्तर्गत प्रस्तावित 200 हैण्डपम्पों के विरूद्ध 53 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करा दिया गया है।

समस्त 200 हैण्डपम्प के सापेक्ष सितम्बर, 2005 तक 133 हैण्डपम्पों को सूची प्राप्त हो गयी है। 133 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 69 हैण्डपम्पों की सहभागिता की धनराशि प्राप्त हो गयी है। 69 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 53 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। शेष 16 हैण्डपम्प दिसम्बर, 2005 तक अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार विलम्ब के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

मा0 विधायक से शेष हैण्डपम्पों की सूची व उसका अंशदान प्राप्त होने पर समस्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान की जल समस्या के निराकरण हेतु धन की माँग

45-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विगत वर्ष लखनऊ जल संस्थान द्वारा लखनऊ की जल समस्या का निराकरण करने हेतु 30 करोड़ रूपये की माँग की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या लखनऊ जल संस्थान को धन दे दिया गया? यदि हाँ, तो कितना और कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ। प्रश्नगत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु रू0 30.92 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

लखनऊ जल प्रदाय उन्नयन योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 30.9277 करोड़ का प्राविधान कराया गया है, जिसके सापेक्ष लखनऊ को केवल रू0 5.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

लखनऊ के राजाजीपुरम् कालोनी में भारत वर्ष के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी की मूर्ति लगाने की मांग

46-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी को भारत वर्ष के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के नाम पर बनवाया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में उनकी मूर्ति लगाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति हो चुकी है। नगर निगम के विधिवत गठित होने के उपरान्त नगर निगम सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डूडा विभाग को मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में मलिन बस्तियों के सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

47-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डूडा विभाग को मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में मलिन बस्तियों के सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना धन वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में अब तक दिया गया है? उक्त धन से अब तक क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अ- वित्तीय वर्ष 2004-05-रू0-15.82 लाख

ब- वित्तीय वर्ष 2005-06-रू0-15.00 लाख

की धनराशि डूडा, लखनऊ को आवंटित की गई है।

1-ऐशबाग व लेबर कालोनी में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।

2-पाण्डेय का तालाब में बायोगैस संयन्त्र का निर्माण कार्य।

3-गुलजार नगर में नाली खड़न्जा कार्य

4-मौलवीगंज के गौर नगर में नाली व इण्टरलार्किंग पेचमेण्ट निर्माण कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में राजाजीपुरम् के एफ-ब्लाक के भूमिगत पानी के जलाशय के प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

48-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में राजाजीपुरम् के एफ-ब्लाक में विगत कई वर्षों से भूमिगत पानी का जलाशय निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूरा होना प्रस्तावित था तथा इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

प्रश्नगत जलाशय का निर्माण अक्टूबर, 2001 में प्रारम्भ किया गया था, जिसे जून, 2002 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था। धनाभाव के कारण जलाशय के शेष 15 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण नहीं कराया जा सका। दो नलकूपों एवं डाली गई वितरण प्रणाली के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में रू0 45.00 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके प्राप्त होने पर मार्च, 2006 तक अवशेष कार्यों को पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम् आश्रयहीन योजनान्तर्गत कब्जा प्रमाण-पत्र मिलने सम्बन्धी जानकारी

49-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जानकीपुरम् योजना (लखनऊ) के अन्तर्गत सेक्टर-जे आश्रयहीन भवन संख्या 1/792 के आवंटी श्री कमलेश कुमार तथा भवन संख्या 1/793 के आवंटी श्री लवकुश मिश्रा को अन्य आवंटियों की भांति अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराकर कब्जा प्रमाण-पत्र दे दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी कौन है? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये दोनों आवंटियों को कब्जा प्रमाण-पत्र तत्काल दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना स्थित सेक्टर-जे में आश्रयहीन योजनान्तर्गत श्री कमलेश कुमार को आवंटित भवन संख्या : 1/792 एवं श्री लवकुश मिश्रा को आवंटित भवन संख्या 1/793 का कब्जा प्रमाण-पत्र, उनके द्वारा अनुबन्ध आदि की औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के कारण नहीं दिया गया है। उक्त दोनों आवंटियों द्वारा औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें उक्त भवन का कब्जा दिया जायेगा। प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुल्तानपुर के एन0आर0डी0एम0एस0 डाटाबेस सेन्टर में कार्यरत स्टाफ के वेतन व कार्यालय व्यय के भुगतान की मांग

50-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन0आर0डी0एम0एस0 डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर में कार्यरत स्टाफ के जनवरी, 2005 के वेतन में कटौती की गयी एवं मार्च, 05 से वेतन एवं कार्यालय व्यय का भुगतान रोक दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? उक्त मदों में भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र)-

जी हाँ, माह जनवरी, 2005 के वेतन से एक दिवस के वेतन की कटौती सुनामी राहत हेतु केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत स्टाफ से की गयी है, जो माननीय मुख्य मंत्री कोष में भेजी जा चुकी है।

जी हाँ, मुख्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि एन0आर0डी0एम0एस0 डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अत: मुख्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 25-04-2005 के माध्यम से जो कार्य आवंटित किया गया था, उसे केन्द्र के आदेश दिनांक 25-04-2005 द्वारा वैज्ञानिक प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि वैज्ञानिक प्रभारी तत्काल मुख्यालय पर आकर मुख्यालय में ही कार्य प्रारम्भ करें। वैज्ञानिक प्रभारी के द्वारा निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया तथा लगातार बिना किसी लाभदायक कार्य के एवं स्टाफ के साथ सुल्तानपुर में ही जिला स्तर के विविध कार्य सम्पन्न कराते रहें। प्रभारी अधिकारी को केन्द्र से जारी पत्र दिनांक 04-05-2005 के माध्यम से सूचित किया गया था कि यदि वैज्ञानिक प्रभारी मुख्यालय आकर उपस्थिति नहीं देते हैं तो इस अवधि को अनुपस्थिति की अवधि माना जायेगा। अभी तक भी डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। चूँकि वैज्ञानिक प्रभारी एन0आर0डी0एम0एस0 डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर स्वयं मुख्यालय में अपनी उपस्थित नहीं दिये हैं एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन भी उनके द्वारा उपस्थिति सत्यापित करने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना है, अत: सुल्तानपुर डाटाबेस सेन्टर के कार्मिकों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सुल्तानपुर डाटाबेस सेन्टर के भुगतान पर लगभग प्रतिवर्ष 2.50 लाख का व्यय किया जाता है।

वैज्ञानिक प्रभारी, एन0आर0डी0एम0एस0 डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। वैज्ञानिक प्रभारी के द्वारा मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन के उपरान्त इनके भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। वैज्ञानिक प्रभारी को केन्द्र के पत्र दिनांक 29-11-2005 के माध्यम से भी आदेशित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-बलिया के चिलकहर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सड़कों का लेपन कार्य

51-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 की समग्र विकास गाँव योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया की कितनी सड़कें लेपन हेतु स्वीकृत की

गयी तथा कितनी सड़कों का लेपन कार्य करा दिया गया? शेष सड़कों के लेपन हेतु धन कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

बाह्य सहायतित परियोजना ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

प्रश्नगत विधान सभाक्षेत्र की चार सड़कें लेपन हेतु स्वीकृत की गयी हैं, जिसमें से एक सड़क का लेपन कार्य करा दिया गया है।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-बलिया के चिलकहर क्षेत्र में चयनित गांवों की सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों के लेपन कार्यों हेतु धन की माँग

52-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया में वर्ष 2004-05 के समग्र विकास योजना में चयनित गाँवों की सड़कों एव सम्पर्क मार्गों को बनाने तथा लेपन कार्य के लिये धन अवमुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जी नहीं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जौनपुर नगर में गोमती प्रदूषण नियन्त्रण योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों की जानकारी

53-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गोमती प्रदूषण नियंत्रण योजना के अन्तर्गत जौनपुर नगर में किया जा रहा कार्य बन्द है? यदि हाँ, तो क्यों? उक्त कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

अवशेष योजनाओं की स्वीकृति/धनावंटन के अभाव में कार्य बन्द है।

भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने तथा धन अवमुक्त होने पर।

गोमती कार्य योजना में सम्मिलित क्षेत्र तथा स्वीकृत धन

54-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर नगर, गोमती कार्य योजना में सम्मिलित है? यदि हां, तो वहाँ कितने रूपये की कार्य योजना 31-5-05 तक स्वीकृत की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

रू0 377.17 लाख की योजनाएँ राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2005 तक स्वीकृत की गयी।

लागू नहीं।

जनपद-प्रतापगढ़ में चयनित समग्र ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की जानकारी

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2004-05 एवं 2005-2006 में चयनित समग्र ग्राम में निर्धारित नीति के अनुसार मदवार क्या-क्या कार्य किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक जोड़ दिया जायेगा?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को निर्धारित 15 कार्यक्रमों में से सम्पर्क मार्ग, नाली/खड़न्जा निर्माण तथा इंदिरा आवास, कार्यक्रमों को छोड़कर शेष सभी 12 कार्यक्रमों से मानक के अनुसार संतृप्त कर दिया गया है। वर्ष 2005-06 में चयनित समग्र ग्रामों की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है, परन्तु संतृप्तीकरण की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी है।

सीमित संसाधन।

जी नहीं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

मा0 विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की सुरक्षा में लगे अतिरिक्त गनर की अवधि बढ़ाने की मांग

56-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के सुरक्षा हेतु प्राप्त अतिरिक्त गनर की अवधि पूर्व की शर्तों पर निःशुल्क बढ़ाये जाने हेतु आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को/एम0/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन की संख्या-129475 दिनांक 27-7-05 द्वारा दिया गया है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

मा0 विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की सुरक्षा में प्रदत्त अतिरिक्त गनर की अवधि पूर्व शर्तों पर शासनादेश संख्या-4726सी0एम0/6-पु-2-ग/05 दिनांक 7-9-05 द्वारा बढ़ायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के हुमायूँपुर दक्षिणी थाना कोतवाली में दर्ज अपराध में मुल्जिमानों की गिरफ्तारी

57-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-कोतवाली गोरखपुर सदर में अपराध संख्या 507 दिनांक 19-7-04 राजकुमार सिन्हा म0 नं0 सी 141/60 हुमायूँपुर, दक्षिणी थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर द्वारा दर्ज कराया गया था? यदि हाँ, तो उसमें वांछित 11 (ग्यारह) मुल्जिमानों में से कितने गिरफ्तार हुये? शेष की गिरफ्तारी कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

मु0अ0सं0-507/04 वादी राजकुमार सिन्हा द्वारा 07नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-147/323/452/504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग में नामित अभियुक्तों की संख्या-11 न होकर केवल 07 है। इनमें से 04 का जुर्म में सरीक होना नहीं पाया गया। विवेचना से धारा-147/452 का अपराध होना न पाकर धारा 323/504/506 का पाया गया। अवशेष तीन अभियुक्तों रोहित, विवेक एवं अन्शु श्रीवास्तव गिरफ्तार/हाजिर अदालत हुए एवं उनके विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-116/04, दिनांक 01-10-2004 को न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है।

किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत धनराशि के स्थान पर बने मकानों को दिये जाने की माँग

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-67 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि के स्थान पर बने बनाये मकान दिये जाने की संस्तुति प्रदेश सरकार भारत सरकार से करेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जी नहीं।

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना है। योजना के मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-1.6 में मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा ही किये जाने का प्राविधान है। यदि मार्ग निर्देशिका से हटकर बने बनाये मकान इन्दिरा आवास के रूप में दिये जाने की संस्तुति की जाती है, तो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के कम में योजना का मुल उद्देश्य परिवर्तित हो जायेगा।

अलीगढ़ नगर निगम में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की माँग

59-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर निगम में कितने सफाई कर्मचारी

कार्यरत हैं? उसमें कितने स्थायी है और कितने अस्थायी हैं? क्या सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर निगम, अलीगढ़ में 1156 नियमित सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1144 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें 1048 सफाई कर्मचारी स्थायी पद पर कार्यरत हैं तथा 96 सफाई कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। शेष अस्थायी कर्मचारी का परिवीक्षा काल समाप्त हो जाने के उपरान्त सेवाऐं संतोषजनक पाये जाने पर स्थायीकरण किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उ0प्र0 राज्य नियोजन संस्थान, मूल्यांकन प्रभाग लखनऊ, के कर्मियों को उत्तरांचल राज्य भेजे जाने के आदेश

60-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य नियोजन संस्थान, मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ के कितने कर्मियों को वर्ष 2005 में उत्तरांचल राज्य भेजे जाने के आदेश दिये गये थे? क्या मुख्यमंत्री यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में डा0 नैपाल सिंह, मा0 नेता विरोधी दल द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2005 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा अंतिम रूप से उत्तरांचल राज्य हेतु आवंटित सूची के आधार पर मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ के 09 कर्मियों को वर्ष 2005 में उत्तरांचल राज्य भेजे जाने के आदेश दिये गये थे।

जी हाँ।

प्रकरण में कृत कार्यवाही से मा0 नेता विरोधी दल को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

61-श्री कौशल किशोर-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहाँपुर नगर पालिका परिषद् द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत भवनों को तोड़ने पर मुआवजे की माँग

62-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहाँपुर नगर में दिनांक 11-6-2005 को आन्टा चौराहे पर नगर पालिका परिषद्, शाहजहाँपुर के द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओं अभियान के तहत निजी भवनों को तोड़ दिया गया जिससे 13 लोग अजीज, अल्ताफ, मो0 इकबाल, सोहराब, नसीब अहमद, शिव कुमार, पंचम, जमीर अहमद, बसतमउल्लाह, हसमत उल्लाह, सरताज, राजकुमार तथा

छोटे बेघर हो गये? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर मुआवजा दिलवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर पालिका परिषद्, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 11-6-2005 को कचहरी से केरूगंज तक चलाये गये अतिक्रमण हटाओं अभियान के दौरान अन्टा चौराहा स्थित अवैध रूप से कब्जा करके लकड़ी के खोखे एवं अस्थाई टीनशेड को रख कर किया गया अतिक्रमण हटाया गया है। इसमें किसी को बेघर नहीं किया गया है।

जी नहीं। क्योंकि इसमें किसी को बेघर नहीं किया गया है तथा अभियान के दौरान किसी भी निजी भूमि पर बने भवन को नहीं तोड़ा गया है।

जनपद-सीतापुर, थाना-कोतवाली बिसवां के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

63-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली बिसवां जनपद सीतापुर में पंजीकृत अपराध सं0 24/05 में नामजद अभियुक्तों की क्या गिरफ्तारी कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वादिनी श्रीमती अर्शी खान पुत्री मो0 शेख खान मुकाम ईदगाह थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी की तहरीरी सूचना पर दिनांक 8-1-2005 को मु0अ0सं0-24/05 धारा 498ए/323/504/506 भा0दं0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम खान सादाब जमीर पुत्र जमीरूद्दीन, जमीरूद्दीन पुत्र अज्ञात, साजिदा बेगम पत्नी जमीरूद्दीन (सास) नि0-सरावगी टोला बिसवां सीतापुर पंजीकृत हुआ। नामजद अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ से गिरफ्तारी के सम्बन्ध में रिट पिटीशन सं0-403/2005 के माध्यम से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 9-3-05 को प्रेषित करके विवेचना पूर्ण कर ली गई है।

मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

जनपद-सीतापुर के ग्राम-खैराबाद के अभिलेखों में हेराफेरी व आवासीय रूप में परिवर्तित कराकर जमीनों को बेंचने की जाँच

64-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मो0 हनीफ अंसारी, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, खैराबाद, जनपद-सीतापुर द्वारा ग्राम-खैराबाद में तुर्क पट्टी की श्रेणी 5 (प) की भूमि जो कमल किशोर आदि के नाम अंकित है, जिसका क्षे0 1.589 हेक्टेयर है के अभिलेखों में हेराफेरी कराकर व आवासीय रूप में परिवर्तित कराकर उक्त जमीन को बेच दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

खतौनी 1412 फसली में ग्राम खैराबाद (अन्दर नगर पालिका) कमल किशौर इत्यादि के नाम श्रेणी-5 (घ) में 24 किता क्षेत्रफल 1.589 हेक्टेयर भूमि अंकित है। लिपिकीय त्रुटिवश खतौनी की कतिपय प्रविष्टियाँ जिल्द बन्दोबस्त के अनुसार नहीं पाई गई, जिसकी दुरूस्ती कराई जा रही है।

प्रश्नगत भूमि मो0 तुर्क पट्टी खैराबाद स्थित शाश्वत पट्टे की भूमि है, जिसे अभिलिखित खातेदारों द्वारा श्री हाजी नबी हसन इत्यादि के हक में दिनांक 20-6-94 को 1.312 हे0 का पंजीकृत बैनामा किया गया है। नगर पालिका द्वारा भूमि की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि उक्त बैनामे के आधार पर क्रेतागण के पक्ष में दिनांक 16-10-94 को दाखिल खारिज कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

जी हाँ।

प्राथमिकता के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बागपत के विकास खण्ड छपरौली व बड़ौत में चयनित समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँव

65-डॉ0 अजय कुमार-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बागपत में वित्तीय वर्ष 2004-05 में कितने ग्राम "समग्र ग्राम विकास" के अन्तर्गत चयनित विकास खण्ड छपरौली व बड़ौत के सभी ग्रामों को सभी मदों में संतृप्त कराकर सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

प्रश्नगत दो विकास खण्डों में वर्ष 2004-05 में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत पाँच-पाँच ग्राम चयनित किये गये हैं। विकास खण्ड छपरौली का एक ग्राम सम्पर्क मार्ग छोड़कर शेष सभी 14 कार्यक्रमों से तथा अन्य 9 ग्राम सभी 15 कार्यक्रमों से संतृप्त कराकर उनका सत्यापन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर भूमि विकास मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री राकेश तिवारी को स्थानान्तरण की माँग

66-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भूमि विकास बैंक के मण्डल क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर श्री राकेश तिवारी मण्डल के ही मूल निवासी हैं और गृह मण्डल में ही तैनात हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर एवं महराजगंज के जिला सहकारी बैंक का विभाजन

67-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर एव0 महाराजगंज जनपदों का विभाजन 16 वर्षों पूर्व किया गया था, क्या जिला सहकारी बैंक का विभाजन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? बैंक का विभाजन कब तक करा दिया जायेगा?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हाँ।

जी नहीं।

जिला सहकारी बैंक लि0 गोरखपुर वर्ष 1998 से बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) के प्राविधानों की पूर्ति नहीं कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में घपले के संबंध में पत्र

68-श्री जयराम विमल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में हुये करोड़ों रूपये के घपलों के सम्बन्ध में श्री राम जी शुक्ल मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 04-03-2005, 44 संलग्नों सहित प्रमुख सचिव, सहकारिता उ0प्र0 एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हाँ। विषयाधीन पत्र श्री पन्ना लाल, भारतीय अध्यक्ष, कोआपरेटिव बैंक वर्कर्स यूनियन उ0प्र0 के शिकायती पत्र दि0 2-5-2005 के साथ संलग्नकों के रूप में प्राप्त हुआ था।

जाँच के आधार पर बैंक की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर दिया गया है एवं अनियमितताओं के लिए दोषी तत्कालीन सचिव के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38 के अधीन बैंक सेवा से पृथक करने हेतु नोटिस दी गई थी, जिसके क्रम में सचिव द्वारा स्वत: त्याग पत्र दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी नगर सहकारी बैंक, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच

69-श्री जयराम विमल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ में

हुये करोड़ों रूपये के घपलों की जाँचोपरान्त उपनिबन्धक, सहकारिता (केन्द्रीय) लखनऊ मण्डल ने अपने आरोप-पत्र संख्या 5472-75/अर्बन बैंक/दिनांक 22-01-05 एवं पत्रांक 8910-18/अर्बन बैंक/धारा-35 (2) दिनांक 21 मार्च, 2005 के द्वारा बैंक की प्रबन्ध समिति को निलम्बित किया था? यदि हाँ, तो प्रबन्ध समिति के विरूद्ध लगाये गये आरोप क्या हैं? क्या इसके लिये दोषी/उत्तरदायी बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हाँ।

बैंक के 3 अधिकारियों को 58 वर्ष अधिवर्षता आयु के अधिक आयु होने पर भी बैंक सेवा में उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के प्राविधानों के विपरीत बनाये रखना।

2- बैंक को निबन्धक द्वारा अर्बन कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की भर्ती आदि के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न परिपत्र संख्या-सी-74 दि0 16-11-84 के विपरीत नियुक्तियाँ करना।

3- निबन्धक की बिना अनुमति प्राप्त किये बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी करना।

4- बैंक का प्रबन्धकीय व्यय निर्धारित मानकों से अधिक रखना।

5- बैंक में ऋण वितरण हेतु कोई नीति निर्धारित न करना।

6- ऋण वितरण में अनियमितता करना आदि।

जाँच के आधार पर बैंक की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर दिया गया है एवं अनियमितता के लिए दोषी तत्कालीन सचिव के विरूद्ध उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 38 के अधीन बैंक सेवा से पृथक करने हेतु नोटिस दे दी गयी थी जिसके क्रम में सचिव द्वारा स्वत: त्याग पत्र दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दूसरे गुरूवार के अता0प्र0सं0-101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-शाहजहाँपुर के श्री साधूराम गंगवार निवासी ग्राम-लखोआ के विरूद्ध अपहरण की शिकायत

71-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि पीर मोहम्मद अंसारी नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तिलहर ने साधूराम गंगवार निवासी ग्राम लखोआ थाना-तिलहर जनपद शाहजहाँपुर पर अपहरण की शिकायत/जाँच के सम्बन्ध में रजि0 डाक द्वारा दि0 25-5-05 को भेजा गया पत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली, महानिरीक्षक बरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

श्री साधूराम गंगवार निवासी-लखोआ थाना-तिलहर, शाहजहाँपुर के अपहरण के संबंध में थाना

तिलहर पर मु0अ0सं0-208/05 धारा 364 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत है। अपहृत की शीघ्र बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[1के गुरूवार के अता0प्र0सं0-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-फैजाबाद के खण्डासा बाजार कस्बे में एक पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की माँग

73-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-3-2005 जो जनपद फैजाबाद में स्थित थाना खण्डासा के अन्तर्गत खण्डासा बाजार कस्बे में एक पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद के थाना-खण्डासा के अन्तर्गत कस्बा खण्डासा में शासन के पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 द्वारा रिपो0 पुलिस चौकी की स्थापना के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फैजाबाद क्षेत्र मिल्कीपुर में ग्रामीण प्रेस क्लब भवन के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की माँग

74-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में ग्रामीण प्रेस क्लब भवन के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-11-04 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जनपद फैजाबाद मुख्यालय पर पहले से ही प्रेस क्लब स्थापित है, जहाँ जनपद मुख्यालय तथा ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों तथा प्रेस द्वारा विविध कार्यक्रम यथा प्रेस से मिलिए आदि का आयोजन होता है। अत: ग्रामीण क्षेत्र में एक अन्य प्रेस क्लब की स्थापना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर जी0 के आवासों में नाली, सीवर एवं सड़क का कार्य कराने की माँग

75-श्री राम करन आर्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत स्थान पर जल संस्थान विभाग द्वारा पाईप लाईन डाल दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

बदायूँ के ग्राम मानपुर त्रिलोक/शिवराजपुर मार्ग पर पुलिया बनवाने विषयक पत्र

76-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम मानपुर त्रिलोक/शिवराजपुर मार्ग पर पुलिया बनवाने विषयक माननीय मुख्यमंत्री का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को/एम0-/130211/05 दिनांक 4-8-05 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हाँ।

सड़क लोक निर्माण विभाग ने बनायी थी तथा पुलिया मण्डी, परिषद्, बदायूँ द्वारा प्रगति पर है। चूँकि पत्र प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है, इसलिए मा0 विधायक जी के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर मुख्य विकास अधिकारी को तत्काल नियमानुसार कार्यवाही एवं वांछित जाँच कराने के लिए लिखा गया है।

पूर्वी बरेली के थाना फतेहगंज के अभियुक्त अजय मिश्रा के विरूद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच कराने से संबंधित पत्र

77-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0अ0सं0 227/05 थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली की जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री का पत्र सं0/सी0एम0/वि0को0/एम0-129853/2005 दिनांक 1-8-05 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र दि0-1-8-2005 पर सम्यक विचारोपरान्त मु0अ0सं0-227/05 की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने का औचित्य नहीं पाया गया।

उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त अजय मिश्रा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर उसके गिरफ्तार करने का निरन्तर प्रयास किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण उसके विरूद्ध धारा 82 द0प्र0सं0 की कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गाजीपुर के थाना दिलदार नगर में दहेज न देने पर रूक्साना बेगम को जलाकर मार डालने सम्बन्धी पंजीकृत अपराध

78-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के निवासी मुहम्मद फारूख पुत्र श्री मो0 हनीफ, यूसुफपुर गंज वार्ड-11 थाना मुहम्मदाबाद द्वारा दिनांक 11-5-2005 को पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को सम्बोधित पंजीकृत पत्र जो अपनी पुत्री रूखसाना बेगम को दहेज न देने पर शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने के कारण श्री अतहर अली पुत्र मजहर अली निवासी रंकसहा, थाना दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर के विरूद्ध अपराध पंजीकृत करने के सम्बन्ध में था? यदि हाँ, तो क्या उक्त मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जाँच से यह पाया गया कि मुहम्मद फारूख पुत्र हनीफ अपनी लड़की रूखसाना बेगम की शादी दिनांक 19-2-2003 को अतहर अली पुत्र मजहर अली निवासी ग्राम रंकसहा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर के साथ किया था। दिनांक 08-5-05 को आवेदक की लड़की रूखसाना बेगम की मृत्यु इसके ससुराल ग्राम रंकसहा में हो गयी। रूखसाना बेगम की मृत्यु की सूचना आवेदक को दी गयी। आवेदक मुहम्मद फारूख अपने परिवार के साथ अपनी लड़की रूखसाना के ससुराल गये, वहाँ रूखसाना बेगम की लाश जली हुई अवस्था में पाये। आवेदक लाश को देखकर होश हवाश खो बैठा तथा उसको लगा कि ससुराल पक्ष के मजहर अली तथा उसके परिवार के लोगों द्वारा रूखसाना बेगम की हत्या कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिये हैं परन्तु बाद में जब आवेदक मुहम्मद फारूख को इस बात की सही जानकारी हो गई थी कि उसकी लड़की रूखसाना बेगम की मृत्यु खाना बनाते समय स्टोव की लौ से आग लगने से हुई है। आवेदक की लड़की रूखसाना बेगम के ससुराल वालों ने रूखसाना बेगम की जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश की परन्तु रूखसाना बेगम की जान बचाने में असफल रहे। आवेदक द्वारा बताया गया कि उसकी लड़की रूखसाना बेगम की हत्या नहीं हुई थी। आवेदक तथा विपक्षी मजहर अली ने आपस में दिनांक 09-6-05 को पंचायतम सुलह समझौता कर लिया है। आवेदक इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

जनपद-लखनऊ कैन्ट हसनगंज में दलित उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जानकारी

79-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना काकोरी, कैन्ट, हसनगंज में 1 जनवरी, 04 से 30-9-05 तक दलित उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज किये गये हैं तथा कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गये?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद लखनऊ के थाना काकोरी, कैन्ट, हसनगंज में 01 जनवरी, 2004 से 30-9-2005 तक की अवधि में दलित उत्पीड़न के दर्ज किये गये मामलों तथा दाखिल किये गये आरोप-पत्र के विवरण निम्नवत् हैं :-

थाना	दर्ज मामलों की संख्या	भेजे गये आरोप पत्र की संख्या	विवेचनाधीन मामलों की संख्या
1-काकोरी	28	20	08
2-कैन्ट	03	03	--
3-हसनगंज	01	--	01

80-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पीलीभीत, शाहजहांपुर व अन्य जिलों के पुलिस उपनिरीक्षक को मूल तैनाती पर वापस किये जाने की माँग

81-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, हरदोई जिलों के कितने ऐसे पुलिस उपनिरीक्षक हैं जो पुलिस मुख्यालय (डी0जी0पी0) कार्यालय में सम्बद्ध है? क्या सरकार इन्हें अपनी मूल तैनाती पर वापस करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पुलिस मुख्यालय (डी0जी0पी0) कार्यालय में जनपद पीलीभीत से 01एवं जनपद बाराबंकी सं01 उपनिरीक्षक सम्बद्ध होकर कार्यरत हैं। जनपद शाहजहाँपुर लखीमपुर खीरी एवं हरदोई से कोई उपनिरीक्षक सम्बद्ध नहीं है।

जी नहीं।

मुख्यालय में प्रदेश की शान्ति एवं व्यवस्था के दृष्टिगत महत्वपूर्ण अनुभागों में मुख्यालय में सम्बद्ध उपनिरीक्षक द्वारा महत्वपूर्ण/संवेदनशील कार्यों में भूमिका निभायी जा रही है। सम्बद्ध उपनिरीक्षकों की उपयोगिता कम होने पर सम्बन्धित जनपद के अधिकारी एवं सम्बद्ध उपनिरीक्षकों द्वारा सम्बद्धता समाप्त

किये जाने का अनुरोध करने पर अथवा उनके कार्य के प्रति शिथिलता, शिकायत मिलने पर उन्हें वापस किया जाता है।

जिला संत कबीर नगर की नगर पंचायत कार्यालय हरिहरपुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति का प्रकरण

82-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-संत कबीर नगर की नगर पंचायत, हरिहरपुर के नगर पंचायत कार्यालय में किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत पदों के अनुरूप कर्मचारी तैनात है? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर पंचायत कार्यालय हरिहरपुर जिला संत कबीर नगर में केन्द्रीयित संवर्ग के अधिशासी अधिकारी का 01 पद तथा अकेन्द्रीयित सेवा के संवर्ग "ग" (लिपिक) के 02 पद, संवर्ग "घ" (चतुर्थ श्रेणी/चपरासी) का 01 पद तथा सफाई कर्मचारी के 03 पद स्वीकृत हैं।

जी हाँ। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 01 अधिशासी अधिकारी 02 लिपिक, 01 चपरासी तथा 03 सफाई कर्मचारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

83-श्री संजीव दरियाबादी-

[कई विभागों से सम्बिन्धत होने के कारण निरस्त]

जिला लखनऊ, उ0प्र0 आवास विकास परिषद् में इन्दिरा नगर विस्तार योजना में अधिग्रहीत खसरों की भूमि का कब्जा लिये जाने का प्रकरण

84-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 2005 तक उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा ग्राम-इस्माइलगंज, परगना व तहसील व जिला-लखनऊ में किन-किन खसरों की भूमि को इन्दिरा नगर योजना एवं इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ हेतु अधिग्रहीत किया गया तथा किन-किन खसरों की भूमि का कब्जा ले लिया गया है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा ग्राम इस्माइलगंज, परगना व तहसील व जिला लखनऊ की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ हेतु 255 खसरों की 155-17-18 बीघा भूमि तथा इन्दिरानगर विस्तार योजना हेतु 417 खसरों की 558-12-1 बीघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में 255 खसरों की कुल 155-17-18 बीघा भूमि तथा इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में 414 खसरों की कुल 546-11-14-10 बीघा भूमि का कब्जा परिषद्

को विभिन्न तिथियों में प्राप्त हो चुका है। उक्त अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त खसरों की विस्तृत सूची उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ कार्यालय में उपलब्ध है।

उप जिलाधिकारी पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम समाज की भूमि के संबंध में लिये गये निर्णयों की जाँच कराने सम्बन्धी पत्र

85-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा लगभग 70 करोड़ बाजार मूल्य की ग्राम समाज की भूमि चारागाह, तालाब, रिजर्व लैण्ड जो ग्राम नीमा, रामगंज, सदहा, विनयका, तरदहा, मदाफरपुर सहित अन्य ग्रामों के संबंध में उनके द्वारा किये गये नियम विरूद्ध निर्णयों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/271441, 271442, दिनांक 21-6-05 पत्र संख्या-क-1/233618 दिनाँक 16-6-05 एवं पत्र संख्या-ख-3-/271425 दिनाँक 1-7-05 प्रमुख सचिव, नियुक्ति को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/271441 दि0 21-6-05 व क-1/233618 दिनांक 16-6-05 प्राप्त हुआ किन्तु पत्र संख्या-ख-3/271442 दिनांक 21-6-05 एवं ख-3/271425 दिनाँक 1-7-05 नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण जाँच हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को संदर्भित किया गया। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वित/राजस्व) से जाँच करायी गई। जाँच से कोई अनियमितता प्रकाशमान नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फैजाबाद के अमानीगंज में पेयजल की समस्या

86-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 25-12-03 को जनपद के भ्रमण के समय 50 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन अब तक न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 21-12-04 उन्हें प्राप्त हुआ है?- यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हाँ। प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य का पत्र मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा दिनाँक 25-12-2003 को की गई घोषणा के अनुपालन के सम्बन्ध में था।

मा0 मंत्री जी की घोषणा की तिथि के पश्चात् दिनाँक 31-10-05 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकास खण्ड अमानीगंज जनपद-फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 425 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

मैनपुरी के श्री ग्रिजेश पाण्डेय के विरूद्ध पंजीकृत शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही

87-श्री शमीमुल हक-

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि लालाराम कां0 द्वारा थाना कोतवाली मैनपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-66/05 दिनाँक 17-02-2005 को ग्रिजेश कुमार पुत्र विद्यासागर के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 में पंजीकृत कराई गई थी? क्या यह सत्य है कि ग्रिजेश कुमार को दोषी पाये जाने पर उनका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2745/जी0एस0/2001 (डी0बी0वी0एल0) निरस्त कर दिया गया था? यदि हाँ, तो प्राथमिकी पंजीकृत होने के बाद अब तक क्या मुल्जिमों की गिरफ्तारी की गई है? क्या विवेचना अधिकारी द्वारा मा0 न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

कान्स0 लालाराम द्वारा ग्रिजेश पाण्डेय के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0-66/05 मु0अ0सं0-112/05 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना-कोतवाली, मैनपुरी पर पंजीकृत कराया गया था।

जी हाँ।

श्री ग्रिजेश पाण्डेय के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त उनके शस्त्र लाईसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी जो वाद संख्या 134/2005 पर जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना के मध्य चालान योग्य साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचक द्वारा इस अभियोग को अंतिम रिपोर्ट सं0-74 दि0 11-6-2005 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

जनपद-फैजाबाद में सम्पर्क मार्गों के निर्माण की माँग

88-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 25-8-05 एवं दिनाँक 21-9-05 जो आदर्श जनपद योजना में त्वरित योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 विधायक का दिनाँक 25 अगस्त, 2005 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मा0 विधायक का दिनाँक रहित एक पत्र 25 अगस्त, 2005 को प्राप्त हुआ है। इस पत्र में आदर्श जनपद योजना के अधीन 11 कार्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी। आदर्श जनपद योजना की कार्य योजना के आधार पर

उक्त पत्र में उल्लिखित कार्यों में से 2 कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

मा0 विधायक का दिनाँक 21-9-05 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें त्वरित आर्थिक विकास योजना में 5 सड़कों से संबंधित कार्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस पत्र में उल्लिखित कार्यों को लोक निर्माण विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-उन्नाव के श्री सतीश कुमार दीक्षित, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच

89-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनाँक 23-8-05 एवं 13-9-05 जो प्रश्नकर्ता का पत्र बावत श्री सतीश कुमार दीक्षित, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) उन्नाव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा इनकी उक्त पद पर पुनर्नियुक्ति को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, उन्नाव को जाँच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री राम करन आर्य-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-सुल्तानपुर के ग्राम-सभा फैजुल्लापुर को जवाहर रोजगार योजना व इन्दिरा आवास योजना में प्राप्त धनराशि के दुरूपयोग की जाँच कराने की माँग

91-श्री राम करन आर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर अन्तर्गत ग्राम सभा फैजुल्लापुर को विगत 10 वर्षों में कितना धन जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना मद में प्राप्त हुआ तथा उसका उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है? क्या यह सही है कि उपलब्ध कराई गई धनराशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जनपद सुल्तानपुर के परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर के विकास खण्ड अखण्डनगर की ग्राम पंचायत मीरपुर प्रतापपुर का राजस्व ग्राम फैजुल्लापुर है। जो भी धनराशि प्राप्त होती है वह ग्राम पंचायत

मीरपुर प्रतापपुर के नाम से उपलब्ध कराई जाती है। विगत 10 वर्षों में जवाहर रोजगार योजना तथा उसकी समाप्ति के पश्चात् उसके स्थान पर चालू की गयी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 13,76,507 प्राप्त हुआ। उक्त के सापेक्ष राजस्व ग्राम फैजुल्लापुर में खड़न्जा मरम्मत, खड़न्जा निर्माण, मिट्टी कार्य, पटरी निर्माण, शौचालय हेतु दरवाजा/सामग्री क्रय, नाली निर्माण प्रा0 पाठशाला में फर्श/दरवाजा/खिड़की निर्माण, ह्यूम पाइप क्रय, शौचालय निर्माण, पौध क्रय, बोर्ड निर्माण आदि कार्य कराते हुए रू0 7,97,151.00 व्यय किया गया।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत विगत 10 वर्षों में राजस्व ग्राम फैजुल्लापुर में रू0 6,12,000 प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 38 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास प्राप्त कराया गया।

धनराशि का दुरूपयोग प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री राम करन आर्य-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

जनपद-जालौन, ग्राम सरसई के श्री विजय कुमार को विवेकाधीन कोष से उपचार हेतु प्राप्त धन की जानकारी

93-डॉ0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क-3-201771, दिनाँक 6-6-2005 जो श्री विजय कुमार पुत्र बहोरन निवासी ग्राम सरसई विकास खण्ड महेवा जनपद जालौन जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, को विवेकाधीन कोष से सहायता राशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

रोगी के उपचार हेतु रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में स्थित ओंकार नगरीय सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय

94-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार को निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित ओंकार, नगरीय सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या यह सही है कि बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हाँ। प्रबन्ध कमेटी की बैठक दि0 29-7-2005 के प्रस्ताव संख्या-3 द्वारा बैंक के जमा निक्षेप एवं अंशपूँजी बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 में की गयी व्यवस्था के अनुरूप बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कर्मियों के यात्रा भत्ता का भुगतान

95-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनॉक 6-8-04 जो नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के उत्तर में मा0 संसदीय मंत्री जी ने अपने अ0शा0प0सं0-4627/6पु0-7-125/2004 दिनाँक 18-10-2004 के माध्यम से अवगत कराया था कि गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कर्मियों को जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2002 के बीच यात्रा भत्ता का भुगतान करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय से जानकारी की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या इन बिलों का भुगतान करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कर्मियों यात्रा भत्ता के बिल कालातीत हो जाने के कारण नियमानुसार भुगतान पूर्व सम्परीक्षा की अनुमति हेतु शासन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित शासनादेश की व्यवस्थानुसार कालातीत यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान पूर्व समपरीक्षा की अनुमति शासन के पत्र संख्या-4349/6-पु-1-05-152/04 दिनॉक 1-12-05 द्वारा दे दी गयी है। भुगतान की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर कार्यालय द्वारा की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित खुर्रमनगर चौराहे से शिवानी बिहार मन्दिर तक पक्की सड़क व नाली बनाये जाने की माँग

96-डॉ0 अजय कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुर्रमनगर चौराहा, लखनऊ में "बी-6" ब्लाक शिवानी बिहार, पीपल पेड़ के नीचे स्थिति मन्दिर तक क्षतिग्रस्त पक्की सड़क को लेपन स्तर तक बनाया जाना प्रस्तावित था? क्या मई/जून, 2005 मे नालियां बनाकर उक्त सड़क बनाई गई थी? क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर से पूर्व मात्र 100 फीट सड़क को छोड़ दिया गया है? क्या सरकार उक्त अधूरी सड़क को मन्दिर तक बनवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनी है। मूल प्रस्ताव पर पीपल पेड़ के नीचे स्थित मंदिर तक

क्षतिग्रस्त पक्की सड़क का लेपन स्तर तक बनाया जाना प्रस्तावित नहीं था, बल्कि खुर्रमनगर चौराहा, पिकनिक स्पाट रोड, अवरार नगर मोड़ से शिवानी बिहार 'बी' ब्लाक की मुख्य सड़क बनाने का प्राविधान था।

उक्त मार्ग पर जल निकासी हेतु नालियाँ लगभग 20 मीटर बनाई गयी थी।

मूल प्रस्ताव में उक्त सड़क का प्राविधान नहीं था।

जी हाँ।

धन की उपलब्धता पर। उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। जिनके द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं किया जाता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की प्रारम्भिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इनका संचालन निगम द्वारा राज्य सरकार से, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, प्राप्त धनराशि तथा अपने संसाधनों व स्रोतों से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। नागर स्थानीय निकायों के दायित्वों व कर्तव्यों के क्षेत्र में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के शिवानी बिहार से कल्याणपुर के ब्लाकों से दूध की डेयरियों को हटाने की माँग

97-डॉ0 अजय कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी बिहार "ए" तथा "बी" ब्लाक, कल्याणपुर, लखनऊ में वर्तमान में कितनी दूध डेयरी संचालित है? क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों में दूध डेयरियों का संचालन होने के कारण सड़कों पर गन्दगी व्याप्त रहती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करके दूध की डेयरियों को हटायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ। केवल आठ।

जी हाँ।

जी हाँ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मलिन बस्तियों में कराये गये विकास कार्यों की जानकारी

98-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये जाते हैं? क्या उन कार्यों के प्रस्ताव क्षेत्रीय विधायकों से मांगने का प्राविधान है? यदि हाँ, तो कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002-03, 2003-04 व 2004-05 में उक्त प्रस्ताव माँगे गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0एस0डी0पी0 के दिशा निर्देशों में ऐसा प्राविधान नहीं है। मा0 विधायकों को सम्बोधित तत्कालीन मा0 मंत्री जी के पत्र दिनाँक 6 जून, 2000 में यह व्यवस्था दी गयी है कि मा0 विधायकगण द्वारा अपने क्षेत्र की चिन्हित नगरीय मलिन बस्तियों में से एक बस्ती में विकास कार्य की संस्तुति देने पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्य कराया जा सकता है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ के मलिन बस्तियों में विकास कार्यों हेतु आवंटित धन की जानकारी

99-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष नगरीय 2002-03 व 2003-04, 2004-05 में जिला नगरीय विकास एवं अभिकरण, मेरठ को मलिन बस्ती में कार्य कराने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? इस धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं तथा उक्त कार्यों के चयन का आधार क्या था?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ में मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराने हेतु वर्ष 2002-03 में रू0 167.38 लाख वर्ष 2003-04 में रू0 90.84 लाख व वर्ष 2004-05 में रू0 187.10 लाख धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की गयी।

जिसके सापेक्ष कराये गये विकास कार्यों की सूची संलग्न* है। इन कार्यों को डूडा द्वारा मलिन बस्तियों में गठित सामुदायिक विकास समितियों के प्रस्तावों पर शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की गई।

मेरठ, छावनी विधान सभा क्षेत्र की मलिन बस्तियों में कराये गये विकास कार्य

100-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-03, व 2003-04, 2004-05 में मेरठ जिला नगरीय विकास अभिकरण, द्वारा मेरठ छावनी विधान सभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? क्या कार्यों पर क्षेत्रीय विधायक से सहमति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ द्वारा मेरठ में छावनी विधान सभा को मलिन बस्तियों में कराये गये विकास कार्यों को सूची संलग्न है।

वर्ष 2002-03 में छावनी विधान सभा क्षेत्र की मलिन बस्तियों में कराये गये कार्यों में सूची के क्रम

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 130 पर।)

संख्या-1 परनगलाताशी सामुदायिक केन्द्र को बाउन्ड्री वाल के कार्य का प्रस्ताव निवर्तमान मा0 विधायक छावनी क्षेत्र श्री अमित अग्रवाल जी द्वारा दिया गया था। पूर्ण होने पर जिसका उद्घाटन दिनाँक 05-4-2003 को वर्तमान मा0 विधायक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा किया गया।

वर्ष 2002-03 में क्रम संख्या-7 पर स्थित दायमपुर में सामुदायिक केन्द्र का उद्घाटन मा0 विधायक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा दिनाँक 30-11-2002 को किया गया। वर्ष 2004-05 में कराये गये कार्यों में संलग्न" सूची के क्रम संख्या-1 पर स्थित कंकरखेड़ा न्यू गोविन्द पुरी में नाला निर्माण का प्रस्ताव मा0 सांसद साहिद अखलाक जी द्वारा दिया गया था। शेष कार्य भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार छावनी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में गठित सामुदायिक विकास समितियों के प्रस्तावों पर शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चित्रकारों के वेतनमान के संबंध में शासनादेश

101-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वित्त वेतन आयोग के शासनादेश सं0-वै0आ0-1-1763/दस-39 (एम)/89, दिनाँक 3-6-1989 द्वारा वेतनमान रू0 515-860 को किसी अन्य वेतनमान में समायोजित न करते हुए वेतनमान रू0 1450-2300 दिये जाने की संस्तुति की थी? यदि हाँ, तो क्या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में अर्हमान चित्रकार के दो वेतनमान 470-735 एवं 515-860 को समायोजित करते हुए वेतनमान 1200-2040 प्रदान किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सकार वेतनमान 515-860 को वित्त वेतन आयोग द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर वेतनमान रूपया 1400-2300 लागू करने हेतु संशोधित शासनादेश जारी करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ। परन्तु संस्तुत वेतनमान रू0 1450-2300 न होकर वेतनमान रू0 1400-2300 है।

जी हाँ।

समता समिति की संस्तुतियों पर उत्पन्न विसंगतियों के निवारण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार रू0 515-860 (1200-2040) या समकक्ष वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अर्हमान चित्रकार को रू0 1400-2300 का वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश दि0 4-1-1992 को जारी किया जा चुका है। कालान्तर में उपर्युक्त 10 वर्ष की सेवा के स्थान पर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अर्हमान चित्रकार को उपर्युक्त लाभ अनुमन्य कराने हेतु शासनादेश दिनाँक 13-6-1995 को जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर के रिक्त पदों को भरने की माँग

102-श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चीफ कोआर्डिनेटर

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 138 पर।)

प्लानर के 4 पद वर्तमान में रिक्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त 4 पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 गाजियाबाद कार्यालय हेतु सिर्फ 01 पद सृजित एवं रिक्त है।

विभाग में चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर के 01 सृजित पद के कार्य संचालन हेतु उक्त पद के सापेक्ष, अधिकारी कार्यरत है। संगत नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। संशोधनोपरान्त चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर के पद को भरे जाने की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

जिला-लखनऊ के ग्राम हसनपुर खेवली में हुई मारपीट की शिकायती पत्र पर कार्यवाही की माँग

103-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीश पुत्र बाबूलाल ग्राम-हसनपुर खेवली, थाना-गोसाईगंज, जिला-लखनऊ को गाँव के लोगों ने नाली के विवाद को लेकर बुरी तरीके से मारा-पीटा था तथा जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायती पत्र दिनाँक 20-5-05 को डी0आई0जी0, पुलिस, लखनऊ परिक्षेत्र व 30-4-05 को एस0एस0पी0 लखनऊ को दिया था? क्या शिकायती प्रार्थना -पत्र के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण की जाँच अधिकारी क्षेत्राधिकारी, मोहनलाल गंज से कराई गई। जाँच के दौरान पाया गया कि आवेदक का अपने भाई छेदालाल पुत्र स्व0 बाबूलाल के मध्य जमीन के बंटवारे एवं पानी के निकासी हेतु नाली का विवाद था। जमीन के बंटवारे के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। नाली के विवाद के कारण आपस में आवेदक व विपक्षी ने सुलह-समझौता कर लिया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जिला लखनऊ ग्राम पुरैना की श्रीमती कमलेश पत्नी बुलाकी द्वारा दर्ज करायी गयी बलात्कार व मारपीट की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की माँग

104-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-लखनऊ, थाना-काकोरी गाँव पुरैना की श्रीमती कमलेश पत्नी बुलाकी के द्वारा दिनाँक 30-7-05 को एस0एस0पी0, लखनऊ व 5-5-05 को डी0आई0जी0 पुलिस, लखनऊ परिक्षेत्र को प्रार्थना-पत्र दिया गया था जो उसके साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट तथा बलात्कार का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जाँच क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद से कराई गई। जांच से प्रथम दृष्ट्या मारपीट की घटना घटित होना पाया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-225/05 धारा 395/354/323/504/506 भा0दं0वि0 बनाम रमेश, देशराज,बाबू राम एवं सकुई थाना-काकोरी के विरूद्ध दिनाँक 22-9-05 को पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान नामित अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गई। वादिनी से मात्र कहासुनी, मारपीट श्रीमती रेशमी पत्नी रमेश थाना-काकोरी के साथ हुई थी जिनके विरूद्ध धारा 323 भा0दं0वि0 में दिनाँक 25-9-05 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

105-श्री पूर्णमासी देहाती तथा श्री राम करन आर्य-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद-फैजाबाद ग्राम-मलेथू बुजुर्ग के ग्राम प्रधान श्री राम प्रताप के विरूद्ध दर्ज मुकदमें पर कृत कार्यवाही

106-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटेलाल चौरसिया, निवासी ग्राम-मलेथू बुजुर्ग, थाना-इनायत नगर, जनपद फैजाबाद द्वारा श्री राम प्रताप, ग्राम प्रधान, ग्राम-मलेथू बुजुर्ग सरैया, जिला फैजाबाद के विरूद्ध थाना इनायत नगर जनपद-फैजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या-273/05 धारा-324, 504, 506, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दिनाँक 13-7-05 को दर्ज कराये गये मुकदमें की जाँच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो दोषी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत मुकदमों में चार्जशीट-74 दिनाँक 6-10-05 को न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद-अलीगढ़ के समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के कार्यक्रमों से संतृप्त करने की व्यवस्था

107-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में वर्ष 2003-04 में चयनित समग्र ग्राम विकास-बीठना, भरतपुर रानाकीरतपुर निमाना, अमरपुर नहरा, कल्याणपुर, भवन खेड़ा, एदलपुर, गुरूशिकरन सिल्ला बिसावनपुर तथा वर्ष 2004-05 में चयनित समग्र ग्राम-बुदासी रूस्तमपुर, पिखलौनी, ईकर्स, धनीपुर, हीरपुर, सुसेनपुर, चिलकौरा, महुआखेड़ा, धरीमाफी, विनपुर एवं वर्ष 2005-06 में चयनित ग्राम-धरानदी, जूलूपुर सैदौर, भाकरी

अहिवासी, मौजपुरखरई, शाहपुर नड़राक देवसैनी, रूस्तमपुर, मादरखेड़ा, बड़ा गाँव अकबरपुर, कैशोपुर जौफरी को समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 16 बिन्दुओं से संतृप्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जी नहीं। प्रसंगत: यह उल्लेखनीय है कि समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को 16 कार्यक्रमों से नहीं, वरन् 15 कार्यक्रमों से संतृप्त करने की व्यवस्था है।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कैण्ट, जनपद मेरठ के टी0पी0 नगर में पाइप लाइन की व्यवस्था करने हेतु पत्र

108-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैण्ट जनपद मेरठ के टी0पी0 नगर में पाइप लाइन की व्यवस्था करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश संख्या 1830/मं/सं0का0न0वि0/वी0आई0पी0 दिनाँक 30-5-05 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण नगर निगम, मेरठ से संबंधित होने के कारण उन्हें आवश्यक हेतु उक्त पत्र प्रेषित कर दिया गया। नगर निगम मेरठ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पाइप लाईन के विस्तार का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष (2006-07) की जिला योजना (नगरीय पेयजल) में सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ के जीर्ण-शीर्ण सड़कों के निर्माण हेतु नगर आयुक्त को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की माँग

109-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैण्ट जनपद मेरठ के जीर्ण-शीर्ण सड़कों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मंत्री जी का आदेश सं0-1286/मं0/सं0का0न0वि0/वी0आई0पी0 दिनाँक 24-3-05 नगर आयुक्त मेरठ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

विधान सभा कैण्ट क्षेत्र जनपद मेरठ के जीर्ण-शीर्ण सड़कों निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर माननीय मंत्री जी का आदेश 1286/मं/सं0का0नि0वि0/वी0आई0पी0 दिनाँक 24-3-2005 नगर आयुक्त मेरठ को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों सहकारी/सरकारी ऋण माफी योजना

110-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या सहकारिता मंत्री **बताने की कृपा** करेंगे कि क्या किसानों के सहकारी अथवा सरकारी ऋण माफ करने की कोई योजना **सरकार** के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी नहीं।

सहकारी **विभाग की बैंकों के नियमों** में ऋण माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है।

पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा श्री अब्दुल फारूकी द्वारा विद्यालय के नाम पर वसूले गये चन्दे का दुरूपयोग

111-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा श्री अब्दुल फारूकी द्वारा अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में पालिका द्वारा संचालित विद्यालय के नाम पर वसूले गये चन्दे का दुरूपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जाँच करायेगी? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि श्री फारूकी ने स्वयं को उक्त बालिका विद्यालय का आजीवन प्रबन्धक घोषित कर लिया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं। चन्दा नहीं वसूला गया है। इसलिये चन्दे के दुरूपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद्, बांदा द्वारा संचालित विद्यालय का पदेन प्रबन्धक अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बांदा होते हैं। श्री फारूकी आजीवन प्रबन्धक नहीं है। वर्तमान में वर्तमान अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, बांदा पदेन प्रबन्धक की हैसियत से विद्यालय का कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ नगरीय अवस्थापना निधि में जमा धनराशि से मशीनरी उपकरण क्रय विषयक पत्र की जानकारी

112-श्री वीरेन्द्र शिशौदिया-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सुनीता सिंघल, सभासद, लखनऊ नगर निगम का पत्र दिनाँक 12-1-2003, जो माननीय नगर प्रमुख/नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित है जिसमें नगरीय अवस्थापना निधि में जमा धनराशि से मशीनरी उपकरण क्रय विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

नगरीय अवस्थापना निधि की बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया एवं पाया गया कि पत्र में वर्णित की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यथावश्यकतानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम विभाग के मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा लगाये गये सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी विषयक पत्र

113-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सुनीता सिंघल, सभासद, लखनऊ नगर निगम का पत्र दिनाँक 7 एवं 10-1-2004, जो माननीय नगर प्रमुख/नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित है जिसमें मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा लगाये गये सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलाम कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनाँक 09-09-2004 को की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-जालौन के श्री हरिश्चन्द्र ग्राम रूरा अड्डू को हृदय रोग के उपचार हेतु आर्थिक सहायता की माँग

114-डॉ0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-3-201769, दिनाँक 6-6-05 जो श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री उमा शंकर निवासी ग्राम रूरा अड्डू, तहसील उरई, जनपद-जालौन, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

रोगी को रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) की सहायता स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला लखनऊ के श्री भगवान दीन ग्राम किठाईपारा को जान से मारने सम्बन्धी शिकायती पत्र की जानकारी

115-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगवान दीन यादव, पुत्र स्व0 रामनाथ यादव गाँव किठाईपारा, थाना-मलिहाबाद जिला-लखनऊ को रिवाल्वर लगाकर श्याम नरायन पाण्डे व गुडहो सिंह व दो अज्ञात लोगों ने 22-7-05 को मारा पीटा था तथा जान से मारने की धमकी दी थी? जिसकी शिकायत मा0 कौशल किशोर मलिहाबाद के विधायक ने अपने पत्र दिनांक 23-7-05 द्वारा एस0एस0पी0 लखनऊ से की थी? क्या शिकायती प्रार्थना-पत्र के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जाँच क्षेत्राधिकारी, मलिहाबाद से कराई गई। जाँच के दौरान पाया गया कि आवेदक श्री भगवानदीन यादव एवं विपक्षी श्याम नरायन पाण्डेय के मध्य विवाद, जानवरों द्वारा खेत चरने को लेकर उनको काजी हाउस में दिनांक 21-7-05 को बन्द करा किये जाने के फलस्वरूप हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मामूली वाद-विवाद हुआ था। श्री भगवानदीन को मारने व गाली-गलौज व धमकी देने की बात सही नहीं पायी गयी। दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 दिनांक 26-7-05 को चालान करके जमानत मुचलके पर पाबन्द किया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद-आजमगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर हरीबांध पोखरे का सुन्दरीकरण कराने की माँग

116-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर हरीबांध पोखरे का सुन्दरीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-गोरखपुर, थाना-बेलीपार की श्रीमती गुलईचा के पति को गोली मार कर हत्या करने तथा भेड़ों को उठा ले जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की माँग

117-श्री रामशंकर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-402, दिनाँक 11-8-05 जो

श्रीमती गुलईचा पत्नी स्व0 रामजी पाल नि0 ग्रामसभा-मामापार टोला शिवघाट, थाना-बेलीपार जनपद-गोरखपुर के पति को गोली मारकर हत्या कर देने तथा भेड़ों को उठा ले जाने के सम्बन्ध में है और जिसकी प्राथमिकी थाना-बेलीपार में दर्ज है के हत्याभियुक्त राजन शाही पुत्र अनिरूद्ध शाही एवं अन्य लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत प्रकरण में श्री राधेश्याम पाल पुत्र श्री रामअवध पाल निवासी-शिवघाट गंगवार, थाना-बेलीपार, जनपद-गोरखपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-626/2004 धारा- 396 भा0दं0वि0 बनाम 8-10 बदमाश अज्ञात सूरत शिनाख्त नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान लूटी गयी 300 भेड़ों में से 130 राशि भेड़ों को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार मा0 विधायक एवं आवेदिका के पत्र में उल्लिखित तथ्यों को विवेचना में सम्मिलित करते हुये सम्यक रूप से जाँच की गयी परन्तु अब तक की विवेचना से अंकित व्यक्तियों के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल सका जिससे इनकी उक्त घटना में सहभागिता प्रमाणित हो सके।

प्रश्नगत प्रकरण में निरन्तर सुरागरसी, पतारसी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जा रही है तथा एक टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की रजिस्ट्री खड़न्जा निर्माण, विद्युत व्यवस्था, पार्क की बाउण्ड्री व नालियों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

118-श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी-1 के एस0एस0 111 भूखण्ड में से कितने भूखण्ड की रजिस्ट्री 30-9-05 तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर दी गई है? क्या रजिस्ट्री कराते समय आवंटियों से सड़क, सीवर व जल के मद में धनराशि जमा कराई गई है? यदि हाँ, तो क्या प्राधिकरण द्वारा विद्युत व्यवस्था, सड़क, खड़ण्जा, पार्क की बाउण्ड्री व नालियां बनवाई गई थी? यदि हाँ, तो कब? क्या इन भूखण्डों में पाइप लाइन भी डलवाई गई है? यदि नहीं, तो पाइप लाइन कब तक बिछा दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 30-09-05 तक 35 भूखण्डों की रजिस्ट्री कर दी गयी है।

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1993-97 में खड़ण्जा का निर्माण एवं विद्युत व्यवस्था का कार्य कराया गया था। सड़क, पार्क की बाउण्ड्री व नालियों का निर्माण नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जी नहीं।

एस0एस0 (साइट एण्ड सर्विसेज) टाइप के भूखण्ड महायोजना के अनुसार ग्रीन बेल्ट में होने के कारण विकास कार्य किया जाना विवादित हो गया है। विवाद के निस्तारण के उपरान्त ही निर्णयानुसार पाइप लाइन बिछाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद-गाजियाबाद में उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की प्रस्तावित गृहस्थान योजना

119-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या-130/8-3-05-14एल0ए0/2003, दिनाँक 09-2-2005 में यह कहा गया है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का पहले सम्यक रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता तथा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में वह भूमि भी अधिग्रहण की जाती है जिसमें आवासीय भवन बने हुए हैं तथा आबादी होती है? क्या यह सही है कि ग्राम मण्डोला परगना लोनी जिला-गाजियाबाद में स्थित खसरा संख्या 2558/2 दिनाँक 14-1-92 से अकृषक आबादी के रूप में दर्ज है तथा आवासीय भवन बने हुए हैं? यदि हाँ, तो दिल्ली-सहारनपुर रोड पर जनपद-गाजियाबाद में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की प्रस्तावविति गृहस्थान योजना हेतु धारा-28 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनाँक 19-9-98 में उक्त खसरा सं0 2558/2 को किस आधार पर सम्मिलित कर लिया गया था? क्या इसके विरोध में भू स्वामी द्वारा कोई प्रतिवेदन भी दिया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश संख्या 130/8-3-05-14 एल0ए0/2003, दिनाँक 9-2-2005 द्वारा आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् एवं उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरणों को यह निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व भली-भांति परीक्षण कर लिया जाय। खसरा संख्या-2558/2 का कुल क्षेत्रफल 5610 वर्गमीटर है जिसमें से मात्र 282.24 वर्गमीटर में निर्माण है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियिम 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय योजना की सीमायें अधिसूचित करने का प्राविधान है जिससे योजना की सीमा के अन्तर्गत आने वाले समस्त खसरे (भूमि) अधिसूचित हो जाते हैं जिसके सम्बन्ध में नियोजन समिति की सुनवाई/संस्तुति के उपरान्त पृथक/समायोजित की जाती है।

परिषद् अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत धारा-28 का प्रकाशन एवं धारा-29 की नोटिस जारी करके आपत्तियाँ माँगे जाने के बावजूद खसरा संख्या-2558/2 के भूस्वामी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी तथा धारा-30 के अंतर्गत नियोजन समिति के समक्ष सुनवाई में भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अत: किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। डॉ0 वीरसेन सरोहा का प्रार्थना-पत्र नियोजन समिति की सुनवाई के उपरान्त दिनाँक 23-5-03 को प्रेषित किया गया है। इस प्रार्थना के क्रम में प्रस्ताव परिषद् की 191वीं बैठक दिनाँक 17-6-05 एवं 192वीं बैठक दिनाँक 10-11-05 में प्रस्तुत किया गया जिसे परिषद् द्वारा स्थगित किया गया है।

जनपद सुल्तानपुर स्थित विकास खण्ड खुड़वार अन्तर्गत समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँवों में निर्माण कार्य

120-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर स्थित विकास खण्ड खुड़वार अन्तर्गत समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत गत वर्ष 2003-04 में चयनित गाँव कुम्हाई,

कोटा, मितई पाण्डे का पुरवा ग्रेन्ट कुड़वार एवं धामपुर में योजनान्तर्गत समस्त कार्यों को करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्यों को कब तक करा दिया जायेगा?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

ग्राम-कोटा, मितई पाण्डे का पुरवा तथा ग्रेण्ट कुड़वार मानकों के अनुरूप सभी कार्यक्रमों से संतृप्त करा दिये गये हैं तथा दो ग्राम शेष हैं।

सीमित संसाधन।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की माँग

121-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में विकास खण्ड दूबेपुर, जनपद-सुल्तानपुर के समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँव उदरपुर रामापुर तिवारी के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक कब तक जोड़ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सुल्तानपुर ग्राम कुम्हई एवं धामपुर के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की माँग

122-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समग्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 में चयनित विकास खण्ड कुड़वार, जनपद-सुल्तानपुर के गाँव कुम्हई, कोटा एवं धामपुर के सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या उसे वर्ष 2005-06 में पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

ग्राम कोटा पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम कुम्हई एवं धारूपुर शेष हैं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँवों को पूर्ण रूप से संतृप्त किये जाने की समय सीमा का निर्धारण

123-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँवों को पूर्ण रूप से संतृप्त किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधन।

उ0प्र0 जल निगम की शाखा सी0एण्ड0डी0एस0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती

124-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जल निगम की शाखा सी0एण्ड0डी0एस0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु कितनी अवधि निर्धारित है? कितने परियोजना प्रबन्धक निर्धारित अवधि से अधिक अवधि से कार्यरत है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3/069053, दिनाँक 1-7-05 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

उत्तर प्रदेश जल निगम की शाखा सी0एण्ड0डी0एस0 में तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

उ0प्र0 जल निगम की शाखा सी0एण्ड0डी0एस0 में तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर नहीं होती है। अत: अनाधिकार प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित अवधि के बाद भी अवैध घन के आधार पर कार्यरत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अलीगढ़ की शेखा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की माँग

125-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत वाली शेखा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसे कब तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी हाँ।

वर्ष 2004-05 की जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य हेतु रूपये 4.35 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अलीगढ़ को उपलब्ध करा दी गयी है। इसे शीघ्र ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सुल्तानपुर के चयनित गाँवों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

126-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में समग्र विकास योजनान्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर के विकास खण्ड-कुड़वार में चयनित गाँव पहडौली, परमीरपुर, भगवानपुर के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक क्या वर्ष 2005-06 में पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

जी नहीं। समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

लखनऊ के महिला थाना-हजरतगंज में दहेज अधिनियम के अन्तर्गत नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी

127-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला थाना-हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज मु0अ0सं0 40/04 धारा 498ए/506 आई0पी0सी0 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत क्या नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वादी श्री मुसाहब थाना-मलिहाबाद द्वारा की लिखित सूचना पर अभियुक्तगण (1) सिरताज पुत्र रहीस, (2) रहीस, (3) सुल्तान पुत्र रहीस, (4) तकदीरा पत्नी नासिर, (5) सूबेदार पुत्र बच्चा तथा (6) अतीश पुत्र सूबेदार के विरूद्ध दिनाँक 20-3-04 मु0अ0सं0-40/04 धारा 498ए/506 आई0पी0सी0 व 3/4 द0प्र0अधि0 महिला थाना-लखनऊ में पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम की गयी। विवेचनोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी जुर्म का होना नहीं पाया गया। विवेचना अन्तिम रिपोर्ट संख्या-18/04 दिनाँक 19-6-04 को समाप्त की गयी। इस कारण नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद-प्रतापगढ़ के थाना पट्टी में दर्ज मुकदमें के अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही

128-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0एम0/110342/04 दिनाँक 1-10-04 एवं सी0एम0/वि0 को0एम0 109752/04 दिनाँक 20-9-04 जो थाना पट्टी प्रतापगढ़ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-135/04 के अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में है, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ एवं प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव, गृह को नहीं प्राप्त हुआ है, वरन् मुख्य मंत्री कार्यालय की संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-110342/04, दिनाँक 01-10-2004 युक्त प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को भेजा गया है।

प्रश्नगत शस्त्र धारक के विरूद्ध थाना पट्टी प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0 135/2004 धारा 344/506 भा0द0वि0 एवं 7/13 पी0सी0आर0 एक्ट पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना, अन्तिम रिपोर्ट संख्या-01/05 दिनाँक 6-8-2005 द्वारा समाप्त की जा चुकी है। थाना पट्टी द्वारा अभियुक्त का शस्त्र लाइसेन्स निरस्त करने विषयक कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपजिलाधिकारी, पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम समाज की भूमि के आवंटन में किये गये नियम विरूद्ध निर्णयों की जाँच

129-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपजिलाधिकारी, पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा लगभग 70 करोड़ रूपये बाजार मूल्य की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन में किये गये नियम विरूद्ध निर्णयों की जाँच कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/27 14,41,271442 दिनाँक 21-6-05 तथा पत्र संख्या-क-2/233618 दिनांक 16-6-05 एवं पत्र संख्या ख-3/271425 दिनाँक 1-7-05 प्रमुख सचिव, नियुक्ति को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/271441 दिनाँक 21-6-05 व पत्र संख्या-क-2/233618 दिनाँक 16-6-05 प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र संख्या-ख-3/271442 दिनाँक 21-6-05 एवं ख-3/271425 दिनाँक 1-7-05 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण जाँच हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को संदर्भित किया गया। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) से जाँच करायी गई। जाँच से कोई अनियमितता प्रकाशमान नहीं हुई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

130-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

उपजिलाधिकारी, पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम समाज की भूमि के आवंटन में की गयी अनियमितताओं की जाँच

131-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1/233618 दिनाँक 16-6-05 एवं पत्र सं0 ख-3/271441 दिनाँक 21-6-05 जो उप जिलाधिकारी पट्टी, प्रतापगढ़ के विरूद्ध ग्राम रायपुर, रायपुर, जूदेव बिहार सरौली, मदाफरपुर, उदई शहापुर सोनपुरा रमगढ़ा विनयका, शैलखा तथा अन्य ग्राम तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन में व्यापक अनियमितता किये जाने की जाँच किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ, प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-1/233618 दिनाँक 16-6-05 व ख-3/271441 दिनाँक 21-6-05 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण जाँच हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को संदर्भित किया गया। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) में जाँच करायी गई। जाँच से कोई अनियमितता प्रकाशमान नहीं हुई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-बलिया में पेयजल आपूर्ति हेतु बनी टंकी को जनहित में प्रारम्भ कराने की माँग

132-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया में पेयजल आपूर्ति हेतु खेजुरी तथा संवरा में पानी का टैंक करीब दो वर्षों से बनकर तैयार है? यदि हाँ, तो जनहित में उक्त टंकी से जलापूर्ति कब तक प्रारम्भ करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया में पेयजल आपूर्ति हेतु खेजुरी पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी का टैंक मार्च, 2005 तथा सॉवरा पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी का टैंक मार्च, 2004 से बनकर तैयार है।

खेजुरी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित पानी के टैंक से भूमि विवाद के कारण जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। भूमि विवाद का निस्तारण होने के उपरान्त तत्काल जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

सॉवरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित टैंक से देवस्थलीय विद्यालय एवं दो बस्तियों का जलापूर्ति की जा रही है तथा योजना से सम्मिलित शेष 9 बस्तियों में मार्च, 2006 तक नियमित रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहाँपुर में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँवों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने सम्बन्धी पत्र

133-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित गाँवों में निर्माण कार्य कराने विषयक मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/130187 दिनाँक 3-8-05 प्रमुख सचिव/सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जी हाँ।

संदर्भित पत्र दिनाँक 3-8-05 पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर से आख्या मांगी गयी। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 में चयनित 10 ग्रामों में से ग्राम जौरा पट्टी, टाटराबाद सम्पर्क मार्ग से पूर्व से जुड़ा हुआ है तथा ग्राम डभौरा सिमरा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा जौरा पट्टी टाटराबाद में उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण का कार्य गतिमान है। शेष 8 ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मलरिया मीरजापुर नाली खड़न्जा, स्वच्छ पेयजल, प्राइमरी पाठशाला भवन तथा उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन, डभौरा सिमरा, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक पाठशाला/ उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन, जौरा पट्टी, टाटराबाद नाली खड़ण्जा, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक पाठशाला भवन, नया गाँव महसूलपुर स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक पाठशाला/उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन, बिहारीपुर कोटा स्वच्छ पेयजल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन, इसी प्रकार हारचौरा, उमरसण्ड, दिउरा इमलिया बुजुर्ग, डूहीजदीद ग्राम स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन कार्यक्रमों से पूर्व से संतृप्त हैं। उल्लिखित सभी 10 ग्राम अन्य सभी कार्यक्रमों से निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के व्यक्तियों के साथ लगाये गये गनर

134-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के उन व्यक्तियों के नाम व पता क्या हैं जिन्हें शासन द्वारा गनर दिये गये हैं और उन पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, दंगा कराने के मामले चल रहे हैं? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के साथ लगाये गये सुरक्षा कर्मी गनर वापस करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

1.श्री रामाकान्त यादव, मा0 सांसद, नि0-कस्बा अम्बारी, थाना फूलपुर, आजमगढ़।

2.श्री दुर्गा प्रसाद यादव, मा0 विधायक, ग्राम आहोपट्टी, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

3.श्री अबू आसिम आजमी, मा0 सदस्य राज्यसभा, ग्राम मंजीरपट्टी, थाना सरायमीर, आजमगढ़।

4.श्री बलराम यादव, मा0 पंचायती राज्य मंत्री, उ0प्र0, निवासी सेनपुर, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

5.श्री शम्भूनाथ सिंह, पूर्व विधायक, ग्राम रतुआर थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

6.श्री सुभाष चन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख, निवासी ग्राम संवेदा, थाना सिधारी, आजमगढ़।

7.श्री विक्रम बहादुर सिंह, निवासी मु0 अतलस पोखरा, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

8.श्री वंश बहादुर सिंह, निवासी ग्राम कोठी, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

9.श्री शहाबुद्दीन, निवासी ग्राम सोनबुजुर्ग, थाना रानोपार, आजमगढ़।

10.श्री प्रमोद कुमार यादव, निवासी ग्राम आहोपट्टी, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

11.डॉ0 फूलचन्द सिंह, ग्राम मदियापार, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

12.श्री पंचानन राय, मा0 सदस्य, विधान परिषद्, निवासी मोहल्ला हरिओथनगर, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

13.श्री पंचानन्द यादव, निवासी ग्राम मदनपुर, थाना बरदह, आजमगढ़।

14.श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम पन्दहा, थाना मेहनगर, आजमगढ़।

उक्त महानुभावों को जीवनभय के आधार पर सुरक्षा प्रदत्त करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्प्रेक्षकों के वेतनमान को प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

135-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग के शासनादेश संख्या-आडिट-2855/दस-95-350 (2)/93, दिनाँक 3 अगस्त, 1995 के अनुरूप सेवा नियमावली में शीघ्र संशोधन के आदेश जारी किये गये थे, जिसे अभी तक न किये जाने से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के 412 निर्दोष सम्प्रेक्षक 1-1-86 को निम्न वेतनमान में प्रत्यावर्तित कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो सेवा नियमावली में अपेक्षित संशोधन यथासमय क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार उत्तरदायित्व निर्धारित करके अब सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

रिट याचिका संख्या-17305/98 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 24-8-04 के अनुपालन में निर्गत किये गये प्रत्यावर्तन सम्बन्धी आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेशों के फलस्वरूप किसी सम्प्रेक्षक को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है। मामला मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

136-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद-गोरखपुर की तहसील खजनी के उप कोषागार को पुन: संचालित किये जाने की माँग

137-श्री सदल प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की तहसील खजनी में उप कोषागार स्थानान्तरित कर दिया गया है? क्या यह सही है कि आम जनता को राजस्व धनराशि जमा करने व स्टाम्प आदि के लिये पच्चीस कि0मी0 दूर जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कोषागार को पुन: संचालित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के आदेशों के कारण दिनाँक 30 जून, 2004 से मुद्रा प्रकोष्ठ बन्द हो जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।

दिनाँक 17-11-2005 से शासकीय धन जमा एवं भुगतान तथा स्टाम्प विक्रय का कार्य अस्थाई करेंसी चेस्ट खोलने के आदेश निर्गत किये गये हैं तथा दिनाँक 21-11-05 से अस्थायी करेंसी चेस्ट से शासकीय कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

138-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सचिवालय में कार्यरत मंत्रियों/विधायकों के अंगरक्षकों को उनके मूल विभाग में स्थानान्तरित करने की माँग

139-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों/विधायकों के सुरक्षा में लगे अंगरक्षकों की स्थानान्तरण नीति क्या है? क्या यह सही है कि बहुत से अंगरक्षक सचिवालय स्थित अधिकारियों से सम्बद्ध होकर विगत 10 वर्षों से अधिक समय से सचिवालय में ही कार्यरत हैं? क्या सरकार ऐसे सभी अंगरक्षकों की पहचान कराकर उन्हें सचिवालय से बाहर उनके मूल विभाग में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अभिसूचना विभाग के अंगरक्षक संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में नहीं किया जाता है। अंगरक्षक संवर्ग के सभी कर्मी सुरक्षा शाखा, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त हैं तथा सचिवालय स्थित शैडो कार्यालय से संबद्ध रहकर मा0 मंत्रियों की सुरक्षा ड्यूटी सम्पादित करते हैं। मा0 विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था उनके मूल जनपदों द्वारा की जाती है। जिन पर वही स्थानान्तरण नीति लागू होती है जो शासन द्वारा पुलिस के अन्य कर्मियों हेतु निर्धारित की गयी है।

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी जनपद से कोई भी अंगरक्षक सचिवालय स्थित अधिकारियों के साथ 10 वर्षों से अधिक समय से संबद्ध होकर सचिवालय में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान

140-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम, कानपुर में सेवानिवृत्ति कितने कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावें वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 1 अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक वहाँ प्राप्त हुए हैं? उक्त प्राप्त दावों में से कितने दावों का भुगतान करा दिया गया? लम्बित शेष दावों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कानपुर नगर निगम, कानपुर में 2004-2005 में 57 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावें तथा 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 तक 22 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें (कुल 79 दावे) प्राप्त हुये थे।

उक्त दावों में से कुल 40 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

नगर निगम आर0वी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज नवाबगंज, कानपुर की सहायक अध्यापिकाओं को ज्येष्ठता के आधार पर समान वेतन भुगतान की माँग

141-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम आर0वी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, कानपुर में वर्ष 1998 एवं वर्ष 2000 में विद्यालय फण्ड से कितनी सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति कितने वेतन पर की गयी थी? क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में विद्यालय फण्ड पर नियुक्ति की गयी सहायक अध्यापिका अर्चना बाजपेयी एवं डाली वर्मा को वर्ष 1998 में नियुक्त सहायक अध्यापिका बबिता श्रीवास्तव एवं कु0 रानी देवी से अधिक वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार बबिता श्रीवास्तव एवं कु0 रानी देवी, सहायक अध्यापिकाओं को ज्येष्ठता के आधार पर अर्चना बाजपेयी एवं डाली वर्मा, सहायक अध्यापिकाओं के समान वेतन भुगतान करने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर निगम आर0वी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज नवाबगंज की प्रधानाचार्या द्वारा वर्ष 1998 में विद्यालय फण्ड (पीटी-ए) से 4 शिक्षिकाओं क्रमशः कुमारी ममता गुप्ता, कुमारी रानी देवी, कु0 बबिता श्रीवास्तव एवं कुमारी इन्दु शुक्ला को रूपये 1000/- प्रतिमाह पर रखा गया है। वर्ष 2000 में प्रधानाचार्या द्वारा विद्यालय फण्ड से किसी भी शिक्षिका को नहीं रखा गया है।

हाँ।

क्योंकि अर्चना बाजपेयी एवं डाली वर्मा की नियुक्ति नगर निगम द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर शिक्षा सत्र 2000-01 के लिये नगर निधि से क्रमशः रूपये 3500 एवं 2500 प्रतिमाह नियत वेतन पर की गयी है। जबकि कु0 बबिता श्रीवास्तव एवं कुमारी रानी देवी को प्रधानाचार्या द्वारा आर0बी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज नवाबगंज द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ फण्ड से रखा गया है। अतः इन्हें अर्चना बाजपेयी एवं डाली वर्मा की भांति वेतन नही दिया जा सकता है।

नहीं।

क्योंकि कुमारी बबिता श्रीवास्तव एवं रानी देवी को नगर निगम द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है बल्कि इन लोगों को प्रधानाचार्य आर0बी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज नवाबगंज द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ फण्ड से रखा गया है, इसलिये इन्हें अर्चना बाजपेयी एवं डाली वर्मा के समान वेतन नही दिया जा सकता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को नये सिरे से चिन्हित कराने पर विचार

142-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को क्या नये सिरे से चिन्हित कराने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हाँ।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र सं0-क्यू-21022/4/2003-ए0आई0(आर0डी0), दिनाँक 10-10-2005 के क्रम में प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची तैयार करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के किसान जूनियर हाई स्कूल अरैला के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा सांसद निधि एवं छात्रवृत्ति की धनराशि का दुरूपयोग किये जाने की जाँच

143-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के किसान जूनियर हाई स्कूल, अरैला ब्लाक पट्टी के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा सांसद निधि एवं छात्रवृत्ति की प्राप्त धनराशि का दुरूपयोग एवं गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में जाँच कराये जाने हेतु पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/94291/04, दिनांक 27-1-2004 एवं 96590/04, दिनाँक 24-2-04 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उसकी जाँच करायी गयी, जाँच परिणाम क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

किसान जूनियर हाई स्कूल, अरैला ब्लाक पट्टी के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा छात्रवृत्ति की प्राप्त धनराशि

का दुरूपयोग एवं गड़बड़ी किये जाने के संबंध में जाँच कराये जाने हेतु पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/94291/04, दिनाँक 27-1-04 एवं 96590/04, दिनाँक 24-2-04 प्राप्त हुए हैं, जिनमें सांसद निधि के दुरूपयोग की शिकायत नहीं की गयी है।

उक्त पत्रों की जाँच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से करायी गयी। अपराध शाखा के सम्पूर्ण संकलित किये गये मौखिक/अभिलेखीय साक्ष्य के संनिरीक्षा से अभियुक्त ब्रहमदेव मिश्र, प्रधानाचार्य किसान जूनियर हाई स्कूल, अरैला, जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध अपराध धारा-409/420 भा0दं0वि0 का कारित किया जाना नहीं पाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा किता की गयी अंतिम रिपोर्ट सही दिशा में पायी गयी। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर नगर के मुख्य तीर्थ सीताकुण्ड घाट की सफाई कराने की माँग

144-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि सुल्तानपुर नगर के अन्तर्गत गोमती नदी के मुख्य तीर्थ सीताकुण्ड घाट की सीढ़ियों के पास बालू, मिट्टी आदि जमा हो जाने के कारण नदी किनारों को छोड़कर काफी उत्तर दिशा में बह रही है? क्या मुख्य स्नान घाट पर बालू एवं गन्दगी जमा हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सीताकुण्ड घाट के पास बालू मिट्टी आदि की सफाई हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं, अपितु बाढ़ के कारण नदी का प्रवाह घाट के पास विपरीत दिशा में बढ़ जाने से नदी सीता कुण्ड की सीढ़ियों के किनारों को छोड़कर काफी उत्तर दिशा में बह रही है एवं स्नान घाट के पास मिट्टी व बालू, सिल्ट एवं गन्दगी जमा हो रही है।

उक्त गन्दगी की सफाई नगरपालिका परिषद् द्वारा उपलब्ध संसाधनों से समय-समय पर करा दी जाती है। अतएव उक्त हेतु पृथक से कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद-सुल्तानपुर के कुड़वार स्थित राज्य संरक्षित स्मारक शनिचरा के सौन्दर्यीकरण हेतु धन की माँग

145-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार स्थित राज्य संरक्षित स्मारक शनिचरा के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु जिला योजना, वर्ष 2005-06 में निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों के लिए धन का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी हाँ।

स्वीकृति निर्गत करने की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाओं को लेते हैं।

आज दिनांक 02 जनवरी, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई-

पहली सूचना श्री महेश त्रिवेदी की विभिन्न जनपदों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारियों की तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

तीसरी सूचना श्री रिजवान अहमद खाँ की ज्योतिबा फूलेनगर के कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढ़ी सलेमपुर या सिकन्दराबाद में गढ़ी फीडर पर विद्युत उपकेन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राजेश कुमार की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

पांचवीं सूचना डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

छठवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विश्वविद्यालय में शासनादेशों की अवहेलना करके स्ववित्त पोषित शिक्षकों का आर्थिक शोषण किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

सातवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत नेबुआ कप्तानगंज मार्ग पर छोटी गण्डक रामजानकी घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री आलम बदी की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहाँपुर के शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत मेरठ बदायूँ राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम चित्तौन पर रोडवेज बस स्टाप बनवाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर में अधिकृत एवं अनाधिकृत रूप से आबाद कालोनियों में सफाई, सीवर सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रिबोर तथा मरम्मत करवाकर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाये जाने के सम्बन्ध में हैं।

अनुपस्थित माननीय सदस्यों की सूचना के स्थान पर श्री राम करन आर्य की सूचना स्वीकार की जाती है।

माननीय सदस्य डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना अस्वीकार की जाती है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी।)

विभिन्न जनपदों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारियों की तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री महेश त्रिवेदी-**

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जनपदों में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत जिले के सर्वोच्च पद क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के पद पर जिले के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को वरिष्ठता आधार पर तैनात किये जाने की नीति बनाते हुए तद्नुसार शासनादेश जारी किये गये हैं किन्तु कतिपय जनपदों में इस नीति का उल्लंघन करते हुए कनिष्ठ चिकित्साधिकारियों को पदास्थापित किया जा रहा है।

जनपद मैनपुरी में डॉ0 चन्द्र प्रकाश दीक्षित जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, किन्तु इन्हें चार्ज न देकर इनसे कनिष्ठ डॉ0 श्री पाल सोलंकी को क्षेत्रीय आयु0 अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा भी श्री सोलंकी के विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित होने के कारण अपने पत्र संख्या 3252/ओ0एस0डी0 दिनाँक 4 दिसम्बर, 2003 द्वारा इन्हें हटाकर डॉ0 दीक्षित को चार्ज दिये जाने हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा को पत्र भेजा है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी डॉ0 दीक्षित को वरिष्ठता के आधार पर चार्ज देने के आदेश दिये गये हैं। शासन द्वारा इस प्रकार के मामलों में स्पष्ट निर्णय न लेने के कारण कनिष्ठ चिकित्साधिकारी प्रभारी बन बैठे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीन कार्य करना पड़ रहा है।

मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

ज्योतिबा फूलेनगर के कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढ़ी सलेमपुर या सिकन्दराबाद में गढ़ी फीडर पर विद्युत उपकेन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिजवान अहमद खाँ-

[मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ 8 की विद्युत उपकेन्द्र की ओर अत्यन्त आवश्यकतानुसार आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कांठ बिजली घर उपकेन्द्र पर गढ़ी फीडर लाइन अत्यन्त विस्तार में है और अधिक क्षेत्र में है जो कृषि व कुटीर उद्योग क्षेत्र है और बुनकर क्षेत्र है जिसमें दस-दस हजार आबादी के कई ग्राम गढ़ी सलेमपुर भी है अधिक विस्तार की लाइन होने के कारण तथा उपकेन्द्र न होने के कारण प्रतिदिन लाइन फाल्ट और वोल्टेज कम रहते हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से ग्राम गढ़ी सलेमपुर या उसके आस-पास सिकन्दराबाद में गढ़ी फीडर पर उपकेन्द्र तुरन्त बनवाये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में शासनादेशों की अवहेलना करके स्ववित्त पोषित शिक्षकों का आर्थिक शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

[मान्यवर, आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों की कमी की दृष्टि से, शासन ने विश्वविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं को उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए, स्व वित्त पोषित कार्यक्रम आयोजित करने की स्वीकृति दी है। इन स्ववित्त पोषित शिक्षण कार्यक्रमों के छात्रों से, सामान्य शिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में अधिक शुल्क लिया जाता है। शिक्षा का स्तर बना रहे तथा अस्थाई शिक्षकों का आर्थिक शोषण न हो सके, इस दृष्टि से शासन समय-समय पर शासनादेश के माध्यम से, शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों तथा उनके वेतन पाठ्यक्रमों के आय के वितरण तथा लेखा-जोखा के सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करता है। इन शासनादेशों का अनुपालन किया जाना, किसी भी स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक होता है।

शासनादेश संख्या 20214/70-4/2000/7(7)/94 दिनाँक 4 फरवरी 2000, शासनादेश संख्या 1753/70-4/99-7(7)/94 दिनांक 28 जून 1999 तथा शासनादेश संख्या 2445/सत्तर2-2000-2 (86)/97 दिनाँक 1 मई 2002 के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय का 60% व्यय संविदा पर रखे गये शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मानदेय तथा आकस्मिक मद व्यय हेतु तथा आय का 40% व्यय प्रशासनिक व्यय, भवन, पुस्तकालय आदि में किया जाना चाहिए। वेतन सामान्य वेतनमान के मध्य के आस-पास होना चाहिये तथा नियुक्ति 3-5 वर्ष की संविदा पर की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम से होने वाली आय का लेखा-जोखा अलग से प्रदर्शित करना चाहिए।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में चलाये जा रहे स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों (सान्ध्य कालीन) में 23 शिक्षक तथा 3 क्लर्क एवं 3 परिचारक कार्यरत हैं। स्ववित्त पोषित शिक्षक समुदाय के अनुसार ऐसी कक्षाओं में कुल 2400 छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय की इन छात्रों से कुल आय लगभग 70,00,000 (सत्तर लाख) बी0ए0 प्रथम वर्ष 3000 प्रति छात्र तथा द्वितीय वर्ष रूपये 2800 प्रति छात्र हैं। इस सत्तर लाख का 60% अर्थात् लगभग 42 लाख रूपये विश्वविद्यालय को शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय करना चाहिए और 40% अर्थात् 28 लाख भवन/पुस्तकालय/प्रशासनिक मद पर खर्च करना चाहिए।

शासनादेशों की स्पष्ट अवहेलना करके गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सभी शिक्षकों को कुल मिला कर अगस्त से नवम्बर 2005 तक रूपये 3 लाख 90 हजार का भुगतान किया तथा दिसम्बर 2005 से फरवरी 2006 तक 4 लाख 80 हजार का भुगतान किया जायेगा। अर्थात् शिक्षकों का वेतन व्यय सिर्फ रूपये 8.70 लाख हुए। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पूरे सत्र का रूपये 1.12 लाख का भुगतान होगा अर्थात् शासनादेश के अपेक्षित रूपये 42 लाख वेतन-व्यय के सापेक्ष शिक्षक/शिक्षणेत्तर वेतन व्यय कुल मिलाकर सिर्फ रूपये 10.48 लाख (अर्थात् 60 के स्थान पर 15%) हुए।

रूपये 28 लाख के भवन/पुस्तकालय/प्रशासनिक व्यय कहां, किस प्रकार तथा कितनी मात्रा में होते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा अलग से लेखा-जोखा प्रदर्शित न किये जाने के कारण पता ही नहीं चलता।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा पाठ्यक्रम शाम के समय में भी बिना वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था के, विश्वविद्यालय के कला-संकाय भवन में चलाये जाते हैं।

अत: आग्रह है कि नियम-301 के तहत सदन में इस प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा करें।]

कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत नेबुआ कप्तानगंज मार्ग पर छोटी गण्डक राम जानकी घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री पूर्णमासी देहाती-**

[आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नेबुआ कप्तानगंज मार्ग छोटी गन्डक राम जानकी घाट पर तौरीक आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सेतु का निर्माण पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था और मा0 लोक0 निर्माण मंत्री जी ने शिलान्यास के अवसर पर घोषणा किया था कि छ: महीने में यह पुल बनकर तैयार हो जायेगा। जबकि सेतु के सभी पाये तैयार हो गये हैं। छत का निर्माण कार्य कराया जाना है जनहित में द्वितीय किस्त जारी कराते हुए सरकार से तत्काल निर्माण कराने एवं पूर्व की भांति यातायात के लिए चालू किये जाने के सम्बन्ध में माँग करता हूँ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

शाहजहाँपुर के शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

[शाहजहाँपुर नगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत शहर के खम्भे व तार बदले जा रहे हैं, शासन की योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रों के विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में 25 लाख तक के बिजली के कार्यों को कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में इसके लिये कार्यों को सूचीबद्ध करके सम्बन्धित अधिकारियों को दिया जिसमें से अभी एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। सम्बन्धित अधिकारियों से बात करते हैं तो वह स्टाफ की कमी तथा धन की कमी बताते हैं, वह कहते हैं कि कार्यालय के मेंटीनेन्स/पुताई तक के लिये न धन है न स्टाफ, इस कारण कार्य की गति धीमी है। शासन की नीति के अनुसार योजनाओं पर अमल तेजी से हो जिसका प्रत्यक्ष लाभ जनता को तत्काल मिले ये अपेक्षा है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से माँग करता हूँ कि **मेरे शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण, तार-खम्भे, आदि के कार्य तेजी से करायें जावें।]**

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत मेरठ बदायूँ राष्ट्रीय राज मार्ग के ग्राम चित्तौन पर रोडवेज बस स्टाप बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***मुन्शीलाल गौतम-**

[मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ-बदायूँ पर गाँव चित्तौन पर बस स्टाप न होने के कारण वहाँ से गाजियाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर जाने वाले यात्री पूरे दिन खड़े रहते हैं, कोई भी रोडवेज बस नहीं रूकती है जिससे नौकरी एवं व्यवसाय करने वाले यात्रियों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान चित्तौन बनवारीपुर, धुघरावली व रसूलपुर आदि दर्जन भर ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझसे माँग की गई है। आवागमन को ध्यान में रखते हुए बस स्टाप का होना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के माध्यम से **मेरठ-बदायूँ राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम चित्तौन पर रोडवेज बस स्टाप बनाने की माँग करता हूँ।]**

वाराणसी नगर में अधिकृत एवं अनाधिकृत रूप से आबाद कालोनियों में सफाई, सीवर सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[वाराणसी में अब तक 100 से ऊपर कालोनियां बन गई हैं जहाँ बने हुए मकानों में लोग आबाद हैं एवं उनके मकानों का दाखिल खारिज भी हो चुका है और वे सभी प्रकार के टैक्स नगर निगम को अदा करते आ रहे हैं। लेकिन इन सभी कालोनियों में सड़कों का तथा सीवर का घोर अभाव है और वहाँ सफाई हेतु कोई कर्मचारी भी नियुक्त नहीं है जिससे वहाँ गन्दगी का साम्राज्य व्याप्त है और लोगों को टैक्स अदा करने के बाद भी नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। वहाँ प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था न होने से आये दिन आपराधिक घटनायें भी घटित होती रहती हैं। उक्त कालोनियों को चिन्हित कर उनके लिए एक योजना बनाया जाना आवश्यक है जिससे वहाँ सड़कों, सीवर, पार्कों आदि का निर्माण के साथ ही प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जा सके और साथ ही आवश्यक सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किये जायें ताकि वहाँ के निवासियों को नागरिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

अत: नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना पर सम्बन्धित मंत्री जी द्वारा वाराणसी नगर निगम को अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाने की माँग करता हूँ।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रिबोर तथा मरम्मत करवाकर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी मे अब तक अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प में से बहुत से खराब हैं जिनकी संख्या कई सौ है जिसके रिबोर तथा मरम्मत की प्रबल

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण में पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता है। विषय पेयजल जैसे जनसुविधा से जुड़ा है।

अत: लोक महत्व जनहित से जुड़े इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

विधायकों को वर्तमान वाहन मूल्य के अनुसार कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राम करन आर्य-**

[मान्यवर, उ0 प्र0 विधान सभा के विधायकों को शासन द्वारा वाहन क्रय हेतु मात्र 2 लाख रूपया का ऋण दिया जाता है जबकि आज की स्थिति में वाहन 4 लाख से कम कीमत का नहीं है जो विधायक आर्थिक तंगी के कारण स्वयं नहीं खरीद सकते हैं उन्हें 2 (दो लाख) में वाहन नहीं मिल सकता है विधानसभा से ऋण लेने के बावजूद पुन: दूसरे बैंक से लेना पड़ता है ऐसी स्थिति में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है इसके लिए जरूरी है कि विधायक जितने कीमत की जिस गाड़ी का कुटेशन देता है उस विधायक को उतनी धनराशि की ऋण स्वीकृत कर दी जाय।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विधायकों को वर्तमान वाहन के मूल्य के अनुसार साधारण व कम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार से वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनाँक 02 जनवरी, 2006 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई है-

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों में पूर्व विधायकों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों को उ0प्र0 परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों मे नि:शुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य न होने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में विधान मण्डल दल के नेताओं से विचार-विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार तथा श्री जगदम्बिका पाल की वर्ष 2006 के प्रारम्भ में उ0प्र0 विधान सभा का नया सत्र न बुलाए जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद-लखनऊ के ग्राम-बरावन कलां निवासी श्रीमती रूपरानी सिंह, पत्नी स्व0 श्री अयोध्या सिंह के बटे श्री राम सिंह उर्फ बबलू सिंह पर हुए कथित प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कौशल किशोर की सूचना अग्राह्य हो गई है। केवल एक सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की ली जायेगी।

वर्ष 2006 के प्रारम्भ में विधान सभा का नया सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरे द्वारा जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया गया है उसके अन्तर्गत, नियमावली के नियमों और संविधान के अनुच्छेदों का अतिक्रमण करते हुए जो व्यवस्था हो रही है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, बहुत स्पष्ट है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 168 के अन्तर्गत विधान सभा का गठन होता है। इसी तरह से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 भी बहुत स्पष्ट है1 इसके अध्याय-4 के नियम 14 में स्पष्ट है और उसके अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए, विधान सभा के सत्र बुलाये जाते हैं। मान्यवर, इस नियमावली के नियम 19 (1) के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रासंगिक भाग है, उसको पढ़े देता हूँ। सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत् हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आहवान के कारण बतायेंगे।

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जब नयी विधान सभा का गठन होता है तो चाहे जब भी गठित हो, जब प्रथम सत्र होता है, तो वह सभा का प्रथम सत्र होता है, तो उस दोनों के समवेत् सदन के साथ ही नई विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होता है। मान्यवर, वह परम्परा ही नहीं, नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत परिभाषित भी है, निर्देशित भी है कि उस अवसर पर समवेत् सदन बुलाया जायेगा और दोनों समवेत् सदनों को महामहिम राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे, सम्बोधित करेंगे। मान्यवर, यह व्यवस्था लागू है कि जब नया कलेण्डर वर्ष प्रारम्भ होगा, मैं नये कलेण्डर वर्ष पर जोर देता हूँ, वित्तीय वर्ष नहीं, कलेण्डर वर्ष जो पहली जनवरी से प्रारम्भ होता है और उसमें जब कभी भी प्रथम सत्र आहूत होगा तो मान्यवर समवेत् सत्र बुलाया जायेगा विधान सभा और विधान परिषद् का और उसे महामहिम राज्यपाल सम्बोधित करेंगे। मान्यवर, यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि महामहिम राज्यपाल सम्बोधित करेंगे और महामहिम राज्यपाल वही सम्बोधित करेंगे जो प्रदेश सरकार और उसकी मंत्रिपरिषद् अभिभाषण में जिन अंशों का समावेश करे। उसी अभिभाषण को वे मान्यवर सम्बोधित करते हैं और उसी को सदन को मान्यवर सुनाया जाता है।

मान्यवर, यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है और इसकी परम्परा इसलिए डाली गयी है कि वर्ष के प्रारम्भ में मंत्रिपरिषद् अपनी प्राथमिकता तय कर ले। मंत्रिपरिषद् यह बताये कि आने वाले वर्ष में वह प्रदेश की सरकार के माध्यम से जनता की भलाई के लिए कौन सी नीतियां बनाने जा रही है। कौन से कार्यक्रम रखने जा रही है और आने वाले वर्ष में मान्यवर वह क्या-क्या कदम उठाने जा रही है। इसलिए मान्यवर महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है। मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसी के साथ हम पर यह भी नियमावली के नियमों के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है कि उस अभिभाषण पर हम चार दिन या तीन दिन की चर्चा करते हैं और चर्चा के पीछे उद्देश्य होता है कि हम अपने-अपने विचार उस अभिभाषण पर रख देते हैं। मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से यह परम्परा होती है कि उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखता है उस अभिभाषण पर। परन्तु सम्पूर्ण सदन को उस पर बन्धन नहीं होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, सम्पूर्ण सदन के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होता है कि

राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने सुझाव दे सके और जो सुझाव दे दिये जाते हैं यथासंभव बजट सत्र जब आता है तो जो स्वीकृति होती है सामान्यतया वही होती है जो मंत्रि परिषद् निर्णय लेती है और जो राज्यपाल जी के अभिभाषण का अंश बनता है, वही बजट में बजटरी प्राविजन, जिसको कहा जाता है, बजट का प्राविधान हो जाता है।

मान्यवर, ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है इसके पूर्व तीन बार कम से कम मुझे मालूम है शासन को और मालूम होगा। तीन बार इस तरह के अवसर यहाँ पर हुए हैं जब जनवरी माह में सत्र चलने के कारण राज्यपाल जी का अभिभाषण नहीं हो पाया। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई नियमों के प्रतिकूल जाकर हमने कार्य किया है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई संवैधानिक संकट नहीं उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक परम्परा का पालन नहीं हो रहा है। नियमावली की भावनाओं को नहीं देखा जा रहा है। मान्यवर, इन तीनों अवसर पर जो परिस्थिति थी उसमें फर्क है इस परिस्थिति में। मान्यवर, पहले जब कभी भी ऐसी स्थिति आयी है तब समय का अभाव रहा है। इन तीनों परिस्थितियों के सम्बन्ध में मैं चाहूँगा कि सरकार जवाब देने के लिए जब खड़ी हो तो स्पष्ट बता दें। मान्यवर, कभी-कभी अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव हुए हैं और जिसके फलस्वरूप दिसम्बर-जनवरी में सत्र बुलाया गया और सत्र के लिए जितने दिन चाहिए उतने दिन भी नहीं बचे थे। क्योंकि दिसम्बर में चुनाव परिणाम आये। उसके बाद सत्र बुलाकर बहुमत साबित करना हुआ तो ऐसी परिस्थितियों में यह किया गया। लेकिन यहाँ तो परिस्थितियां भिन्न हैं।

मान्यवर, 21 नवम्बर को सत्र बुलाया आपने, सरकार के सुझाव पर महामहिम राज्यपाल ने बुलाया और 21 नवम्बर से लेकर 10 दिन तो नवम्बर में थे 31 दिन दिसम्बर में थे, 41 दिन और 41 दिन के बीच में कुल उपवेशनों की संख्या 7 रही। 41 दिन जो मिले हमें उसमें हम 7 बार ही सदन में बैठे हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं था मान्यवर, कि हम अपना एजेन्डा इन 41 दिनों में नहीं निपटा सकते थे, कोई आपातस्थिति ऐसी नहीं थी, कोई ऐसी दैवी आपदा भी नहीं थी। मान्यवर, यह निर्णय कार्यमंत्रणा समिति लेती है, उसने लिया जब एजेन्डा नहीं, काम नहीं हुआ। मान्यवर, पिछली बार में और इस बार में बड़ा फर्क है। पिछले जब तीनों अवसरों पर हुआ है तो मान्यवर, समय का अभाव था यहाँ समय पर्याप्त था उसके बावजूद भी मान्यवर, जनवरी में हम बैठे हुए हैं उससे हम वंचित किस बात से रह जायेंगे यह सरकार चुनावी वर्ष है एक साल डेढ़ साल में चुनाव होना है 14 महीने विधान सभा का कार्यकाल है सरकार पूरे प्रदेश को बता सकती थी और उसकी बताने की इच्छा भी रही होगी कि ये योजनाएं हम प्रारम्भ करना चाहते हैं, यह नीतियां हम परिभाषित करना चाहते हैं।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण न होने के कारण मान्यवर, उस महत्वपूर्ण सूचना से और उस पर विचार-विमर्श से यह सदन वंचित रह जायेगा। मान्यवर, जब नया सत्र बुलाया जायेगा तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया का पालन होगी। लेकिन यह हो सकता था अगर ये 41 दिनों मे 7 दिन का सत्र न बुलाते जो कार्य था उसको 10-15 दिन में पूरा कर सकते थे। यह पिछली बार और इस बार की परिस्थितियों में फर्क है। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इसको लेकर तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोगों के पास नहीं है मैं चाहूँगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर जिस पर नियमावली का भी और संविधान में दोनों की मूल भावनाओं से जुड़ी हुई परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है और विशेष रूप से जब पर्याप्त समय था कि हम कार्य निपटा सकते थे दिसम्बर के पूर्व तो सदन न बुलाये जाने के औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

***श्री जगदम्बिका पाल-**

श्रीमन्, आप खुद उस पीछ पर बैठे हुए हैं जहाँ आप न केवल इस पीठ की गरिमा की रक्षा करते हैं बल्कि संविधान की, परम्पराओं की नियमों की और संविधान के अनुच्छेद और अपने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, 1958 उनके सबके आप एक कस्टोडियन के रूप इस महान सदन की उन परम्पराओं की रक्षा करते हैं। काफी विस्तार से माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा है लेकिन मान्यवर, आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि लगमग 3 माह से यह सदन चल रहा है नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी प्रारम्भ हो गया है। इस तीन माह के सदन में मात्र 16 घंटे 51 मिनट की केवल कार्यवाही हुई है तो मान्यवर, अगर हम पूरे वर्ष भी चला लें तो 90 दिन का जो माना जाता है कि सामान्यत: 90 दिन विधान सभा के कार्यदिवस होंगे तो मैं समझता हूँ कि 90 दिन के कार्यदिवस होने के बावजूद भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब 3 माह में 7 दिन का उपवेशन हो तो 12 माह में 28 दिन का कुल उपवेशन होगा और खर्चा कितना आता है अगर अनवरत् सदन चलता रहता है तो आप स्वयं इस बात से सहमत है कि इस सदन को अगर सत्रावसान न किया जाय तो निश्चित तौर से एक अतिरिक्त बोझ एक्सचेकर पर पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि आपकी यह मंशा है, इस सरकार की मंशा है कि हम संविधान के परम्पराओं के नियमावली के अनुरूप हम इस सदन की कार्यवाही को ज्यादा से ज्यादा चलाये तो आज तक यह परम्परा कभी नहीं रही है। सदन की कार्यवाही जब भी प्रारम्भ हुई है तो अनवरत् चली होगी केवल मान्यवर, शनिवार, रविवार या कोई अवकाश हो या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सम्मेलन हो। मान्यवर, आज सदन बन्द हो जाय और हम 16 तारीख को सदन में बैठे तो इससे न केवल सदन का कार्य बाधित हो रहा है बल्कि हम लोग चाहे सरकार में बैठे हों चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हों, हम लोग अपने विधान सभा के क्षेत्र के प्रति या बाहर अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। क्योंकि मान्यवर, यह लगता है कि सदन में हमें प्रश्न लगाना है या प्रस्ताव तैयार करना है। दूसरी बात यह रही कि आप इस सदन की इस गरिमा को, उस परम्परा को बचाने का काम करें। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव होता है, यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का दस्तावेज होता है, इस अभिभाषण पर सदन की भावनाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है, इस पर सुझाव भी आते हैं और सुझावों के बाद इस पर पारित धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर आप महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो सदन की परम्परायें टूटेगी। किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा न हुआ हो, वह अलग बात है लेकिन आज सदन के इस उच्च सदन पर आप जैसा महान व्यक्ति विराजमान है और मैं समझता हूँ कि आप इन परम्पराओं को अक्षुण रखने का प्रयास करेंगे। महामहिम का अभिभाषण न होने से गरिमा को ठेस पहुँच रही है, इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि वह इन परम्पराओं को न तोड़े। यह वही सदन है जो इस देश के लिये ही नहीं, बल्कि पूरे देश की संसदीय परम्पराओं के मार्गदर्शक के रूप में रहा है।

आज इस विधान सभा के द्वारा लिये गये निर्णयों का जो संकलन है, वह देश के अन्य राज्यों की विधान सभाओं के लिये यहाँ तक कि लोकसभा के लिये भी रिफरेंस है। तो मान्यवर, आप इस सदन की महान संसदीय परम्पराओं की रक्षा अवश्य करेगें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई औचित्य का प्रश्न हो नहीं सकता। अभी तक मात्र 7 दिन का सदन हुआ है, इतने दिनों में इतने कम दिन सदन चलने के पीछे जो भी मंशा रही हो, लेकिन यह सही है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसलिये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता। आप इसे औचित्य प्रश्न के रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें, जिससे इस पर चर्चा हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप संविधान का अनुच्छेद-176 पढ़ लेगें तो क्लियर हो जायेगा।

***श्री हुकुम सिंह-**

मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है कि इस प्रदेश में दो सदन हैं, विधान परिषद् और विधान सभा, एक अवसर हमें ऐसा मिलता है, जब दोनों सदन आपस में मिलते हैं और जिस तीसरे का आपने जिक्र किया, वह भी होते हैं। इससे पूर्णता: का आभास होता है और अच्छा लगता है। इस अवसर पर विधान परिषद् के सदस्य भी आते हैं और विधान सभा के भी रहते हैं, महामहिम राज्यपाल भी आते हैं तो एक संदेश जाता है, हमारी अपेक्षा यह होती है कि इसके माध्यम से सराकर की नीतियाँ आयेगी, हमको जानकारी मिलेगी और जानकारियों के बाद कुछ कहने का अवसर मिलेगा, उससे हम लोगों को वंचित किया जा रहा है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं इनकी इस बात से पूरा इत्तिफाक करूँगा।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप अनुच्छेद 176 पढ़ लेगें तो पूरा क्लियर हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, वैसे तो इस प्रश्न का जवाब माननीय राजस्व मंत्री जी देगें। लेकिन मैं हुकुम सिंह जी की इस बात से 100 फीसदी इत्तिफाक करता हूँ कि ऐसा मौका होना चाहिये कि जब विधान सभा के माननीय सदस्य, विधान परिषद् के माननीय सदस्य और महामहिम राज्यपाल एक साथ हों तो मेरा सुझाव है कि आपकी तरफ से एक भोज हो जाय, तो यह काम हो जायेगा।

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रमोद तिवारी जी और माननीय जगदम्बिका पाल साहब ने जो नियम-300 के अन्तर्गत सूचना दी है और उसमें उल्लेख किया है, नियमावली के नियम 19 (1) का और संविधान के अनुच्छेद 174 का। मान्यवर, 2-3 बातें इसमें कही गयी हैं। मान्यवर, मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं, अनुच्छेद-174 का उन्होंने उल्लेख किया है लेकिन जो बातें असल सन्दर्भ में इन्होंने कही है, वह अनुच्छेद-174, 175 और अनुच्छेद-176 तीनों को जब एक साथ रखेंगे, तभी बात स्पष्ट होगी। अनुच्छेद-174 में राज्यपाल के अधिकार का उल्लेख है, जिसमें सदन को आहूत करने का उनका अधिकार है। अनुच्छेद-175 में उनके द्वारा सदन को सम्बोधित करने के अधिकार का उल्लेख है। असलबात अनुच्छेद-176 की है, जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा है, पाल साहब ने तो वह बात नहीं कही है, उन्होंने तो दूसरी बात कही है, उसका उल्लेख मैं बाद में कर दूँगा। अनुच्छेद-176 में प्रावधान किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है, यह अंग्रेजी में है मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ, बाद में हिन्दी में बता दूँगा। "एट द कमेन्समेन्ट आफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेम्बली एण्ड एट द कमेन्समेन्ट आफ द फर्स्ट सेशन आफ ईच ईयर" जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका बल भी इसी पर है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारम्भ में, जिसकी शुरूआत महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण से करेंगे। मैं इससे सहमत हूँ, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि यह कैलेण्डर ईयर होना चाहिए, कैलेंडर ईयर से पहला सेशन होना चाहिए और इस 2006 के कैलेंडर ईयर में आज के दिन हम पहली बैठक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह वर्ष की पहली बैठक है, सत्र की पहली बैठक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं सत्र नहीं कह रहा हूँ, कैलेंडर वर्ष ही कह रहा हूँ। मैंने कैलेंडर वर्ष कहा है, किसी कैलेंडर वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा उसको आहूत करने के बाद महामहिम राज्यपाल यहाँ आयें और अपना अभिभाषण सदन में रखें। इसके अतिरिक्त हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-19(1) में प्राविधान है कि "सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत् हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे" इन प्राविधानों का जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं और इसका पालन होना भी चाहिए। सरकार जोर देकर इस बात को कहना चाहती है। हम कोई अपवाद भी नहीं बनाना चाहते हैं, हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि इन नियामों को शिथिलकर कोई काम किया जाए और न ही हमारे पास इन नियमों को शिथिल करने के कोई कारण है। हम कोई छूट नहीं चाहते हैं, हम तो इन प्राविधानों को लागू किये जाने के पक्षधर हैं लेकिन जो आपने व्याख्या की है कैलेंडर वर्ष की, उसके बारे में मैं अपना निवेदन रखूँ, उसके पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उल्लेख किया है कि इसके पहले तीन अवसरों पर ऐसा हुआ है, इसमें मैं कहूँगा कि इसके पहले तीन नहीं बल्कि दस अवसरों पर ऐसा हो चुका है। आज के अवसर के पूर्व इस माननीय सदन में दस अवसर ऐसे आये हैं जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जब पिछले साल के कैलेंडर ईयर के चलते हुए सत्र अगले कैलेंडर ईयर में चला गया और उस समय इन परिस्थितियों पर निर्णय भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो बात आपने परम्परा की कही है, तो जब इससे पूर्व में दस अवसर ऐसे हो चुके हैं तो परम्परा की तो कोई बात ही नहीं है। नियमावली और संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ऐसा आपने कहा है, इसलिए सफाई देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पाल साहब ने तो नोटिस के समर्थन में ही अपनी बात कही है लेकिन वह बात नहीं कही, जो नोटिस में है। उन्होंने कहा कि इतने दिन कार्यवाही नहीं चली, घंटे कम हो गये। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के बारे में अगर वह कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो वह इतने वरिष्ठ हैं कि मैं उनके बारे मे कुछ नहीं कह सकता हूँ। कार्य-मंत्रणा समिति को कार्यदिवस तय करने का सम्पूर्ण अधिकार है और कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को सभी दलों के नेताओं द्वारा तय किया जाता है और उस सिफारिश को यह पूरा सदन सर्वसम्मति से पारित भी करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाल साहब अपनी टिप्पणी पर स्वयं विचार करेंगे और माननीय हुकुम सिंह जी का शंका समाधान हो गया है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बता दिया, उसका उपाय भी है। मैं इस अवसर पढ़ूँ इसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि सदन में जब आपकी अध्यक्ष पीठ पर खेर साहब विद्यमान

थे तब यह प्रकरण एक बार आया, विस्तार से विचार हुआ। विस्तार से विचार हुआ तो उस पर इन सारी बातों को दोहराया गया था, ऐसे ही प्रश्न उठे कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हुआ और खेर साहब ने अपनी जो फाइन्डिंग्स दी 3 फरवरी, 1958 को, उसे इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। डॉ0 सम्पूर्णानन्द जी नेता सदन थे, उन्होंने जो बातें कही हैं उनको स्वीकार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यह स्वीकार किया था कि कैलेंडर ईयर में पहला सेंशन होना चाहिए और यह कैलेंडर ईयर 2006 से प्रारम्भ हो गया है, मुझे इन दोनों बातों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला सत्र कौन सा है, उसको आहूत किसने किया, किस तिथि को आहूत किया, यह बातें सभी को मालूम हैं? महामहिम राज्यपाल जी ने यह सत्र जब आहूत किया था तो सभी को आह्वान पत्र गया था। यह सत्र कौन सा है जो महामहिम जी ने नवम्बर में आहूत किया था। इसलिए इस सत्र के चलते हुए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह प्रथम सत्र नहीं है, जब प्रथम सत्र नहीं है तो इस प्राविधान को लागू किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। पीठ ने इससे पहले भी यह बात कही है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ इसके पहले बहुत स्पष्टता से बात कही गयी है कि पहला सेशन जब हो तो उसी को एड्रेस करेंगें। जब भी इस सत्र का सत्रावसान हो जायेगा और नया सत्र आहूत होगा तब ऐसा अवसर आयेगा। इस चीज को जनता को जानने का अधिकार है। एक नहीं दस बार ऐसा अवसर आया है और यह संविधान के अनुकूल है। श्रीमन्, सदन को पूर्ण अधिकार है कि बैठक जब चाहे इस सत्र में बुलाये और जब चाहे स्थगित करे। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का अधिकार सदन को है इसमें महामहिम या किसी संवैधानिक शक्ति से पूछने या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जब यह सत्र चल रहा है तो उस सत्र में कब बैठक हो कब न हो यह तय करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है। कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश और उसके अनुमोदन के पश्चात् ही सदन का कार्यक्रम तय माना जाता है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस बात को तय करेंगें कि किस तारीख को कौन सी बैठक बुलायी जाए और कौन सी स्थगित की जाए। सदन के इन अधिकारों पर न ग्रहण लगाने कबी बात हो सकती है और सदन के इन अधिकारों पर महामहिम और किसी का नाम लेकर इनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है। आपने वर्ष 2005 में जिस दिन सदन स्थगित करने की बात कही है उसी दिन आपने कहा कि दो जनवरी, 2006 को मिलेंगे। आपके अधिकार और इस सदन की व्यवस्था पर किसी का प्रश्न उठाना न नियम संगत है, न परम्परा संगत है, न संविधान सम्मत है। इसलिए इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन अवसरों को मैं जरूर उद्धत करना चाहूँगा, एक-दो नहीं, दस अवसर हैं। पहली बार 1952 में दिसम्बर 2 तारीख से चला आ रहा सत्र 10 जनवरी को समाप्त हुआ। 10 जनवरी, 1953 के बीच में राज्यपाल जी का अभिभाषण नहीं हुआ। 1955 में 5 दिसम्बर से शुरू हुआ सत्र 18 जनवरी, 1956 तक चला इसमें भी महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण नहीं हुआ। वर्ष 1957 में सत्र 9 दिसम्बर से 5 अप्रैल, 1958 तक चला, इसमें भी अभिभाषण नहीं हुआ। 1958 में 21 जुलाई से सत्र प्रारम्भ हुआ ऐसा नहीं है प्रमोद तिवारी जी कि इमरजेंसी हो, तत्काल चुनाव में जाना था, समय नहीं था, इस समय ऐसा कुछ नहीं है। मान्यवर, 21 जुलाई से सदन प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 2 अप्रैल तक चला है। तब कोई प्रश्न नहीं उठा। उसके बाद 1959 में 21 दिसम्बर, से सदन चलना शुरू और 5 मई, 1960 तक चला। उसके बाद 1961 में 31 जुलाई से 4 मार्च 1962 तक सदन चला, जुलाई से लेकर मार्च तक सदन चला है, इस समय तो नवम्बर से जनवरी मे सदन चल रहा है, तो यह कोई कठिनाई का कारण नहीं है। इसके पूर्व सदन 9 महीने चला है तो इस समय जो सदन चल रहा है वह कोई कठिनाई का कारण नहीं है। सदन कितने दिन चलना चाहिये यह सदन को तय करना है। अगर सदन तय करता है कि सदन एक वर्ष तक चलना चाहिये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मान्यवर, उसके बाद 1972 में 12 दिसम्बर से लेकर 21 मई तक सदन चला है। 1974 में 17 दिसम्बर से 3 जनवरी तक सदन चला है। उसके बाद1987 में 29 दिसम्बर से लेकर 5 जनवरी तक सदन चला है। 1999 मे जब माननीय राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार थी तब 31 दिसम्बर से चला आ रहा सदन 5 जनवरी तक चला है। तो मैं इन तथ्यों का उल्लेख इसलिये करना चाहता था कि अगर इस बार हम नये कलेंडर ईयर में आ गये तो इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का न कोई प्राविधान है और न कोई आवश्यकता है कि इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय आयें और अपना अभिभाषण रखें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तिवारी जी ने स्वीकार किया सरकार संविधान सम्मत और नियम सम्मत कार्यवाही कर रही है और सरकार परम्परा सम्मत कार्य कर रही है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार लोकतंत्र की तमाम उच्च परम्पराओं और संवैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य कर रही है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और इस नोटिस को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने नोटिस नहीं दिया है तो उसके निरस्त करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं अपनी भूल को सुधारता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो औचित्य का प्रश्न रखा है उसका क्या औचित्य है यह सदन को ज्ञात होना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय मंत्री जी बहुत पढ़े-लिखे और समझदार हैं। मान्यवर, मैंने यह कहा था कि संविधान के विरूद्ध कार्य नहीं हो रहा है, नियमावली के विरूद्ध कार्य नहीं हो रहा है लेकिन मैंने औचित्य का प्रश्न इसलिये उठाया था कि मैं यह जानना चाहता था कि आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण सदन चलाने में ऐसा किया जा रहा है। आपने 9 महीने 10 महीनें की बातें की, तो उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को बताया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आज क्या कारण है उनको आप बतायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

कार्य मत्रणा समिति का सुझाव है।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा आशय यह नहीं है कि अगर कलेडर ईयर बदल गया है तो पहले अभिभाषण कराते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि 7 दिन के लिये सदन बुलाते हैं और उसके बाद अगले साल तक चला रहे हैं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल-

आप कोई व्यवस्था दें उसके पूर्व एक बात कहना चाहता हूँ राजस्वमंत्री जी ने अभी कहा कि मैंने

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। उसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की है। आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि सदन की कार्यवाही तभी चलती है जब सरकार के पास कोई बिजनेश हो।

श्री अध्यक्ष-

यह बातें पहले भी कह चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं सदन को यह जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब नए कलेंडर ईयर का नया सत्र बुलाया जाएगा उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ज्वाइंट सेशन को जरूर संबोधित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस औचित्य के प्रश्न पर श्री प्रमोद तिवारी जी व जगदम्बिका पाल को सुना उन्होंने स्वत: यह कहा..

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि माननीय कांग्रेस के सदस्यों ने बार-बार महामहिम राज्यपाल महोदय को सदन में न बुलाने की बात को इस तरह पेश किया। महामहिम राज्यपाल महोदय महान हैं वह यहाँ आएं या बाहर रहें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मुझे व्यवस्था देने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, अब आप इस पर व्यवस्था न दें क्योंकि जिस तरह से संसदीय कार्यमंत्री जी ने खड़े होकर मीठे शब्दों में कह दिया है उससे मन्तव्य साफ हो गया है और मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।

श्री अध्यक्ष-

श्री तिवारी जी ने औचित्य के प्रश्न को सदन के सम्मुख रखते हुए स्वयं स्वीकार किया है कि न तो संविधान के किसी प्राविधान का उल्लंघन हुआ है न ही नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन हुआ है। औचित्य का प्रश्न उसी समय बनता है जब नियमावली का उल्लंघन हो या किसी संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। संविधान के अनुच्छेद 176 को देखें राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत् दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान सभा मण्डल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। इसी के आगे पैरा दो में सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे

अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जायेगा। नियमों में यह व्यवस्था है उसके अनुसार जब यह सत्र खत्म होगा और दूसरा सत्र बुलाया जायेगा उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। राजस्व मंत्री जी ने भी इस स्वीकार किया है उन्होंने 10 उदाहरण भी दिए है उससे पता चलता है कि इसमें परम्पराओं का भी उल्लंघन नहीं हुआ है, न हीं संविधान का और न ही नियमावली का उल्लंघन हुआ है इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री हैं आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं यह आपको शोभा नहीं देता है।

***नरेश चन्द्र अग्रवाल-**

श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो 300 की नोटिस दी है और उस पर जो अपने विचार रखे उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि न तो नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन हुआ न ही संविधान के किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो जब सदस्य ने स्वयं लिखकर दिया और खुद कह भी रहे हैं तो इस पर चर्चा कराने की क्या जरूरत थी।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा इसलिए कराई गई कि हो सकता है कि उनके पास कोई तथ्य हों।

तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में पिछले दिनों उपवेशन के दौरान मैंने तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज उठाई थी उस पर आपने कृपापूर्वक व्यवस्था दी थी कि आप अपने कक्ष में बैठक करेंगे। एक बार बैठक हुई फिर कई बार बैठक आयोजित होने के बाद बैठक नहीं हो पाई जिससे छात्रों के प्रति जो संवेदनशीलता सदन ने दिखाई थी उसका कोई परिणाम नहीं आ पाया। मैं कृपापूर्वक आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र बैठक करायें ताकि वह किसी परिणाम तक पहुँच सके। आप बैठक किये जाने के सम्बन्ध में यही सदन में व्यवस्था दे दें। बैठक में कुलपति जी को भी अवश्य बुला लिया जाय ताकि कोई निर्णय हो सके क्योंकि अभी तक जो अधिकारी आये वे निर्णय लेने के लिये सक्षम नहीं थे। बैठक में यदि कुलपति रहेंगे और वे आपकी उपस्थिति में इस पर निर्णय दे देंगे तो छात्रों के प्रति जो संवेदनशीलता सदन ने दिखाई थी वह किसी नतीजे पर पहुँच पायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अभी सदन उठने के बाद मैं खुद, आप संसदीय कार्य मंत्री और टैक्निकल एजूकेशन मिनिस्टरको बुलाकर इस बारे में बात कर लेंगे कि यह बैठक कब करनी है।

(श्री रंगनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)
(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों सारे कागज लेकर खड़े हो गये? खन्ना साहब, आप बैठ जायं नियम-56 के बाद कहियेगा अभी मिश्रा जी को बोल लेने दें। वे अभी उप चुनाव में जीतकर आये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनके बाद मुझको सुन लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 के बाद कहियेगा।

औराई विधान सभा क्षेत्र, जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) से उप चुनाव में निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की माँग

***श्री रंगनाथ मिश्र-**

मान्यवर, मैं 2 दिसम्बर के उप चुनाव में औरैया विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूँ। मान्यवर, चुनाव जीतने के बाद मुझे जान से मारने की धमकी अनेकों बार दी चुकी हैं। आप भदोही जनपद के हालात जानते हैं कि किस ढंग से माफियाओं का शिकंजा वहाँ कसा हुआ है। चुनाव जीतने के बाद मुझे वहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं पर शासन की तरफ से अनकों समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं। पहले वहाँ पर बिजली 24 घंटे दी जा रही थी।

श्री अध्यक्ष-

बिजली की समस्या इसमे कहाँ आती है। आप अपनी सुरक्षा के बारे मे कह रहे थे वह बात आपकी आ गई है। बिजली के बारे में अलग से किसी नियम में कहियेगा। आप अपनी व्यक्तिगत समस्या के बार में बता रहे थे। माननीय सदस्य का कहना है कि जब से यह उप चुनाव में जीते हैं इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने मुझसे कई बार कहा और आज भी इन्होंने मुझसे कहा किमेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। बिजली की समस्या इसमें नहीं आती है। आप मंत्री रहे हैं, नियम समझ लीजिये। सुरक्षा के बारे में कह रहे थे, वह ठीक है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं सुरक्षा के बारे में ही कह रहा हूँ। बिजली की बात छोड़ दीजिये। आप नहीं सुनना चाहते हैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न सुनें लेकिन इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। जिस तरीके से हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको मैंने बताया था और आपने बुलाकर प्रमुख सचिव गृह से भी कहा था। एक विधायक को जो गनर दिया जाता है उसी तरह से मुझको भी एक गनर दिया गया है। आप जानते हैं इसी सदन में तमाम लोग ऐसे हैं जिनको 4-4 लोग ए0के0-47 वाले दिये गये हैं। जिसको मैंने हराया है उसी के डर के मारे सत्तारूढ़ दल ने उसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है। आज स्थिति यह है कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया है। चारों ओर से यह कहा जा रहा है और मुझसे भी कहा गया कि जिस ढंग से इलाहाबाद के एक विधायक की हत्या कराकर फिर से उप चुनाव हुए। उसी तरह से आप बहुत दिन विधायक नहीं बने रह पायेंगे। मैंने अपनी सुरक्षा के बारे मे लिखकर दिया और आपने निर्देश भी दिये लेकिन फिर भी मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। मैं शासन की तरफ से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था चाहता हूँ। जिस तरह से कृष्णानन्द जी की हत्या हुई और उसमे फिर यह आया कि वे माफिया थे, गैंगवार में थे। मान्यवर, मैं ऐसा विधायक हूँ जिसके खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं है। आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें मुझे जेड कैटेगिरी की सुरक्षा प्रदान की जाय। मैं तीन बार सदस्य रहा हूँ और गृह मंत्री भी रहा हूँ। इस नाते मुझे जेड कैटेगिरी की सुरक्षा दिलवा दें। इस सदन में लोगों को जेट सिक्योरिटी दी गई है किसी कारणों से, वह कारण विद्यमान हैं। मैं तीसरी बार सदन में आया हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, गृह मंत्री रहने के नाते और भी अनेक कठिनाइयां हैं जैसा कि आप जानते हैं मान्यवर, गृह मंत्री के ही नाते मुख्य मंत्री तक को जेड सिक्योरिटी दी जाती रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है अब समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

पार्टी से ऊपर उठकर सिक्योरिटी दिलवा दें। शासन की भी जिम्मेदारी बनती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात में स्वयं कहा है एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है, तो जाहिर है जो हारने वाला है, वह आपसे कमजोर है तभी तो हार गया है हैरते-एतबार से। आप जीतने वाले हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं राजनैतिक तौर पर, तो आपको समर्थन जनता का भी ज्यादा है सरकार की तरफ से आपका ध्यान भी ज्यादा रहेगा। विधायक के तौर पर जो शैडो गनर दिए जाते हैं जितने प्राविधानित हैं, वह आपको उपलब्ध हैं इसके अलावा भी अगर कोई जरूरत है तो आपने उसकी जिज्ञासा जाहिर कर दी है सरकार इस बारे में पूरा ध्यान रखेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसमें अलग से कोई व्यवस्था कर दीजिए

डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 09 दिसम्बर, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 2005)

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 09 दिसम्बर, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि :-

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि :-

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5, 6 में कुछ नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 02 जनवरी, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 03 जनवरी, 2006 से 24 जनवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1- दिनांक 03, 04 एवं 05 जनवरी, 2006 को सदन के उपवेशन न हों।

2- दिनांक 16 जनवरी, 2006 को सदन का उपवेशन हो।

3- दिनांक 03 जनवरी, 2006 से 24 जनवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2006

03 मंगलवार।
04 बुधवार।
05 गुरूवार।
06 शुक्रवार।
07 शनिवार।
08 रविवार।
09 सोमवार।
10 मंगलवार।
11 बुधवार। बैठक नहीं होगी।
12 गुरूवार।
13 शुक्रवार।
14 शनिवार।
15 रविवार।

16 सोमवार। बैठक होगी (निधन के निर्देश)

17 मंगलवार।
18 बुधवार। विधायी कार्य।
19 गुरूवार।

20 शुक्रवार। असरकारी दिवस।

21 शनिवार।
22 रविवार। बैठक नहीं होगी।

23 सोमवार।
24 मंगलवार। विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दि0 24 नवम्बर, 2005 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है। वक्तव्य देंगे या स्थगित कराना चाहते हैं?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

स्थगित कर दें।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, आप इसे अगली बार के लिए स्थगित कर दें। माननीय श्री मुन्ना जी भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह कब तक चलता रहेगा, इसे निरस्त कर दें? कापी बंट गई हैं तो सुन लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

यदि आप मेरे अनुरोध को नहीं मानते हैं, तो कर दीजिए। चार सदस्यों में से चारों नहीं हैं। लेकिन फिर आइंदा से किसी के अनुरोध पर स्थगित नहीं करिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, स्थगित करते हैं। अभी सप्लीमेंट्री एजेन्डा आयेगा।

(अनुपूरक कार्यसूची आने में विलम्ब को देखते हुए सदन की सहमति से श्री अध्यक्ष ने कार्यस्थगन की सूचनाओं को ले लिया)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 जनवरी, 2006 को नियम-311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की-ग्राम हथियाखेड़ा, थाना-हसनगंज, जनपद-ज्योतिबाफुले नगर अन्तर्गत 1-1 दिसम्बर, 2005 को वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जगमोहन खडगबंसी की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की-कैफियत एक्सप्रेस में सशस्त्र डकैतों द्वारा दर्जनों यात्रियों को गंभीर रूप से मारपीट कर लाखों रूपये की लूट करने के संबंध में। तीसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की-गोरखपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। चौथी सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की-जनपद एटा स्थित जिला जेल में निरूद्ध देवेन्द्र पुत्र गीतम सिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री जगदम्बिका पाल और श्री प्रमोद कुमार जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अत: अस्वीकृत हुई :-

1. श्री कौशल किशोर (नियम-311 में प्राप्त), 2. श्री सुरेश कुमार खन्ना (नियम-311 में प्राप्त), 3. डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, 4. श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार 5. श्री कौशल किशोर, 6. श्री धर्मराज निषाद, 7. श्री मुंशी लाल गौतम और 8. डा0 विनोद तिवारी।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, हमारे महमंत्री संतोष साहू जी जो थे।

श्री अध्यक्ष-

वह नियम-51 में स्वीकार हो गया है और वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है, जब वह आयेगा तब पूछ लीजिएगा।

श्री प्रमोद कुमार-

आप इस पर आधे घण्टे की नियम-52 में चर्चा लगा लें। आप इस पर विचार कर लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, विचार कर लेंगे।

***श्री हुकुम सिंह-**

अध्यक्ष जी, वर्ष 2006 में हम आज बैठ रहे हैं, नया वर्ष है, आपने भी शुभकामनाएँ दी हैं लेकिन मैं एक दर्दनाक घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जो स्थिति अपराध की प्रदेश में हो रही है, कई बार ध्यानाकर्षण भी हो रहा है लेकिन यह ऐसी घटना है, मैं संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करूँगा, यदि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई तो और हाहाकार पूरे प्रदेश में होगा। यह 11 दिसम्बर की घटना है। 11 दिसम्बर को प्रात:काल लगभग साढ़े आठ बजे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जगमोहन खडगबंसी जो एक नौजवान थे, वह ओ0बी0सी0 नेता के रूप मे विकसित हो रहे थे। प्रात: साढ़े आठ बजे कुछ लोग आए, वह एक नाई की दुकान पर बैठकर बाल कटवा रहे थे। मान्यवर, कितनी ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गयी। संयोग की बात है कि सुबह 8.30 बजे का समय था चश्मदीद लोग वहाँ पर उपस्थित थे। इसमें एफ0आई0आर0 तत्काल करा दी गयी जिसमें 3 आदमियों को नामजद किया गया और दो को अज्ञात में दिखाया गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो 3 व्यक्ति नामजद कराये गये उसमें एक राज्य सरकार में राज्य मंत्री हैं और एक राज्यमंत्री के भाई हैं। दो तो उसमें नामजद हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मान्यवर, कुछ दिन पहले यहाँ पर यह संकल्प लिया गया था कि हम किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देंगे और न किसी अपराधी को टिकट देंगे। सदन में लिए गये संकल्प की गरिमा बनी रहे, तो क्या आरोपी राज्यमंत्री के पद पर बने रहने पर वह संकल्प बना रहेगा? आप कैसे जनता को उस संकल्प के प्रति विश्वास दिलाएंगे? मान्यवर, 11 तारीख की यह घटना है और आज 2 जनवरी हो गयी है आज तक वहाँ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप इस पर भी विचार करें। अगर राज्य का राज्यमंत्री उस हत्या में शामिल होगा या राज्यमंत्री का भाई शामिल होगा तो हम पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे। वह क्या कार्रवाई करेंगे? अगर आपने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया होता तो हम समझते कि आपने कुछ संदेश दिया है और वहाँ की पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाएगी। जब तक वह मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं होगी। प्रदेश के मुख्य मंत्री बार-बार यह कहते हैं कि वह अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी वहाँ मौके पर गये थे, मैं भी उनके साथ था। एक लाख आदमी वहाँ पर आँसू बहा रहे थे और कह रहे थे कि हमने अपराधियों को वहाँ से जाते हुए देखा है और उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी भी वहाँ पर गये। वहाँ पर हजारों लोग बिलख रहे थे। मान्यवर, हम विपक्ष में बैठे हैं अपनी पीड़ा हम व्यक्त कर रहे हैं। मान्यवर, थाना हसनगंज में थाने के सामने हजारों लोग धरना दे रहे हैं और इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि हत्यारों के विरूद्ध कार्रवाई होगी। क्या यह शर्मनाक नहीं कि नामजद रिपोर्ट के बाद भी आरोपी मंत्री पद पर आसीन हैं और पुलिस न उन्हें और न उनके भाई को गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में हम जनपद में वहाँ की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मान्यवर, हमारी दो माँगे हैं-एक तो यह कि संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ पर घोषणा करें कि चाहे कोई भी कितने भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो उसे 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करके कार्रवाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जाएगी और दूसरी यह कि इस हत्याकांड की सी0बी0आई0 जाँच की हम माँग करते हैं। सी0बी0आई0 जाँच में जो भी परिणाम आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, इस बारे में माननीय श्री हुकुम सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि गत् दिनों एक हत्या के बारे में दबाव पड़ता रहा कि सी0बी0आई0 जाँच कराई जाय। नेता सदन ने भी कहा कि सी0बी0आई0 जाँच का मतलब होगा कि मामला आगे बढ़ना। और हुआ यह कि चुस्त-दुरूस्त पुलिस तंत्र ने गिरफ्तारी करने में संकोच नहीं किया और न मारने में संकोच किया। जो उसमें संदिग्ध हो सकते थे उस हत्या में शामिल हो सकते थे। यह मामला इस एतबार के साथ, एक जवान व्यक्ति जो राजनीति में हो उसकी हत्या हुई है, व्यक्तिगत तौर पर हम इस बात को नकारते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक, वैधानिक व्यवस्था में किसी को इस बिना पर मार दिया जाय कि उसका राजनीतिक विरोध हो। लेकिन मान्यवर, जहाँ यह बात सही है वहीं यह बात भी शत-प्रतिशत सही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों को नामजद कर दिया जाय जिसका राजनीतिक बिरोध हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनमें वह शामिल है कि नहीं शामिल है। मैं बात नैतिकता की कह रहा हूँ। जहाँ किसी की हत्या होती है, किसी का कत्ल होता है, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, एक इंसान को बचाया जाता है, पूरी इंसानियत का कत्ल बचता है। तो इस तरह से पूरी तरह कोई जंवाज नहीं है, जस्टीफिकेशन नहीं है और ऐसे व्यक्ति के लिए तो हो ही नहीं सकता।

मान्यवर, जहाँ तक पुलिस और सरकार का कामकाज का तरीका है वह यही है कि कोई अपराधी बचने न पाये और किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न होने पाये। तो मैं यह समझता हूँ कि एक नैतिक व्यक्ति की हत्या हुई है और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी जायेगी। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश जारी है और इस तरह का कोई संदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है कि जिन व्यक्तियों को नामजद किया गया है उनको कोई संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन, मान्यवर, अगर कोई गुनाहगार नहीं है, राजनैतिक दबाव में किसी बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने की पहल नहीं होगी और गुनाहगार तलाश किये जायेंगे और जितनी जल्दी गिरफ्तारी मुमकिन होगी उतनी जल्दी कार्यवाही करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, स्पष्टीकरण में कुछ पूछना चाहूँगा। अभी मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि कोई राजनैतिक संरक्षण नहीं दिया जायेगा जो अपराधी होंगे। मान्यवर, 11 तारीख को रिपोर्ट होती है और नामजद होती है, एफ0आई0आर0 में नाम लिखा जाता है कि यह हत्या में शामिल है और उसपर कार्यवाही न हो तो कैसे विश्वास कर लेंगे कि इसमें कार्यवाही होगी। इतने लम्बे अंतराल के बाद भी और आप कहते हैं कि किसी को बचाया नहीं जायेगा। अगर उस व्यक्ति का नाम, जो हत्या में शामिल है और वह हमारे सदन में बैठे हों तो इससे बड़ा संरक्षण आप क्या देंगे? मान्यवर, मैं स्पष्ट आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि क्या आप उस व्यक्ति का, या तो आपके पास जाँच आ गयी हो और जाँच के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हों, लेकिन कारण क्या है मान्यवर, घटना हुई 2 तारीख में और आज तक हम बैठे हुए हैं और वहाँ की पुलिस कार्यवाही न कर सके? पुलिस की कार्यवाही न करने का कारण यह है कि राजनीतिक संरक्षण यहाँ की सरकार ने दिया है। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है और केवल इस कारण से हुई है कि वह जिला पंचायत सदस्य था और इन लोगों के दबाव में न आकर उसने वोट देने

से इंकार कर दिया था। अगर हमें आश्वासन नहीं मिलता है तो हमारा यहाँ पर बैठना बेकार है। हमारे कार्यकर्ताओं की खुले आम हत्या होती रहे, अपराधी को संरक्षण मिलता रहे और हत्यारे के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो तो आप कुछ तो निर्देश सरकार को दें जिससे कुछ तो मरहम पट्टी हमारे जख्मों पर लगे। इससे कुछ तो लगे कि कुछ यहाँ पर हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं पूरी तरह से हुकुम सिंह जी की भावनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन हुकुम सिंह जी भी इस बात को पूरी तरह से मानेंगे कि चन्द दिनों पहले जो माननीय सदस्य की हत्या हुई थी और उसमें एक व्यक्ति को, जो नामजद नहीं था लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात का पूरा सबूत हासिल था कि वह इसमें शामिल था, उसको मार गिराया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी हत्या में शामिल हो, शातिर बदमाश हो, शूटर हो, तो सरकार ने उसे मारने में कोई तकल्लुफ नहीं किया है। यही उसूल दूसरी जगह भी लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में नहीं है वह बेगुनाह है और उसका नाम राजनीतिक कारणों से लिया गया है तो इसकी जाँच होगी। अगर किसी गुनाहगार को नामजद न होने की बुनियाद पर भी मार दिया जाय तो किसी बेगुनाह को नामजद होने के बाद सजा दे दी जाय तो मान्यवर, यह दोहरा मानक न्याय में नहीं चलेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें गुनाहगार होगा सरकार उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, तीन हफ्ते हो गये हैं, जाँच की कोई सीमा तो होगी। तीन हफ्ते में पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पायी तो वह क्या करेगी।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, चूँकि संसदीय कार्य मंत्री जी के इरादों पर मुझे कोई सुबहा नहीं है, लेकिन मुझे इनकी बातों से परिस्थितियों का आभास हो गया है। बहुत कुछ खुद्दार होने के बावजूद भी अगर राजनीतिक दबाव होता है तो लोग मजबूर होकर बैठ जाते हैं और आज उसी मजबूरी का इजहार इन्होंने कर दिया है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब हत्यारे इस सदन में बैठे हों, इस सरकार में राज्यमंत्री के पद पर आसीन हों, तो मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ कार्यवाही होगी इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं मान्यवर, इस आक्षेप का खण्डन करना चाहूँगा कि कोई हत्यारा सदन में बैठा है, मान्यवर, समाजवादी पार्टी और यह सरकार अपनी मान्यताओं को अच्छी तरह महसूस करती है और यह अकेली पार्टी है पूरे देश में, अकेले नेता है और इस सदन के नेता का अकेले चरित्र है जिसने उस वक्त जब कभी देश के पूर्व प्रधान मंत्री ने सारे राजनीतिक दलों से यह कहा था कि वह अपने यहाँ अपराधियों को तलाश करें, उस वक्त हमारा दल संसद में बहुत बड़ा दल नहीं था, इसके बावजूद चार लोक सभा के चुने हुए सदस्यों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था और यह इन्तजार किया गया कि कोई और राजनीतिक दल भी अपने यहाँ इस तरह की छानबीन करेगा, इसके अलावा मान्यवर, अभी कुछ रोज पहले टेप काण्ड में, जिन सांसदों के नाम आये उसमें इस बात का इन्तजार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया कि न्याय क्या होगा? यह हो सकता था कि पीठ से यह आदेश होता कि चेतावनी दे दी जाय, इतने दिन के लिए निलम्बित कर दिया जाय, लेकिन सदस्यता समाप्त नहीं की जायेगी। भारतीय जनता पार्टी

का मुसलसल दबाव यही था कि यह न्याय नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी थी, जिसने अपने सांसद से इस्तीफा लिया और वह इस्तीफा पेश कर दिया गया और उसे मंजूर करा दिया गया मान्यवर, इस चरित्र को मानने वाली पार्टी से यह उम्मीद करना कि सदन में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा जो अपराधी हो, 302 का मुल्जिम हो और सरकार उसे बचाये यह बिल्कुल निराधार है, यह सदन की अवमानना है, यह सरकार के ऊपर एक बदनुमा इल्जाम है, इसलिए मैं इसका खण्डन करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गण सदन में वापस आ गये।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत अन्य जितनी भी सूचनायें थी, वह सब अग्राह्य की गईं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना सदन की वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सीट पर बैठ कर ही अपनी बात कहें तो अच्छा रहेगा।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, कभी-कभी बगावत भी फर्ज बन जाता है, मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति जिला पंचायत के चुनाव की है, अखबार के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक वह किस्से छपते हैं कि किस प्रकार से मेम्बरों की किडनेपिंग हो रही है, किस प्रकार से मेम्बरों को लुभाया जा रहा है, किस प्रकार से जोर-जबरदस्ती और ज्यादती के माध्यम से उन मेम्बरों को लुभाये जाने का हथकण्डा अपनाया जा रहा है।

---

†दिनांक 17-1-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, आपने कह दिया, अब आपकी बात आ गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज अगर कोई सबसे ज्वलन्त मुद्दा है तो वह इस चुनाव की प्रक्रिया है मान्यवर, संविधान का 73वां संशोधन आप देख लें, मैं उसको पढ़ कर सुनायें देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपका स्वीकार नहीं हुआ है, आप जबरन कितना बोलेंगे?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, मुझे अपनी बात कह लेने दें। मैं सोंचता था, इसीलिए मैंने इसको नियम-311 में दिया था, आप नियमों को निलम्बित करके पहले इसको सुनने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर में तो आप अपनी बात कह लेते, लेकिन आप सिर्फ भूमिका बना रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रदेश के 69 जिले जिस समस्या से मान्यवर, ग्रसित हों..

श्री अध्यक्ष-

आखिर आप चाहते क्या हैं? आप अपना सुझाव तो दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम चाहते यह हैं कि इस चुनाव की प्रक्रिया बदली जाय, सदस्यों से चुनाव न करा कर प्रदेश की जनता से डायरेक्ट चुनाव करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई, अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान के मध्य)

मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी आप बैठें आपकी बात हो गयी।

मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आपकी नोटिस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। नोटिस चली गयी है उसका उत्तर आपको खुद मिल जायेगा। मा0 जगदम्बिका पाल साहब आपकी सूचना पर भी मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया उसका उत्तर आपके पास खुद आ जायेगा।

(इसी मध्य श्री सुरेश कुमार खन्ना अपनी सूचना को सुने जाने की माँग करते हुए सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

मा0 खन्ना जी, आपने अपनी बात कह ली है, आप विद्वान सदस्य हैं, आपको जिला पंचायत के चुनावों पर क्या बोलना है?

(इसी मध्य श्री रंगनाथ मिश्र भी सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

आप तो गृह राज्य मंत्री रहे हैं क्या आपको यह सब शोभा देता है इस तरह से वेल मे आना। (श्री रंगनाथ मिश्र वेल में खड़े होकर कहने लगे कि 7 जनवरी को जब सब वोट पड़ जायेगा तो फिर क्या कहने को रह जायेगा। इतनी बड़ी [x x x] हो रही है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है।) (श्री सुरेश कुमार खन्ना सदन के वेल से खड़े होकर कहने लगे कि लोकतंत्र में इससे बड़ी [x x x] और क्या हो सकती है।)

श्री अध्यक्ष-

आप जो कुछ बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

(इसी मध्य श्री मुंशी लाल गौतम सदन के वेल में आ गये)

अब मैं नियम 51 की सूचनाएं लेता हूँ।

(इसी मध्य श्री सुरेश कुमार खन्ना मा0 अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको निकालूँगा नहीं, अगर आप यह सब करेंगे तो मैं आप पर जुर्माना कर दूँगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनाँक 02 जनवरी, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई :--

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल की जो जनपद लखनऊ निवासी स्व0 संतोष साहू, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की हत्या से जुड़े अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना डॉ0 कौशल किशोर की जनपद खीरी स्थित युवराज दत्त महाविद्यालय के बी0एस0सी0 एवं एम0एस0सी0 के छात्रों से परीक्षा फार्म न भरवाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की जो जनपद संत कबीरनगर के ग्राम सवापार में श्री गोपीकृष्ण द्विवेदी सेवानिवृत्त उप सचिव की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना जो श्री प्रमोद गौड़ की जनपद अलीगढ़ की कस्बा खैर में राजस्व अभिलेखों में जमींदारों के नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पाँचवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना डॉ0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर स्थित खड्डा नगर पंचायत सुभाष चौक से भैंसहा जाने वाला बाढ़ नियंत्रित बांध को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राजेश कुमार की जो जनपद लखीमपुर खीरी स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0, शाखा बेहजम के प्रबन्धक द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी ऋण वितरण घोटाले में शामिल होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई)

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आठवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जनपद रायबरेली स्थित सिंचाई नलकूप संख्या 65,70,88 के विगत वर्षों से खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जो जनपद मिर्जापुर के पटेहरा अन्तर्गत सिरसी बांध पर स्थापित पंप के चालू न होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जो जनपद जौनपुर के ग्राम कटहरी के प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार को कोतवाल द्वारा अपमानित करने की जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में घोषित 200 हैण्डपम्प अभी तक न लगाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :--

1- श्री प्रमोद कुमार 2- श्री सुरेश कुमार खन्ना 3- श्री उदयराज यादव 4- श्री अयोध्या प्रसाद पाल 5- श्री श्यामदेव राय चौधरी 6- श्री नरेन्द्र शिशौदिया 7- डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर 8- डॉ0 विनोद तियारी 9- श्री मुन्शी लाल गौतम 10- कुंवर भारतेन्द्र सिंह 11- श्री परमेश्वर दयाल 12- श्री सुरेश कुमार खन्ना 13- श्री बीजू पटनायक 14- श्री कल्यान सिंह दोहरे 15- श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि 16- श्री आलम बदी 17- श्री कौशल किशोर 18- श्रीमती विद्या चौधरी 19- श्री मो0 इरशाद खान 20- श्री मुंशी लाल गौतम 21- डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल 22- श्री राम करन आर्य तथा 23- श्री घूरा राम।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के ग्राम ईसापुर खुरगान की दो हजार बीघा (सरकारी) जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना के ग्राम...

पंचायती राजमंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

मोहम्मद आजम खॉ-

[ईसापुर खुरगान की लगभग 2000 बीघा सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, सरकार के अथक प्रयास के बाद वर्ष 2004 में उचित भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराया गया तथा कुछ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की गयी, परन्तु वर्तमान एस0डी0एम0 कैराना की साजिश से भू-माफियाओं ने पुन: उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा लाखों रूपये की खड़ी फसल को भी काट ले गये। उक्त पैसा न तो सरकारी खजाने में जमा किया गया और न ही गाँव पंचायत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के फण्ड में एक ओर तो गॉव के गरीब, दलित एवं भूमिहीन गरीबी की रेखा से नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, उनके पास एक बिस्वा तक जमीन नहीं है, दूसरी ओर स्थानीय एस0डी0एम0 से मिलकर भू-माफियाओं ने करोड़ों रूपये की भूमि पर कब्जा कर लिया। समस्त क्षेत्र में भारी असन्तोष व्याप्त है।

उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुजफ्फर नगर से जॉच आख्या प्राप्त की गयी जिसमें अवगत कराया गया है कि ग्राम ईसापुर खुरगान तहसील कैराना जनपद मुजफ्फर नगर में ग्राम सभा की कुल 133.720 हेक्टेअर अर्थात् लगभग 2000 बीघा भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	भूमि का विवरण	कुल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)
1.	नवीन परती	25	3.729
2.	बंजर	125	66.132
3.	काठा नदी	09	11.381
4.	काठा नाला	08	16.954
5.	यमुना नदी	57	29.059
6.	रेत	12	2.259
7.	खुदान	37	4.206
	योग	273	133.720

2. भूमि प्रबन्धक समिति इस्सीपुर खुरगान का एक प्रस्ताव दिनॉक 20-10-96 को 177 व्यक्तियों के पक्ष में किया गया था, जिसमें 61.42 हेक्टेअर भूमि सन्निहित थी। भूमि प्रबन्धक समिति का उक्त प्रस्ताव तत्कालीन उपजिलाधिकारी कैराना के आदेश दिनॉक 16-11-2000 के अन्तर्गत निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 राजस्व परिषद् कैम्प मेरठ में निगरानी आयोजित की गयी। मा0 सदस्य राजस्व परिषद् के आदेश दिनॉक 03-05-2002 के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये गये :-

"निगरानी व प्रश्नगत प्रस्ताव सफल होने योग्य है, निगरानी स्वीकार की जाती है। परगनाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनॉक 16-11-2000 निरस्त किया जाता है परगनाधिकारी कैराना को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत आवंटन प्रस्ताव दिनॉक 20-10-1996 के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।"

उपजिलाधिकारी कैराना ने मा0 राजस्व परिषद् कैम्प मेरठ के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण पर पुन: विचार कर दिनॉक 13-2-2004 को आदेश पारित किया है जिसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया आवंटन प्रस्ताव दि0 20-10-1996 प्रथम दृष्टया संदिग्ध, पात्रतायुक्त होने, प्रक्रिया विरूद्ध होने व अत्यन्त कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए शून्य प्रभावी घोषित कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी के आदेश दिनॉक 13-2-2004 के विरूद्ध वर्तमान में राजस्व परिषद् में प्रकरण विचाराधीन होना सूचित हुआ है।

उक्त ग्राम के 36.00 हेक्टेअर भूमि के तथाकथित 55 व्यक्तियों के पक्ष में किये गये तथाकथित आवंटन प्रस्ताव दिनॉक 9-8-96 व तथाकथित स्वीकृति को फर्जी मानते हुए

तत्कालीन जिलाधिकारी मुजफ्फर नगर के आदेश दिनॉक 21-4-98 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध मण्डलायुक्त सहारनपुर के न्यायालय में योजित निगरानी दिनॉक 22-2-2002 को निरस्त कर दी गयी। मण्डलायुक्त के आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय राजस्व परिषद् कैम्प मेरठ में निगरानी योजित की गयी। मा0 सदस्य राजस्व परिषद् उ0प्र0 खण्डपीठ मेरठ के आदेश दिनॉक 09-01-2004 के अन्तर्गत निगरानी स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किये हैं :-

"निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त (प्रशासन) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 12-8-99 व 22-2-2000 व कलेक्टर मुजफ्फर नगर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 21-4-98 निरस्त करते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 31-5-99 बहाल किया जाता है। विचारण न्यायालय तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।"

उक्त आदेश के अनुपालन में यह प्रकरण वर्तमान में कलेक्टर मुजफ्फर नगर के न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें विपक्षीगण के साक्ष्य हेतु दिनॉक 16-12-05 नियत थी।

उपजिलाधिकारी कैराना द्वारा अपनी आख्या दिनॉक 26-11-05 के अन्तर्गत अवगत कराया है कि ग्राम इस्सीपुर खुरगान तहसील कैराना जनपद मुजफ्फर नगर में ग्राम समाज की 66.132 हेक्टेअर बंजर भूमि 3.729 हेक्टेअर, नवीन परती भूमि कुल 69.861 हेक्टेअर भूमि है। इस भूमि में से 7.043 हेक्टेअर भूमि दरियावुर्द तथा 1.192 हेक्टेअर भूमि पर आबादी, कब्रिस्तान व रठान आदि है। इस प्रकार आवंटन किये जाने योग्य भूमि 61.626 हेक्टेअर है। सितम्बर माह 2005 में संज्ञान में आया कि इस भूमि पर ग्राम के व्यक्तियों द्वारा पुन: कब्जे कर लिए हैं। इसकी राजस्व टीम गठित करके तहसीलदार कैराना द्वारा जॉच करायी गयी। जॉच में पाया गया कि इस भूमि में 44 व्यक्तियों द्वारा 10.141 हेक्टेअर भूमि पर अवैध कब्जा धान की फसल बोकर कर लिया गया है। इसके विरूद्ध तहसीलदार कैराना के न्यायालय में 122वीं जैड0एल0आर0 एक्ट की धारा के अन्तर्गत वाद योजित हुए। तहसीलदार कैराना के आदेश दिनांक 9-11-2005 में इन 44 अवैध कब्जेदारों की बेदखली की गयी तथा बोयी गयी फसल की क्षति के रूप में इन अवैध कब्जेदारों पर 28300/-रूपये का हर्जाना भी आरोपित किया गया। इन 44 व्यक्तियों से 28300/-रूपये की वसूली कर ली गयी है। इस धनराशि को नायब नाजिर तहसील कैराना जनपद मुजफ्फर नगर के रजिस्टर नं0-4 में जमा किया गया है। ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे को पूर्णत: हटवा दिया गया है तथा दखल ग्राम प्रधान को दिला दिया गया है।

उपजिलाधिकारी व तहसीलदार कैराना को निर्देशित कर दिया गया है कि वह ग्राम सभा में निहित भू-खण्डों पर किसी भी स्थिति में पुन: कब्जा न होने दें तथा जो भूमि सार्वजनिक उपयोग की गयी उसका उपयोग सार्वजनिक कार्य में ही हो जिस हेतु वह सुरक्षित की गयी है। कोई व्यक्ति उसे अतिक्रमित न करें।]

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत धनरौल बांध की सिल्ट सफाई कराने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

[श्री रमेश चन्द्र बिन्द, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को दिनॉक

8-12-05 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पटेहरा के अन्तर्गत धनरौल बांध सोन से पटेहरा टेल तक सिल्ट की जमाव होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है। जिससे किसानों की हरी-भरी फसल पानी के अभाव में सूख जाती है किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं और किसानों में काफी आक्रोश एवं दुख व्याप्त है। अत: इस लोकहित के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए धनरौल बांध की सिल्ट सफाई कराकर टेल तक पानी पहुँचाये जाने तथा मा0 सिंचाई मंत्री जी से सदन में वक्तव्य दिये जाने की माँग की गयी है।

इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर यह अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र के क्षेत्र में सिंचाई हेतु घघरौल बांध का निर्माण वर्ष 1913-17 के मध्य हुआ था, जिसमें से घाघर मुख्य नहर (लम्बाई-41.460 कि0मी0) निकलती है, जिसकी परिकल्पित क्षमता 2000 क्यूसेक है। घाघर मुख्य नहर के टेल से मड़िहान ब्रांच (लम्बाई-58.80 किमी0) निकलती है। मड़िहान बांच के कि0मी0 28.80 से कि0मी0 58.80 के मध्य पटेहरा विकास खण्ड की सिंचाई होती है1 घाघर मुख्य नहर परिकल्पित क्षमता 2000 क्यूसेक के स्थान पर 1200 क्यूसेक तथा मड़िहान ब्रांच 1000 क्यूसेक के स्थान पर 750 क्यूसेक से चल पाती है। घाघर नहर प्रणाली की सिंचन क्षमता 62000 हेक्टेअर है तथा पटेहरा विकास खण्ड में इस प्रणाली द्वारा खरीफ में 11023 एवं रबी 2152 हेक्टेअर कुल 13175 हे0 क्षेत्र में सिंचाई करायी जाती है। घाघर मुख्य नहर एवं मड़िहान ब्रांच मं नहर का सेक्शन तथा बैंक एवं सर्विस रोड अत्यधिक कमजोर हो गए हैं। जलाशय से निकलने वाली नहरों में सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। घाघर मुख्य नहर से निकलने वाली अल्पिका की सफाई 2003-04 में हुयी है। उसके पश्चात् नहीं हुयी है। जलाशयों में विगत वर्षों में पानी कम होने के कारण सफाई का कार्य नहीं हो सका था तथा जल उपलब्धता के अनुसार घाघर नहर प्रणाली द्वारा पटेहरा विकास खण्ड में समुचित मात्रा में पानी नहीं दिया जा सका। घाघर नहर प्रणाली के कमाण्ड में जिसमें पटेहरा विकास खण्ड भी सम्मिलित है, समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "घाघर नहर प्रणाली क्षमता पुर्नस्थापना योजना" लागत रूपया 1170.00 लाख की राज्य व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रियान्वयन के बाद पटेहरा विकास खण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।]

प्रदेश के गन्ना मिलों द्वारा घटतौली किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[प्रदेश में पेराई सत्र 2005 में दिनाँक 21-12-2005 तक कुल 106 चीनी मिलें पेराई कार्य प्रारम्भ कर चुकी हैं। उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम संख्या-18(ए)(1) के प्राविधान के अनुसार सम्बन्धित चीनी मिल मिल गेट/क्रय केन्द्र पर मिल तौल लिपिकों की नियुक्ति कर गन्ना तौल का कार्य करेगी। इस प्रकार सम्बन्धित गन्ना समिति उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम संख्या-18(ए)(1) के उपनियम-4 के अन्तर्गत प्रत्येक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिलगेट/क्रय केन्द्र पर समिति भोगी लिपिकों की नियुक्ति कर तौल कार्य सम्पन्न करायेगी। चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। मिलगेट पर तौल लिपिकों की कमी को दूर करने के लिए गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा सभी उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त को यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि वह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में स्थित सभी चीनी मिलों के मिलगेट पर समिति तौल लिपिकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाय, जिससे प्रत्येक शिफ्ट में समिति तौल लिपिक उपस्थित रह कर गन्ना तौल का कार्य सम्पादित करें। गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण चीनी मिलों के प्रत्येक केन्द्र पर धर्मकांटा स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है। उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं नियमावली 1954 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि गन्ना समितियां प्रत्येक केन्द्र पर धर्मकांटा स्थापित करें। समितियों में अभी भी इतने लिपिक हैं कि उन्हें मिलगेट पर तौल कार्य कराने मे कोई कठिनाई नहीं है। चीनी मिलों में घटतौली को रोकने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं1 विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों के जाँच करने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं। चीनी मिलों के कांटों का निरीक्षण करने के लिए जाँच दल भी बनाये गये हैं।]

जनपद शाहजहाँपुर स्थित सहकारी चीनी मिल पुवायाँ में 9 गन्ना क्रय केन्द्रों को मिल से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[पुवायाँ चीनी मिल सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। मिल की गन्ना पेराई क्षमता के अनुरूप पेराई सत्र 2005-06 हेतु 180 कार्यदिवस के आधार पर इस चीनी मिल हेतु गन्ना आवश्यकता 38.25 लाख कुन्टल निर्धारित की गयी थी। पेराई सत्र 2005-06 के लिए प्रस्तुत संशोधित सुरक्षण प्रस्ताव में मिल द्वारा अपनी गन्ने की आवश्यकता 20.00 लाख कुन्टल सूचित की गयी जिसे स्वीकार करते हुए इनकी गन्ना आवश्यकता 20.00 लाख कुन्टल निर्धारित की गयी। उक्त गन्ना आवश्याकता के सापेक्ष वर्तमान पेराई सत्र में इस चीनी मिल के लिए कुल 42.12 लाख कुन्टल गन्ना उत्पादन आवंटित किया। गत वर्ष चीनी मिल का ड्राल 29 प्रतिशत रहा। चीनी मिल की पेराई क्षमता भौगोलिक स्थिति, गत वर्ष ड्राल, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारणों को दृष्टिगत रखते हुए इस चीनी मिल का ड्राल 47 प्रतिशत निर्धारित किया गया। पेराई सत्र 2000-01 से 2004-05 तक उक्त चीनी मिल ने क्रमश: 14.65 लाख कुन्टल, 15.89 लाख कुन्टल, 1054 लाख कुन्टल, 0.19 लाख कुन्टल, 9.19 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की। इस प्रकार इस चीनी मिल ने पेराई सत्र 2001-20023 में अधिकतम 15.89 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की। विगत पाँच वर्षों में चीनी मिल द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा, निर्धारित गन्ना आवश्यकता के सापेक्ष पेराई सत्र 2005-06 में उक्त चीनी मिल को आवंटित गन्ना उतपादन 42.12 लाख कुन्टल, इस मिल की पेराई क्षमता के लिए पर्याप्त है। प्रश्नगत 09 क्रय केन्द्र गत वर्ष भी इस चीनी मिल को आवंटित नहीं किये गये थे। पुवायाँ चीनी मिल के पास पेराई क्षमता/गन्ना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवश्यकता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध होने के दृष्टिगत ही प्रश्नगत क्रय केन्द्रों को अन्य चीनी मिलों को अभ्यर्पित किया गया है।]

जनपद गोरखपुर स्थिति गोरखपुर से चिल्लूपार क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सदल प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-51 के अन्तर्गत श्री सदल प्रसाद, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर से चिल्लूपार जी0जी0सी0 मार्ग के कि0मी0 17 पर कटघर जमुरा नाले पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल बनाने तथा जब तक नया पुल निर्मित न हो जाय तब तक वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सूचना दी गई जिसे मा0 अध्यक्ष जी ने स्वीकार करते हुय दिनाँक 02-01-06 को वक्तव्य के लिये निर्धारित किया है।

2- इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर से चिल्लूपार जी0जी0सी0 मार्ग के कि0मी0 17 पर कटघर जमुरा नाला स्थिति है। प्रस्तावित सेतु से अपस्ट्रीम में कटघर-रतनपुर-हरपुर-बुदहट मार्ग पर05 कि0मी0 की दूरी पर पहले से एक सेतु निर्मित है। प्रस्तावित सेतु की लम्बाई 36 मीटर एवं पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य सहित सेतु की कुल लागत रू0 163.43 लाख अनुमानित है।

3- प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 05 कि0मी0 की दूरी पर पूर्व से सेतु निर्मित है। प्रस्तावित सेतु निर्माण कार्य हेतु रू0 163.43 लाख का व्यय अनुमानित है जो प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद उन्नाव स्थित मेसर्स साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 मस्तराम, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[श्री मस्तराम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनाँक 8-12-2005 को सूचना दी गयी कि अकरमपुर, उन्नाव स्थिति मे0 साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा0 लि0 व परम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज उन्नाव के प्रबन्धकों द्वारा पिछले 3 वर्षो से श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। श्रमिकों द्वारा बकाया 3 माह का ओवर टाइम माँगने पर उनसे काम लेना बन्द कर दिया गया, फलस्वरूप श्रमिक 10-10-2005 से आन्दोलित हैं। वर्तमान समय में श्रमिकों का 4 माह का ओवर टाइम, 2 माह

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का वेतन तथा वार्षिक बोनस बकाया है। ऐसे लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर मा0 विधान सभा अध्यक्ष द्वारा केवल वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सूचना पर श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा0 लि0 व परम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज उन्नाव के श्रमिक संगठन द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये दिनाँक 4-7-2005 को जिला प्रशासन उन्नाव के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उक्त ज्ञापन में प्रबन्धकों के विरूद्ध समय पर वेतन एवं ओवर टाइम का भुगतान न किये जाने की शिकायत की गयी है। श्रम कानून में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानीय विभागीय अधिकारियों द्वारा वार्ता के माध्यम से पक्षों के मध्य शान्ति पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया गया है। पुन: प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 5-10-2005 से प्रतिष्ठान में उत्पादन कार्य बन्द हो गया। सेवायोजक पक्ष के कथन के अनुसार कारखाने की भट्ठी बन्द हो गयी जिसे पुन: उत्पादन की प्रक्रिया में लाने के लिये कई लाख रूपये की आवश्यकता है। श्रमिक पक्ष का कथन है कि उनके स्तर से पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जाता है। सम्बन्धित प्रकरण पर सहायक श्रमायुक्त उन्नाव के स्तर पर कई दौर की दोनों पक्षों की वार्तायें हुई हैं एवं अब भी वार्ता के माध्यम से समस्या के निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी सूच्य है कि कर्मचारियों के बकाये वेतन के सम्बन्ध में सल्फर इंडिया केमिकल्स मजदूर यूनियन अकरमपुर उन्नाव द्वारा दिनाँक 22-10-2005 को मैसर्स साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा0 लि0 उन्नाव में कार्यरत 19 श्रमिकों के बकाये वेतन माह सितम्बर 2005 का वाद उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति मजदूरी का यथा समय संदाय अधिनियम 1978 के अन्तर्गत तथा इसी क्रम में मे0 परम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 उन्नाव में कार्यरत 21 श्रमिकों के बकाये वेतन माह सितम्बर 2005 के भुगतान हेतु वाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर सेवायोजकों को नोटिसें दी गयीं और सुनवाई हेतु बुलाया गया। सुनवाई के दौरान सेवायोजकों द्वारा बताया गया कि मेसर्स साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा0 लि0 में 7 कर्मचारियों को अन्तिम पावनों का भुगतान कर दिया गया है एवं परम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 में 10 कर्मचारियों को अन्तिम पावनों का भुगतान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विभाग द्वारा करा ली गयी है।

जहाँ तक बोनस के भुगतान का प्रश्न है, सेवायोजक पक्ष के कथन के अनुसार जिन कर्मचारियों ने अन्तिम भुगतान प्राप्त कर लिये हैं उन्हें बोनस का भुगतान कर दिया गया है, शेष कर्मचारियों का भुगतान लम्बित है। पक्षों के मध्य गतिरोध समाप्त करने के लिये सक्षम स्तर पर वार्ता के माध्यम से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति मजदूरी का यथा समय संदाय अधिनियम 1978 के अन्तर्गत प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन नगर पंचायत कार्यालय के सामने सड़कों पर गन्दा पानी जमा होने एवं सफाई न होने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[जनपद मथुरा में गोवर्धन नगर पंचायत कार्यालय के सामने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पुलिया का निर्माण कराने के कारण सड़कों पर गन्दा पानी वर्तमान में जमा नहीं हो रहा है जिसके कारण वर्तमान

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में परिक्रमा करने वाले तीर्थ यात्रियों को गन्दे पानी में चलना नहीं पड़ता है।

उक्त स्थानों की सड़कों एवं गन्दे पानी की जल निकासी के स्थायी समाधान हेतु नाले का निर्माण कार्य आवश्यक है, किन्तु प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय मथुरा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जल/निकासी के स्थायी समाधान हेतु नगर पंचायत द्वारा एक नाला बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, किन्तु कतिपय व्यक्तियों द्वारा भूमि के स्वामित्व को लेकर सिविल कोर्ट मथुरा से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है।]

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कोविद कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 18 स्थगित है।

अब हम उठते हैं, 16 जनवरी को 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन को उपवेशन 1 बजकर 35 मिनट पर सोमवार दिनाँक 16 जनवरी, 2006 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनाँक 2 जनवरी, 2006

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी-'क'

(देखिये अता0प्र0सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर।)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न-2 का संलग्नक

वाराणसी शहर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में तथा शहर के अन्य स्थानों पर प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने हेतु जीर्ण-शीर्ण पाइपों को बदल कर डाली गयी नई पाइप लाइनों की सूची

क्र0सं0	वार्ड का नाम	स्थल	पाइप लाईन की साईज एवं लम्बाई
1.	कोतवाली	1.कतुआपुरा, के047/110	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/48मी0
		2.के0148/127, हरतीरथ	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/140मी0
		3.के049/45, अम्बिया मण्डी	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/108.70मी0
		4.के057/134, नवापुरा	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/328मी0
2.	आदमपुर	1.ए035/41-जे-4	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/151.50मी0
		2.ए032/133 से ए032/116 तक	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/127.50मी0
3.	चौक वार्ड	1.सी0क0-4/20, भरतेन्दु भवन ठठेरी बाजार	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/285.00मी0
		2.सी0के042/16-ए	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/59मी0
		3.सी0के042/16-ए से, 41/9 तक घुंघरानी गली में	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/205मी0
		4.बड़ी पियरी	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/135.50मी0
4.	जैतपुरा	1.जे09/11 से 9/32 तक औरीपुर	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/96.50मी0
		2.जे011/37, बकराबाद	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/238मी0
		3.जे028/92 से जे0 28/47 तक आगागंज	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/80मी0
		4.जे028/106	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/50मी0
5.	आदमपुर	1.सरैया फकीर, टोलिया मार्ग ए0 39/305	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/80मी0
		2.छत्ता तले	110 मि0मी0 व्यास पी0वी0सी0/299मी0
			योग- 2451.70 मी0

नत्थी-'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर।)

जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में कराये गये निर्माण कार्य

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर
1-	शिवहरि मन्दिर सी0सी0 रोड	449991	675.00	-	-	937.09
2-	इन्द्रापुरम नाली खड़ंजा	179732	-	-	-	-
3-	जयभीमनगर नाली खड़ंजा	558845	839.10	-	1886.60	-
4-	मुरलीपुर गुलाब नाली खड़ंजा	270012	260.00	93.5	-	-
5-	रिठानी सी0सी0 रोड	269894	946.50	-	787.61	1106.72
6-	लखीपुरा नाली खड़ंजा	75000	-	-	-	-
7-	दायमपुर न.ली खड़ंजा	151720	-	-	-	-
8-	रोशनपुर डोरली नाली, खड़ंजा, सी0सी0	174490	315.60	-	-	879.64
9-	श्यामनगर नाली खड़ंजा	202367	472.54	-	1030.56	-
10-	अहमदनगर नाली खड़ंजा	186050	505.10	-	830.297	-
11-	कसेरूखेड़ा नाली खड़ंजा	252221	550.00	-	657.80	-
12-	मोहकमपुर नाली खड़ंजा	180143	496.40	-	-	-
13-	काजीपुर नाली खड़ंजा	202255	968.30	-	496.97	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर
14-	जनता कालोनी मोदीपुरम नाली खड़ंजा	358424	413.80	-	24.80	1144.48
15-	तोफीपुर नाली खड़ंजा सी0सी0	166180	404.50	-	-	650.70
16-	कसेरू बक्सर नाली खड़ंजा	175000	782.20	-	1353.92	-
17-	जाकिर कालोनी नाली खड़ंजा	187861	497.00	-	853.475	-
18-	उत्तर रक्षा गृह महिला परिसर शौचालय, स्नानागार	25590	-	-	-	-
19-	तारापुरी सामुदायिक केन्द्र	193742	-	-	-	-
20-	शिवशक्तिनगर नाली, खड़ंजा, सी0सी0	190356	126.60	-	107.00	-
21-	इन्द्रानगर सी0सी0 रोड	261604	620.00	-	-	-
22-	टास्कफोर्स बोर्ड	75000	-	-	-	-
23-	तारापुरी नाली खड़ंजा सी0सी0	105592	-	-	-	-
24-	पुरानी माहनपुरी नाली खड़ंजा	55120	-	-	-	-
25-	कंचनपुर घोपला में अवशेष नाला, नाली, खड़ंजा	597338	1268.05	-	1448.46	-
26-	लाला मोहम्मदपुर नाला, नाली, खड़ंजा	404393	717.70	-	772.51	-
27-	शोभापुर में अवशेष नाला, नाली, खड़ंजा	392915	264.30	-	2152.91	-
28-	अहमदनगर रिटेर्निंग वाल, नाला, बी0ओ0ई0	119208	-	-	-	-

भारत निर्वाचन आयोग

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर
29-	फतेहउल्लापुर भाग-2 नाला, नाली, खड़ंजा	269671	583.20	-	591.71	-
30-	सरायकाजी नाली खड़ंजा	183469	455.00	-	349.93	-
31-	पल्हैड़ा प्राइमरी स्कूल वाउन्ड्री वाल	230340	-	-	124.02	- 45.20वा0वा0

अवर अभियन्ता
जिला नगरीय विकास अभिकरण
मेरठ

सहायक परियोजना अधिकारी
जि0न0वि0अ0

परियोजना अधिकारी
जि0न0वि0 अभि0 डूडा
मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-2005 में कराये गये विकास कार्य

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि रूपये	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर	इंटरलाकिंग ल0 वर्ग मी0
1-	मुल्ताननगर नाली खड़ंजा	100344	201.50	20.00	169.61	-	-
2-	जयभीमनगर नाली खड़ंजा	257998	296.00	-	694.376	-	-
3-	मुरलीपुर गुलाब नाली खड़ंजा	366472	693.65	-	1747.877	-	-
4-	रिठानी सी0सी0 रोड	378517	-	-	-	-	-
5-	लल्लापुरा नाली खड़ंजा	445317	551.40	-	1298.61	-	-
6-	रोशनपुर डोरली	146232	-	-	-	-	-
7-	शिवपुरम नाली खड़ंजा	338029	467.30	-	-	-	-
8-	श्यामनगर नाली खड़ंजा	115400	-	-	-	-	-
9-	अहमदनगर नाली खड़ंजा	46294	-	-	-	-	-
10-	तारापुरी नाली खड़ंजा सी0सी0	361425	370.60	-	242.27	1130.93	-
11-	पुरानी मोहनपुरी नाली खड़ंजा	410726	651.35	-	1782.87	-	-
12-	कुण्डा नाली खड़ंजा	397499	2165.20	-	1075.60	-	-
13-	काजीपुर नाली खड़ंजा	326477	-	-	1241.25	-	-
14-	कंकरखेड़ा चौक साइड नाली खड़ंजा	288417	681.50	-	1211.403	-	-
15-	जनता कालोनी मोदीपुरम नाली खड़ंजा	151740	-	-	-	-	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर	इंटरलाकिंग ल0 वर्ग मी0
16-	सोफीपुर नाली खड़ंजा सी0सी0	179064	-	-	-	-	-
17-	कसेरू बक्सर नाली खड़ंजा	198343	-	-	-	-	-
18-	जाकिर कालोनी नाली खड़ंजा	248197	352.00	-	288.875	-	-
19-	उत्तर रक्षा गृह महिला परिसर, शौचालय, स्नानागार	182864	-	-	-	-	-
20-	तारापुरी सामुदायिक केन्द्र	243855	-	-	-	-	-
21-	शिवशक्तिनगर नाली, खड़ंजा, सी0सी0	148696	277.00	-	422.50	355.86	-
22-	इन्द्रानगर सी0सी0 रोड	206216	93.20	-	-	876.64	-
23-	इन्द्रापुरम नाली खड़ंजा	380757	1215.85	-	1045.92	-	-
24-	लखीपुरा नाली खड़ंजा	258374	350.00	-	-	-	-
25-	गौतमनगर सी0सी0 रोड	259124	-	-	-	736.64	-
26-	बाल्मीकी मोहल्ला फाजलपुर नाली खड़ंजा	282393	279.00	-	1018.30	-	-
27-	जवाहरनगर नाली खड़ंजा	200783	274.00	-	296.335	-	-
28-	इन्द्रानगर नाली खड़ंजा सी0सी0	1059609	415.00	-	982.25	1268.82	-
29-	दायमपुर नाली खड़ंजा	450610	1156.00	-	2078.00	-	-
30-	शेरगढ़ी नाली खड़ंजा	127059	431.60	-	265.18	-	-
31-	गणेशपुरी नाली खड़ंजा	57187	93.40	-	171.30	-	-
32-	तारापुरी गडढों वाली नाली खड़ंजा मिट्टी भराव	241457	-	-	-	-	-

अपर पदेन विधान परिषद

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर	इंटरलाकिंग ल0 वर्ग मी0
33-	तारापुरी शौकत कालोनी नाली खड़ंजा	508378	-	-	-	-	-
34-	मलियाना धोबीघाट	219999	-	-	-	-	-
35-	लखीपुरा खजूर वाली नाली खड़ंजा	204824	669.00	-	-	-	-
36-	जाकिर कालोनी सैफी एंटरप्राइजेज नाली खड़ंजा	364748	669.00	-	1099.87	-	-
37-	जाकिर कालोनी कैपीटल स्कूल के पास नाली खड़ंजा	119271	462.00	-	-	-	-
38-	तारापुरी आमना मस्जिद के पास नाली खड़ंजा	262251	234.00	-	-	-	-
39-	अब्दुल्लापुर, सरायकाजी किचेन शेड	62407	-	-	-	-	-
40-	साबुनगोदाम रिठानी किचिन शेड	59680	-	-	-	-	-
41-	आर0के0 पुरम दिल्ली रोड नाली खड़ंजा	135481	-	-	-	-	-
42-	कसेरूबक्सर, दायमपुर, फाजलपुर, औरंगाशाहपुर डिग्गी किचिन शेड	128963	-	-	-	-	-
43-	जाकिर कालोनी जौहरा बाग, नाली, खड़ंजा	1072954	-	926.00	-	-	-
44-	मलियाना नाली खड़ंजा	259879	-	-	-	-	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर	इंटरलार्किंग ल0 वर्ग मी0
45-	गौतमनगर भाग-1 इन्टरलार्किंग रोड	875174	683.00	-	-	-	988.23
46-	नई बस्ती लल्लापुरा नाली, खड़ंजा, मिट्टी भराव	653525	-	-	-	-	-
47-	नई बस्ती शिवपुरम नाली खड़ंजा, मिट्टी भराव	376391	-	-	-	-	-
48-	श्यामनगर शाहजहाँ मस्जिद के पास इन्टरलार्किंग, मिट्टी	314072	81.70	-	-	-	-
49-	गौतमनगर भाग-2 इन्टरलार्किंग	901324	-	-	-	-	911.82
50-	शिवहरि मन्दिर रेलवे लाइन के सामने नाली खड़ंजा	571430	-	-	-	-	-
51-	कंवरखेड़ा न्यू गोविन्दपुरी नाली खड़ंजा, नाला	593683	-	180.00	-	-	-
52-	नगर पालिका परिषद् मवाना इन्टरलार्किंग	261389	-	-	-	-	-
53-	रिठानी इंटरलार्किंग रोड	362549	-	-	-	-	-
54-	नूरनगर नाली खड़ंजा	101198	-	-	-	-	-
55-	जाहिदपुर इन्टरलार्किंग	194544	-	-	-	-	-
56-	फतेहउल्लापुर नाली खड़ंजा	112562	-	-	-	-	-
57-	कंचनपुर घोपला नाली, खड़ंजा, मिट्टी भराव	118522	-	-	-	-	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा	लम्बाई सी0सी0 वर्ग मीटर	इंटरलाकिंग ल0 वर्ग मी0
58-	कुण्डा नाली खड़ंजा	109900	-	-	-	-	-
59-	रशीदनगर इन्टरलाकिंग रोड	353442	-	-	-	-	-
60-	सरायकाजी में नाला	142381	-	150.00	-	-	-
61-	अछरौंडा नाली खड़ंजा	119901	362.00	-	-	-	-
62-	इन्द्रापुरम दतापुर नाली खड़ंजा	176300	-	-	-	-	-
63-	तारापुरी जडडवाली नाली खड़ंजा	74514	-	-	-	-	-

अवर अभियन्ता
जिला नगरीय विकास अभिकरण
मेरठ

सहायक परियोजना अधिकारी
जि0न0वि0अ0

परियोजना अधिकारी
जि0न0वि0 अभि0 डूडा
मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी-'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर।)

मेरठ छावनी विधान सभा क्षेत्र में 2002-03, 2003-04, 2004-05 में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण।

कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ।

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि रूपयों में	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर	
वर्ष 2002-2003						
1-	नगलाताशी सा0केन्द्र की वाउंड्री वाल	304398	-	-	-	वा0वाल 138.
2-	जयभीमनगर नाला, नाली, खड़ंजा	557770	1178.20	-	1904.58	
3-	जटौली में नाला निर्माण	89993	-	213.65	-	
4-	लाला मोहम्मदपुर में नाला, नाली, खड़ंजा	769954	469.00	573.40	934.50	
5-	शेखपुरा में नाला, नाली, खड़ंजा	1483697	1971.90	400.95	3087.76	
6-	दायमपुर में नाला, नाली, खड़ंजा	320358	327.70	455.20	356.74	
7-	दायमपुर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	61898	-	-	-	
8-	मुल्ताननगर में नाली खड़ंजा	1687990	2230.80	510.77	2619.95	
	योग	**5266058**				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मलिन बस्ती व कार्य का नाम	व्यय धनराशि रूपयों में	लम्बाई नाली मीटर	लम्बाई नाला मीटर	लम्बाई खड़ंजा वर्ग मीटर
वर्ष 2003-2004					
1-	जयभीमनगर में नाली खड़ंजा	558845	839.10	-	1886.60
2-	मुरलीपुर गुलाब में नाली खड़ंजा	270012	260.00	93.50	-
3-	कसेरूखेड़ा में नाली खड़ंजा	252121	550.00	-	657.80
4-	दायमपुर में नाली खड़ंजा	15720	-	-	-
5-	कसेरू बक्सर में नाली खड़ंजा	175000	782.20	-	1353.92
		योग 1271698			
वर्ष 2004-2005					
1-	कंकरखेड़ा न्यू गोविन्दपुरी में नाला निर्माण	593683	-	180.00	
2-	जयभीमनगर में नाली खड़ंजा	257998	296.00	-	694.376
3-	कंकरखेड़ा चौक साइड में नाली खड़ंजा	288417	681.50	-	1211.403
4-	कसेरू बक्सर में नाली खड़ंजा	198343	-	-	-
5-	दायमपुर में नाली खड़ंजा	459610	1156.00	-	2078.00
		योग 1798051			

अवर अभियन्ता
जिला नगरीय विकास अभिकरण
मेरठ

सहायक परियोजना अधिकारी
जि0न0वि0अ0

परियोजना अधिकारी
जि0न0वि0 अभि0 डूडा
मेरठ

पी0एस0यू0पी0-एल0 392 विधान सभा (614)-20-3-06-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा